राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ११] द्वितीय विधान सभा के ग्यारहवें सत्र, १९६१ का पंचम दिवस [संख्या ५

शुक्रवार, दिनांक १५ सितम्बर, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजकर २० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, पंचायत, सामान्य प्रशासन, योजना, गृह, कृषि, न्याय, उद्योग, सहकारी, समाज कल्याण, वित्त तथा पशुपालन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह।

जयपुर (पूर्व) में अध्यापकों की नियुक्ति (१९५९-६० में)

१२२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर (पूर्व) में सन् १९५९-६० में किस किस ग्रेड में कब-कब और किसके द्वारा किन किन अध्यापकों की नियुक्ति की गई ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि जयपुर (पूर्व) में अध्यापकों की वरिष्ठता-सूची तैयार नहीं की गई ? यदि हां, तो, क्यों ? यदि नहीं, तो कृपया उस वरिष्टता की सूची को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या यह सही है कि अधिकांश नई नियुक्तियां ऐसे ऐसे पद एवं ग्रेड पर की गई हैं जिनके लिए आवश्यक योग्यता के अध्यापक विभाग में कार्य कर रहे थे और प्रमोशन के द्वारा इन पदों पर उनको नियुक्त करना था ? यदि हां, तो ऐसे कितने अध्यापकों का इस प्रकार हक मारा गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि इस प्रकार डाइरेक्ट नियुक्तियां करने के सरकारी आदेश नहीं है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही क्यों की गई ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जयपुर (पूर्व) में अध्यापकों की वरिष्टता सूची तैयार की जा चुकी है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.2

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : यह संलग्न सूची फाइनल है या इसमें ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये गये हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके अन्दर ऑब्जेक्शन्स मांगे हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो यह फाइनल कब तक हो जायेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सब ऑब्जेक्शन्स के ऊपर निर्णय होने पर होगी।

श्री भैरोंसिंह : आपने प्रश्न संख्या ३ के उत्तर में 'नहीं' कहा है, लेकिन जो सूची दी है लिस्ट ऑफ अपॉइन्टेड केन्डीडेट्स इन अनट्रेण्ड ग्रेजुएट ग्रेड पर उक्त सम्बन्ध में प्रश्न यह है कि क्या जो मौजूदा स्टाफ था उसमें से इन पदों पर नियुक्त करने के लिए कोई अध्यापक नहीं था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन कर दिया कि अगर इस तरह के कोई ऑर्डर्स हों तो आप बता दीजिए, उस पर जांच हो सकती है। हमने यह कहा है कि इस तरह से नहीं किया है। जिस योग्यता के विभाग में उपलब्ध नहीं थे उनकी जगह दूसरे अपॉइन्ट किये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने अनट्रेण्ड ग्रेजुएट्स का अपॉइन्टमेंट किया है, तो क्या उस समय विभाग में ट्रेण्ड ग्रेजुएट टीचर्स नहीं थे जिनको इस पोस्ट पर नियुक्त किया जा सकता था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उस विषय के नहीं होंगे। विषय की आवश्यकता है उसके लिए और अगर विषय नहीं पढ़ा सकता हो तो मुश्किल हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह : जिन विषयों की आवश्यकता थी उन विषयों के अध्यापक डिपार्टमेंट में उपलब्ध नहीं थे, क्या ऐसा मानना चाहिए ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, इस उत्तर के अनुसार ऐसा ही मानना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): प्रश्न संख्या १२४।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : आपके नाम पर तो प्रश्न संख्या १२३ है।

श्री अध्यक्ष : वह माननीय सदस्य ने विद्ड्रा कर लिया है।

श्री श्रीमानसिंह : मेरे पास जो लिस्ट है उसमें विथड्रा किया हुआ नहीं है। यह इतना इम्पॉर्टेन्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष महोदय, कि it must be answered and a number of members may be interested in it.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, पंचायत मन्त्री महोदय। The Hon'ble member does not want it.

श्री श्रीमानसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पॉर्टेन्ट प्रश्न है। १२३ का आन्सर कराया जाये।

श्री अध्यक्ष : He is at liberty to withdraw it at any stage.

Page No.3

श्री श्रीभानसिंह : तो पहले ही सोचा जाना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : He can withdraw at any time...

श्री श्रीभानसिंह : इस तरह से विद्ड्रॉअल कैसे हो सकता है ? स्पेसिफिक नाम से क्वेश्चन है और अण्डर ट्रायल पीटा गया है। तो क्वेश्चन को जो पब्लिसिटी मिलनी चाहिए थी वह तो हो गई। if at this stage the Hon'ble member wishes to withdraw, I don't know what are the reasons for it...

रावराजा श्री सरदारसिंह : हाउस के ऊपर है यह तो।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, १२३ का जवाब दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : I can compel neither the member to ask it nor the Government to make a reply. If the Government wants to clarify it or his (members,) position, they may do so.

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : मेरे पास तो विद्ड्रॉअल का ही क्वेश्चन गया है।

श्री श्रीभानसिंह : मैं पढ़ दूं आप कहें तो।

श्री अध्यक्ष : They are not prepared to answer it. They were intimated that this will not be put. But if the Treasury Benches want to clarify their position they are at liberty to do so.

श्री रामकिशोर व्यास : अगर आप चाहें तो जवाब दिया जा सकता है, मुश्किल की कोई बात नहीं है जवाब देने में। लेकिन मेरे पास चूंकि जो पर्चा गया था उसमें कटा हुआ गया था।

श्री श्रीभानसिंह : मेरे पास जो पर्चा है उसमें कटा हुआ नहीं गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : लेकिन मेरे पास जो गया वह शुरू से ही कटा हुआ गया है। आप कहें तो इसका जवाब अगले टर्न पर दे देंगे। इसमें कोई छिपाने की सी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

पंचायत रूपपुरा, तहसील उनियारा के चुनाव

१२४. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) दिनांक ९-१२-६० को पंचायत रूपपुरा, तहसील उनियारा की पंचायत के चुनाव का कौन रिटर्निंग ऑफिसर था ?

(२) क्या यह सही है कि जो उम्मीदवार सरपंच के पद पर खड़े हुए थे उनके बराबर बराबर मत आये थे ? यदि हां, तो उनके क्या क्या नाम हैं और कितने कितने मत आये ?

(३) क्या यह सही है कि जब बराबर बराबर मत आये तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उसी रोज लॉटरी करके निर्णय दिया ?

(४) क्या यह सही है कि दूसरे दिन तारीख १०-१२-६० की शाम को टौंक से

Page No.4

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

निर्णय देने हेतु फिर रिटर्निंग ऑफिसर रूपपुरा आये ? अगर हां, तो उनके साथ कौन कौन रूपपुरा तशरीफ लाये ?

(५) क्या यह सही है कि उम्मीदवारों के समक्ष नाम की गोलियां बनाई गई थीं और उनके सामने ही गोली लॉट से उठायी गयी और क्या प्रथम गोली खोल कर केन्डीडेट्स को बताई गयी थी ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) श्री रोशनलाल, सहायक अध्यापक लाम्बा हरिसिंह, तहसील मालपुरा।

(२) जी हां, उम्मीदवारों के नाम हैं। (१) श्री रामनिवास जाट, निवासी रूपपुरा, (२) श्री किशनलाल मीना, निवासी किशनगंज। दोनों उम्मीदवारों को ३१२-३१२ मत मिले थे।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां, उनके पोलिंग ऑफिसर श्री एम० खान व तहसीलदार टौंक, एस० डी० ओ० टौंक व तहसीलदार अलीगढ़।

(५) जी हां।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपसे यह अर्ज करूं कि मेरा यह सवाल है कि उनको बराबर वोट मिले तो उसी रोज लॉटरी करके उसी रोज निर्णय सुनाया या दूसरे दिन सुनाया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दूसरे रोज।

रावराजा श्री सरदारसिंह : दूसरे रोज सुनाने का क्या मतलब था और टौंक जाने का रिटर्निंग ऑफिसर का क्या मतलब था ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : रात को १० बजे गिनती हुई थी और जब दोनों के बराबर बराबर मत आ गये तो दोनों ही उम्मीदवार चले गये तो रिटर्निंग ऑफिसर का यह ख्याल था कि जब तक दोनों उपस्थित न हों तब तक लॉटरी न निकाली जाये, इसलिए टौंक वह चला गया और वहां पर उसने राय ली तो पाया गया कि निकाल सकते थे तो फिर दूसरे दिन जाकर निकाल दी।

श्री भानसिंह (बयाना) : जब दूसरे दिन निकाली तो दोनों पार्टीज को इन्टीमेट किया था कि हम लॉटरी निकालेंगे और दोनों हाजिर हों।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, वे दोनों उम्मीदवार उपस्थित थे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपसे निवेदन करूं कि वहां जाकर राय ली तो टौंक में जाकर राय किससे ली ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : चुनाव अधिकारी, कलेक्टर या जो भी उनकी तरफ से दूसरा ऑथोराइज्ड हो। यह तो रूल्स का मामला था।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ये उनके पास उस समय मौजूद नहीं थे क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : शायद हों या नहीं हों, लेकिन कोई कन्फ्यूजन जरूर था; कुछ कह नहीं सकते।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपसे कहूँ कि कलेक्टर वगैरह से कन्सल्ट के लिए गये थे, तो जब रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

करते हैं उसको आप पूरी पॉवर्स देते हैं, जुडिशयल पॉवर्स भी देते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर को कलेक्टर से या वहां के राजा से पूछने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सबोर्डिनेट ऑफिसर को अगर कन्फ्यूजन हो किसी मसले पर तो ऊपर वालों से राय ले सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह कहा कि उसमें कनफ्यूजन है, तो मैं तो कहता हूँ कि यह सरपंच का चुनाव है उसके चुनाव में भी ऐसा वहां पर होता है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन लॉटरी को तो दोनों के सामने ही निकाला गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नहीं, दोनों के सामने नहीं निकाला गया। मैं गारन्टी के साथ कहता हूँ। आप कहते हैं उनके साथ नहीं आया. दूसरे रोज भी शाम को आया और टौंक के एम० एल० ए० भी थे, आप ऐसा जवाब देते हैं ! ऐसे ही अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल इलेक्शन्स हुए। उसके नोमीनेशन पेपर्स की की स्क्रुटिनी के पहले, दस रोज पहले, टौंक से आये। यह जनतन्त्र है क्या ?

प्रश्न संख्या १२५

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

टौंक डिस्ट्रिक्ट में हाउस लोन

१२६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सन् १९५९ से अब तक टौंक डिस्ट्रिक्ट में किस किसको हाउस लोन नये मकान बनाने के लिए दिया गया है ? कृपया नामवार रकम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह लोन देने के कोई नियम हैं तथा तहसील और ग्राम स्तर पर हाउस लोन देने की क्या व्यवस्था है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त लोन की किश्तें मुकर्रर हैं ? अगर हां, तो किस शरह से और अब तक किन किन की जमा हो चुकी है और किन किन में बाकी चली आती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) नामवार सूची जिनको हाउस लोन सन् १९५९ से अब तक नये मकान बनाने को जिला टौंक में मिला है सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, टौंक प्रॉपर में लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऋण दिया जाता है। तहसील व ग्राम स्तर पर ऋण पंचायत समितियों से दिये जाने की व्यवस्था ग्रामीण गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत है।

(३) जी हां, लो इन्कम हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऋण की पहली किश्त देने की तारीख से एक साल बाद की किश्तों में वसूली की जाती है। ग्रामीण गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत भी वसूली बराबर किश्तों

(श्री दामोदरलाल व्यास)

में सालाना होती है। वसूली व बाकीदारों का विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह जो लोन की सूची दी है इसमें लिखा है कि किश्त ड्यू हुई तो यह सालाना ड्यू हुई या अब तक की मिलाकर किश्त ड्यू हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किश्त ड्यू जब से ऋण दिया गया और जब किश्त ड्यू हुई वही दी हुई है ४३३ रुपये की।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपकी लिस्ट ४०-४५ आदमियों की है और उसमें से १२ की किश्त वसूल हुई और बाकी की नहीं हुई इसका क्या किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मतलब साफ है कि लोन की मन्जूरी हो गई, लेकिन लिया नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

जन-सम्पर्क विभाग के लेखाओं की जांच

१२७. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालक, जनसम्पर्क विभाग के हिसाब किताब के मामलों की जांच के लिए श्री राजगोपाल, आई० ए० एस० को नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो कब ? कृपया उनके नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि राजगोपाल का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण श्री दौलतसिंह, आई० ए० एस०, जागीर कमिश्नर को नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो कब ? कृपया उनके नियुक्तिपत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) उपरोक्त दोनों अधिकारियों ने अब तक क्या कार्य किया है ? कृपया उसका विवरण बतलाने का कष्ट करें।

(४) अब इस विषय की इन्क्वायरी कौन कर रहे हैं और इन्क्वायरी का क्या परिणाम निकला है ?

गृह-मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, नियुक्ति दिनांक २५-५-६० को की गयी थी। नियुक्ति-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(२) जी हां, नियुक्ति दिनांक १-७-६० को की गयी थी। नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(३) उपरोक्त दोनों अधिकारियों ने मार्च, ६० तक निम्नलिखित कार्य किया :

कुल ऑब्जेक्शन्स	ऑब्जेक्शन्स ए० जी० को भेजे गये
२६८	२२१
६,२१,६३१ रु० २३ नये पैसे	८,०४,३५८ रु० ६१ नये पैसे

इसके अलावा २० ऑब्जेक्शन्स रुपया २४,८११. ६७ नये पैसे जो पी० आर० ओ० के दफ्तर का है उनका हिसाब भी ए० जी० को भेजा जा चुका है।

Page No.7

(श्री रामकिशोर व्यास)

फिजिकल वैरीफिकेशन के ५१७४ आइ-टम्स (१,११,५६० चीजों) का फिजिकल वेरीफिकेशन किया गया था।

(४) इस विषय की इन्क्वायरी श्री गजेन्द्रसिंहजी, जागीर कमिश्नर, राजस्थान कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने निम्नलिखित कार्य किया है :

आब्जेक्शन्स ए० जी० को भेजे गये :
४४
५८,६८६ रु० ३५ नये पैसे

इसके अलावा २८ ऑब्जेक्शन्स रुपया ६०४०. ०४ नये पैसे जो पी० आर० ओ० के दफ्तर से संबंधित हैं उनका हिसाब ए० जी० को भेजा जा चुका है।

फिजिकल वेरीफिकेशन के १२७१ आइ-टम्स (२०,६७२) चीजों का फिजिकल वेरीफिकेशन किया जा चुका है।

अभी काम जारी है। फाइनल रिपोर्ट पेश किये जाने पर ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : ये जितने भी बिल्स, वाउचर्स या ऑब्जेक्शन्स इन एन्क्वायरी ऑफिसर्स ने ए. जी. के पास भेजे हैं वह गवर्नमेंट की तरफ से भेजे हैं या बाला-बाला ही भेजे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मुझे मालूम नहीं है, जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक ही गये होंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के अनुसार इस प्रकार के वाउचर्स, बिल्स और ऑब्जेक्शन्स सारे के सारे गवर्नमेंट के पास जाने चाहिए थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जाने चाहिए थे तो गये होंगे। यह अलग से पूछिये तो जानकारी बता सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह पूछा है। 'जाना चाहिए था'। 'गये होंगे', इससे काम चलने वाला नहीं है। आप बताइये कि आपके पास आये या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने यह दर्याफ्त नहीं किया है। मैं इसके लिए नोटिस चाहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपको मालूम नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिपोर्ट कम्प्लीट नहीं आई है इसलिए नहीं कह सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट नहीं, जिस टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में कहा है : 1. Examination of Audit Inspection Report, 2. Scrutiny of replies submitted by the Director of Public Relations, 3. Submission of detailed reports to Government from time to time on completion of scrutiny of replies to each Inspection Report.

अब आप कह रहे हैं कि ए. जी. के पास में भेज दिया है, जिन्होंने एन्क्वायरी की उन्होंने।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा है कि गवर्नमेंट के थ्रू जाता है तो गवर्नमेंट के

Page No.8

(श्री रामकिशोर व्यास)

भ्र गया होगा और डाइरेक्टली भेजने का होगा तो डाइरेक्टली भेजा होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या एन्क्वायरी ऑफिसर से जो ऑब्जेक्शन्स मांगे थे वे गवर्नमेंट ने स्वीकार करके ए. जी. के पास भेजे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो उन्होंने तय किये हैं उसके मुताबिक भेजे हैं।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई जांच नहीं की है क्या ? इस संबंध में क्या सरकार की ओर से कमिश्नर ऑफ डिपार्टमेंटल एन्क्वायरीज को नियुक्त कर रखा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हिसाब के लिए कोई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस विभाग की एन्क्वायरी के संबंध में ?

श्री रामकिशोर व्यास : हिसाब के लिए कोई नहीं कर रखा है।

श्री भैरोंसिंह : इस विभाग की एन्क्वायरी के लिए जिसमें हिसाब भी शामिल है।

श्री रामकिशोर व्यास : और भी कई एतराजात थे उसके लिए मुकर्रर किया है।

श्री भैरोंसिंह : जिसमें हिसाब किताब के मामले देखना भी शामिल है, क्या इस प्रकार के मामलों की इसमें जांच डिपार्टमेंट एन्क्वायरीज़ कमिश्नर भी कर रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो मैंने बताया कि कर रहे हैं। हिसाब-किताब की नहीं, बल्कि यहां एतराजात हुए थे, सदन में आये थे, उन चीजों के लिए है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कमिश्नर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरिज़ ने जांच के बाद रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश कर दी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास तो नहीं है, मेरे लेवल पर तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपके लेवल की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट के सामने पेश कर दी है या नहीं, चाहे आपके लेवल पर वह आये, चाहे सेक्रेटरी के लेवल पर ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप अलग से प्रश्न करें तो बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन तो किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न तो हिसाब-किताब के बारे में आया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, उसमें हिसाब-किताब भी है। डुप्लीकेट एन्क्वायरी चल रही है। हिसाब-किताब भी उसमें है, घर की बातें थोड़े ही थीं। उसमें हिसाब-किताब है और इसमें भी हिसाब-किताब है; उस हिसाब-किताब की रिपोर्ट पेश कर दी है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। आपने पूछा है; "जनसम्पर्क विभाग के हिसाब किताब के मामलों की जांच के लिए श्री राजगोपाल को नियुक्त किया गया" उसका मैंने जवाब दे दिया है। उसके बाद आपने पूछा है कि

(श्री रामकिशोर व्यास)

दौलतसिंह को मुकर्रर किया है वह किस तारीख को मुकर्रर किया है, वह मैंने बता दी । दौलतसिंहजी ने क्या क्या काम किया है, वह मैंने अर्ज किया है । उसके बाद जिनको एपॉइन्ट किया है उसने क्या काम किया है वह मैंने अर्ज कर दिया है । अब अलग से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको जानकारी करके अर्ज कर दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी है तो बतादें ।

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी आपको अवश्य है । उसमें २७ चार्जेज एस्टेब्लिश किये हैं उनमें से २४ चार्जेज को गवर्नमेंट के सामने रखा गया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने जितना पूछा है उसका बता दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : उसीका तो रिप्लाई चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : आप निश्चित नाम से सूचना मांगियेगा ।

श्री भैरोंसिंह : राजगोपाल के बाद में बार-बार आफिसर्स बदलते रहते हैं । असेम्बली में कुछ पॉइन्ट्स रखे तो कमिश्नर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरीज को मामला दे दिया । मामला सब जगह चल रहा है, परन्तु कार्यवाही कहीं नहीं हो रही है । रिपोर्ट पेश कर दी है और रिपोर्ट में वे सारे चार्जेज जो उन्होंने लगाये थे–Out of 27 charges, 14 have been completely established by the Commissioner of Departmental Enquiries.

श्री रामकिशोर व्यास : यह जो आपने फरमाया है कि इसको लगाया गया, उसको बदला, उसको हटाया, यह जिस तरह से आपने फरमाया है उस तरह से सही नहीं है । श्री राजगोपाल को मुकर्रर किया गया तो वह डेढ़ महीने के बाद ही कलेक्टर हो गये नॉरमल कोर्स में, और वह चले गये । उसके बाद में श्री दौलतसिंहजी को एपॉइन्ट किया गया । उन्होंने काम किया, लेकिन कुछ अर्से के बाद वे रिटायर हो गये और उनके बजाय गजेंद्रसिंहजी आये हैं और उन्होंने काम किया है । नॉरमल कोर्स में काफी वर्क हुआ है । उसके बाद में जो कुछ यहां कहा गया था उसके लिए कमिश्नर डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरीज को एपॉइन्ट किया था । उनकी एन्क्वायरी का आप कहते हैं कि उसका नतीजा आया है, उसकी मुझे जानकारी नही है । रिपोर्ट सब्मिट की है और उस पर कुछ एक्शन लेना है तो जरूर लिया जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह : टर्म्स ऑफ रेफरेन्स की कॉपी जो मुझे दी गई है, जिस समय दौलतसिंहजी को नियुक्त किया गया था, क्या उस समय भी यही टर्म्स ऑफ रेफरेन्स थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो इसमें लिखा है वे थे ।

श्री भैरोंसिंह : जो आपने मुझे दी है वही थे न ? दौलतसिंहजी को जब आपने नियुक्त किया है उस वक्त ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो इसमें लिखा है वह आपके सामने है, आपको दिया है उसमें मौजूद है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १२८

श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

टोंक जिले की पंचायत समितियों को मेड़बन्दी के लिये धन-राशि

१२९. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला टोंक की पंचायत समितियों को मेड़बन्दी अभियान के लिये कोई धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी गई है ? अगर हां, तो कितनी कितनी ? समितिवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या सरकार ने उपरोक्त समितियों में उक्त धनराशि के खर्च होने की कोई जांच करवाई है ? अगर हां, तो किसके द्वारा और जांच की क्या रिपोर्ट है ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मन्त्री, कृषि (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

मिडल स्कूल के भवन निर्माण हेतु धनराशि

१३०. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) एक मिडल स्कूल को भवन निर्माण हेतु कितनी धनराशि सरकार द्वारा दिये जाने के नियम है ?

(२) जालोर जिले की सांकड़ मिडल स्कूल व गुडा-हेमा मिडिल स्कूल को सरकार द्वारा किस किस वर्ष में आज तक कितनी कितनी धनराशि भवन हेतु दी गई है ?

(३) इस जिले की किन किन और मिडल स्कूलों को भवन हेतु धन-राशि दी गई है और कितनी ?

(४) सरकार ने जो मिडल स्कूलें अभी खोली हैं, उन स्कूलों के भवन हेतु इसी आधार पर जिस आधार से सांकड़ मिडल स्कूल को दी गई है धन-राशि सरकार देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) क्या यह भी सत्य है कि सांकड़ मिडल स्कूल व गुडा-हेमा मिडल स्कूल को सांचोर विकास खंड द्वारा भी भवन हेतु सहायता दी गई है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जब एक शाला खोली जाती है या उसका स्टेन्डर्ड बढ़ाया जाता है तो वहां की जनता द्वारा ही शाला भवन दिये जाने का नियम है, फिर भी विकास-कार्य की राशि में से उतनी ही धन-राशि सरकार द्वारा सहायता के रूप में दी जाती है जितनी राशि गांव वाले भवन निर्माण हेतु देते हैं । ऐसे मामलों पर विचार तब ही होता है जब कि संबंधित शिक्षा निरीक्षकों द्वारा प्रस्ताव आते हों ।

Page No.11

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(२) गुडा-हेमा माध्यमिक शाला को कोई राशि नहीं दी गई है। केवल सांकड़ माध्यमिक शाला को ५६–६० में ५,०००) रुपये की धन-राशि स्वीकृत की गई।

(३) जालोर जिले में सन् १९५९-६० में निम्न शालाओं को धन-राशि स्वीकृत की गई:—

१. राजकीय माध्यमिक शाला, पावटा	२०,०००) रु०
२. माध्यमिक शाला, नौखा	२,०००) रु०
३. माध्यमिक शाला समकद	२,०००) रु०
४. बड़गांव	१०,०००) रु०
५. कगड़ा	१०,०००) रु०
६. तवाव	१०,०००) रु०

(४) और शालाओं के भवनों के लिए धन-राशि देने पर अगर प्रस्ताव शिक्षा निरीक्षक के द्वारा प्राप्त होंगे तो दूसरी ऐसी शालाओं के साथ साथ सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन पर भी विचार किया जाएगा।

(५) यह सूचना सांचोर विकास खण्ड से प्राप्त नहीं हुई है। आने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सत्य है कि गुडा हेमा के मिडल स्कूल को ५,०००) रु० दिये गये हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

ज्युडिशियल सर्विसेज के अधिकारियों द्वारा जन्म-तिथि में परिवर्तन

१३१ श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या न्याय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे ?

१. राजस्थान की जुडिशियल सर्विसेज के किन किन अधिकारियों ने अपनी जन्म-तिथि में परिवर्तन कराया है ? कृपया इसकी तालिका, मय जन्म तिथि जो सर्विस रिकार्ड में थी और जो परिवर्तित कराई गई है, सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इस परिवर्तन की आज्ञा किसके द्वारा कब और क्यों दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि कई अधिकारियों की जन्म-तिथि बदले जाने के कूट लेख्य (Forged documents) का भी पेश किया जाना पाया गया ? यदि हां, तो किन किन की ?

(४) किन किन अधिकारियों की जन्म-तिथि में परिवर्तन किये जाने के लिये आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ?

(५) जिन जिन अधिकारियों ने परिवर्तन कराया है या कराये जाने के लिये आवेदन-पत्र दे रखे हैं उनके आवेदन-पत्र कब कब प्राप्त हुए हैं ?

विधि मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) राजस्थान न्यायिक सेवा के किसी भी अधिकारी ने अभी तक अपनी जन्म तिथि में परिवर्तन नहीं करवाया है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) कुछ अधिकारियों की जन्म-तिथि उनके सर्विस रेकॉर्ड में जो उनके हाई स्कूल

Page No.12

(श्री रामकिशोर व्यास)

प्रमाण-पत्र में थी, अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट से नहीं मिली थी, जिसकी सही जानकारी की कार्यवाही की जा रही है।

(४) किसी भी अधिकारी का, जो राजकीय सेवा में है, जन्म की तिथि के परिवर्तन का कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन नहीं है।

(५) किसी भी अधिकारी से जन्म-तिथि में परिवर्तन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : किन किन अधिकारियों की जन्म-तिथियों के रेकॉर्ड सर्विस शीट्स से नहीं मिलते थे ? आपने अभी बताया कि कई अधिकारियों की जन्म-तिथियां रेकॉर्ड से नहीं मिलीं या उनकी जानकारी नहीं मिली।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : थर्ड का आन्सर ठीक तरह से नहीं दिया गया।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया कि कुछ अधिकारियों की जन्म-तिथि उनके सर्विस रेकॉर्ड में जो उनके हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में थी, अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट से नहीं मिली थी, जिसकी सही जानकारी की कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : अच्छी तरह से नहीं सुना।

श्री रामकिशोर व्यास : फिर अर्ज कर दूं।

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ अधिकारियों की जन्म तिथि उनके सर्विस रेकॉर्ड में जो उनके हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में थी, अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट से नहीं मिली थी, जिसकी सही जानकारी की कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछ रहा हूँ कि किन अधिकारियों की इस तरह की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन रेकॉर्ड में जो डेट्स हैं वह हाईस्कूल के सार्टिफिकेट में जो डेट लिखी है, उससे डिफरेन्ट है। उसकी जानकारी की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : किन किन अधिकारियों की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो बहुत हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : बहुत कैसे हो सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे पता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इनको पता है और बताना नहीं चाहते कि किन किन अधिकारियों की नहीं मिल रही हैं।

श्री श्रीभानसिंह : This means the forging of documents and matriculation certificates were there.

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.) माननीय अध्यक्ष, हजारों हो सकते हैं राजस्थान में करोड़ों व्यक्तियों में से।

श्री श्रीभानसिंह : यह आपके समझने के बाहर की बात है।

श्री भैरोंसिंह : आपको पीछे बिठा लिया होता।

Page No.13

श्री रामकिशोर व्यास : जितने भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं उनके सर्विस रेकॉर्ड का वेरीफिकेशन किया जाता है और जिसमें डिफरेन्स होता है तो पूछते हैं कि यह क्या है ? अब वह किस किस का ऐसा डिफरेन्स है, जुडिशियल डिपार्टमेंट में हैं यह अलग सवाल है। वह पूछेंगे तो बताया जा सकता है। आपका क्वेश्चन यह था कि किन किन ने एप्लाई किया है डेट ऑफ बर्थ को चेन्ज करने के लिए, वह मैंने निवेदन कर दिया है। ऐसे कितने कितने केसेज़ पेन्डिंग हैं जिनमें यह डिफरेन्स है सर्विस रेकॉर्ड और सर्टिफिकेट्स की डेट में, तो मैं जानकारी करके अर्ज कर सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ और सर्टिफिकेट में जो एन्ट्री है उनमें डिफरेन्स है, तो उनमें से किन किन ने दुरुस्ती के लिये कहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रश्न में जो पूछा गया है उसमें से सेन्स इन्फर करता हूँ। इसको पढ़ देता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने वर्ड्स यूज किये हैं 'फोर्ज्ड डॉक्युमेन्ट्स' इसका गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिये कि फोर्ज्ड डॉक्युमेन्ट्स पेश किये हैं या नहीं किये हैं और यदि किये हैं तो किन-किन ने किये हैं, यह मैंने पूछा है।

श्री रामकिशोर व्यास : किसी ने डेट ऑफ बर्थ चेन्ज करने के लिये एप्लाई नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न नं० ३ का जवाब दिया जाय, उसमें मैंने पूछा है, "क्या यह सही है कि कई अधिकारियों को जन्मतिथि बदले जाने के कूट लेख्य (Forged documents) का भी पेश किया जाना पाया गया ? यदि हां, तो किन किन की ?"

श्री रामकिशोर व्यास : मैं बहुत नम्रतापूर्वक जवाब देता आ रहा हूँ कि फोर्ज्ड डॉक्युमेन्ट्स पेश नहीं किये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस बात की इन्क्वायरी कर ली है कि जिन्होंने डॉक्युमेन्ट्स बाद में दिये हैं वे फोर्ज्ड नहीं हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप जनरल बात पूछ रहे हैं। किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के बारे में पूछते तो बता सकता था।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी स्पष्ट हैं। उनके पास लिस्ट नहीं है कि किन किन ने पेश किये हैं या एप्लाई किया है, लेकिन उनके विभाग ने स्वयं ने जानकारी चाही है कि सर्टिफिकेट में और रेकॉर्ड में मतभेद क्यों है ?

श्री भैरोंसिंह : लेकिन जो ऑफिसर ऑन दी बर्ज ऑफ रिटायरमेन्ट हैं वे एक्सटेन्शन के लिये कोशिश कर रहे हैं, कोई एक साल के लिये चाहता है, कोई २ साल के लिये चाहता है तो कोई ३ साल के लिये चाहता है, सरकार वैसे तो एक्सटेन्शन देती नहीं है, लेकिन रेकॉर्ड खाली पड़े रहते हैं, मंत्री महोदय ढीले हैं और वे इस प्रकार से रद्दोबदल करवा लेते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मंत्रीजी ढीले हो सकते हैं, लेकिन होशियार भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : यदि वे होशियार होते तो इस हाउस में जवाब देते कि किस किस जुडिशियल ऑफिसर ने डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी की है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह रेकॉर्ड कई जगह रहता है। परिवर्तन का सवाल आता है तो किसी आदमी का आप पर्टिकुलर प्रश्न पूछिये फर्जी किसने पेश किये हैं तो मैं बता सकता हूँ। आपने पूछा कितने पेन्डिग हैं, तो मैंने यह कहा कि डेट बढ़ाने के लिये किसी की एप्लीकेशन नहीं आई। ऑटोमेटिक किसी का चल रहा है तो पूछूं, तभी जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूँ। इस वक्त कैसे बता सकता हूँ ?

श्री भैरोंसिंह : डेट बदलने का प्रश्न है इसके लिये किन किन ने आवेदन किया है ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिह : जानकारी सब कुछ है, बताने से गुरेज करते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कोई बात छिपाई नहीं है, जितनी जानकारी होती है कह देता हूँ।

श्री भैरोंसिह : बात छिपाने में तो आप जैसा और कोई मिनिस्टर नहीं होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : बात छिपाते नहीं हैं तो नाम बता दीजिये, आप भी यह महसूस करते होंगे कि कुछ न कुछ है इसलिये तो नाम पूछ रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी की डेट ऑफ बर्थ चेन्ज नहीं की गई, किसी ने इसके लिये एप्लाई नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट के पास ऐसे कई केसेज पेन्डिग हैं जिनमें कई आदमी रिटायर होने चाहिये थे, लेकिन डेट में डिस्प्यूट होने के कारण उनका रिटायरमेन्ट नहीं हो पाया ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिस्प्यूट के कारण किसी का रिटायरमेन्ट रोका नहीं गया।

श्री भैरोंसिह : क्या ऐसे भी केसेज हैं जिनमें डेट ऑफ बर्थ आगे होना बताया इसलिये उनका रिटायरमेन्ट नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

मालपुरा में अखिल भारतीय भेड अनुसंधान केन्द्र खोलने का आधार

१३२. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

( ) क्या सरकार को विदित है कि ता० २७-३-६१ से २६-३-६१ तक जिला टोंक में भेड़ प्रदर्शनी हुई थी ? अगर हां, तो किस स्थान पर ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भेड़ प्रदर्शनी में पहली इनाम तहसील निवाई और दूसरी तहसील उनियारा और तीसरी तहसील मालपुरा को सर्वश्रेष्ठ भेड़ों के लिए दी गई थी ?

(३) क्या यह भी सही है कि मालपुरा में अखिल भारतीय भेड़ अनुसन्धान केन्द्र खोलने की योजना हैं ? अगर हां, तो क्या अन्तिम निर्णय हो चुका है ? यदि हां, तो किन आधारों पर ?

(४) क्या यह सही है कि जयपुर डिवीजन के मुकाबले में जोधपुर और बीकानेर डिवीजन में भेड़ों की संख्या अधिक है और उनकी क्वालिटी भी श्रेष्ठ मानी गई है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

Page No.15

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कस्बा टौंक में दिनांक २७ और २८ मार्च, सन् १९६१ को प्रथम जिलास्तरीय प्रदर्शनी हुई थी।

(२) इस प्रदर्शनी में नीचे लिखे अनुसार पुरस्कार दिये गये :-

१. प्रथम पुरस्कार पंचायत समिति, निवाई।

२. द्वितीय पुरस्कार-पंचायत समिति, मालपुरा

३. तृतीय पुरस्कार-पंचायत समिति, टौंक तथा टोडारायसिंह

४. चतुर्थ पुरस्कार-पंचायत समिति उनियारा ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ भेड़ों के लिये दिये गये।

(३) जी हां, यह सत्य है कि मालपुरा में एक भेड़ अनुसंधान केन्द्र खोलने का भारत सरकार ने निर्णय किया है। यह निर्णय भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञों की समिति के प्रस्ताव के आधार पर किया गया है। यह एक केन्द्रीय संस्थान है और उसके विषय के सब निर्णय भारत सरकार से ही होते हैं।

(४) जयपुर डिवीजन की तुलना में जोधपुर डिवीजन में भेड़ों की संख्या अधिक है और बीकानेर डिवीजन में कम है। किन्तु जहां तक भेड़ों की श्रेष्ठता का संबंध है तीनों डिवीजनों की भेड़े अलग अलग कामों तथा गुणों के लिए श्रेष्ठ मानी जा सकती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह फरमाया कि भारत सरकार द्वारा खोला गया है, मालपुरा का नाम चतुर्थ श्रेणी में आता है और उनियारा, टोंक और निवाई के बाद में उसका नंबर आता है, फिर किस आधार पर २ करोड़ रुपयों की योजना बनाई जाती है ? कुछ न कुछ आधार तो मालूम होना चाहिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा है कि भारत सरकार की तरफ से विशेषज्ञों की एक समिति आई थी जिसने सारे इलाके का दौरा किया था। उनकी जो कंडीशन्स थी उनको पूरा करना चाहिए था। वे कंडीशन्स ये थीं—पहली यह कि ढाई हजार एकड़ जमीन चाहिये भेड़ें चराने के लिये और वहां की औसत रेन-फॉल १५ से ३० इंच होनी चाहिये। इसके साथ ही भेड़ों की किस्म वहां पर कैसी है, दूसरे इलाकों की भेड़ें वहां पर आकर सरवाइव करेंगी या नहीं। इन सब बातों की जानकारी के लिये विशेषज्ञों की कमेटी आई थी। उसने सब हिस्सों को देखा और हमने कलेक्टरों को चिट्ठी लिखी थी कि इन इन प्रवृत्तियों के अनुसार आप के जिलों में सुविधायें हैं तो लिखें, सब जगह कमेटी जायगी। कलेक्टरों के जवाब आये थे उसके बाद कमेटी गई थी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया कि भारत सरकार की कमेटी ने सब जगह भ्रमण किया, तो क्या उसके साथ में पब्लिक के नुमायन्दे गये थे या उनकी राय उसने ली थी और डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी शामिल थे ? आपने यह भी कहा कि ढाई हजार एकड़ जमीन चाहिए उसके बजाय अगर १० हजार एकड़ जमीन हो जाय जैसा कि मिनिस्टर साहब कहा करते हैं कि उनके यहां १७ हजार एकड़ है तो १० हजार एकड़ जमीन उपलब्ध हो जाय, वहां पर पानी की सुविधा हो वहां क्यों नहीं खोला गया ? जैसे कहा जाता है कि जोधपुर में बहुत ज्यादा भेड़ें हैं और शर्तों की पूर्ति वहां पर होती है तो

Page No.16

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

वहां पर क्यों नहीं खोला गया, कोई न कोई आधार तो खोलने का होना चाहिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस कमेटी में टेक्निकल आदमी थे, उन्होंने सबसे जानकारी ली, लोगों से लेनी थी तो लोगों से ली, एक्सपर्ट्स लेनी थी तो एक्सपर्ट्स लीं और बाद में निर्णय किया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : एक्सपर्ट्स से राय ली होगी, लेकिन सवाल यह है कि अनुसंधान केन्द्र किस जगह खोलना चाहिये; बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर में ६० प्रतिशत भेड़ें हैं तो वहां पर पहले खोलना चाहिए था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे तो एक ही क्राइटेरिया से कट जाते हैं, वहां पर औसत रेन फाल १५ से ३० इंच का नहीं होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर किस आधार पर केन्द्र खुलेगा ? भेड़ें तो रह गई अलग जगह और केन्द्र खुलेगा दूसरी जगह।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार द्वारा नहीं खोला जा रहा है, केन्द्र द्वारा खोला जा रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने बताया कि १५ से ३० इंच रेनफाल होनी चाहिये लेकिन जिस जगह केन्द्र खुल रहा है वहां पर तीन साल से फेमिन डिक्लेअर हो रहा है, कोई रेनफाल का एवरेज नहीं है। निवाई और उनियारा में ४० इंच वर्षा हो चुकी है, पहले यहां पर २४ इंच हुआ करती थी वहा अब ४० इंच होती है, वहां पर तालाब भी है, फिर वहां पर क्यों नहीं खोला जाता ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या १३३

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

पुलिस हिरासत में मरे व्यक्तियों के मामलों की जांच

*१३४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) १ अप्रेल सन् १९५७ से लेकर अब तक किस किस थाने में कौन कौन व्यक्ति पुलिस की हिरासत में कब कब मरे हैं या मारे गये हैं ? इसकी तालिका सदन की पर रखने का कष्ट करें।

(२) इनमें किस किस मौत की जांच संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है और कब कब ? इनका क्या क्या नतीजा रहा ? इन जांच प्रतिवेदनों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इन मामलों में किन किन पुलिस अधिकारियों का चालान किया गया और कब कब ?

(४) कितने पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई और क्या क्या ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) दिनांक १-४-५७ से ३१-७-६१ तक जिन

Page No.17

(श्री रामकिशोर व्यास)

व्यक्तियों की पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई उनका विवरण इस प्रकार है····

वर्ष	संख्या	नाम	थाना
१६५७	५	पेमा कन्जर	झालावाड़
		श्री सीताराम खाती	नवलगढ़
		श्री लट्टूर	अन्ता
		श्री इन्द्रचन्द सुनार	कोतवाली बीकानेर
		श्री प्रहलादसिंह	सिंघाना
१६५८	४	श्रीराम अहीर	माढन
		श्री रुन्ताराम	जी. आर.पी. थाना कोटा
		श्री रघुनाथ	लालसोट
		श्री बालू चमार	अराई
१६५६	५	श्री मलिया मीना	बहरोड़
		श्री मालिया मीना	गुड़ा
		श्री मुल्ला मीना	मलारना डूंगर
		श्री रामपाल बावरी	चौकीकुचिल
		श्री रिछपालसिंह	परबतसर
१६६०	४	श्री मूलचन्द सुनार	निम्बाहेड़ा
		श्री सोहनसिंह	हनमनगढ़
		श्री अजमेरी	रतनगढ़
		श्री भूरा दरोगा	रामगढ़ सेठान

(२) प्रश्न १ में बताये गये १८ व्यक्तियों में से १६ की मृत्यु के सम्बन्ध में सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों द्वारा जांच की गई। इनमें से ६ में पुलिस निर्दोष पाई गई व २ में पुलिस की लापरवाही से अभियुक्तों को आत्म-हत्या करने का अवसर मिल गया। ५ प्रकरणों मे पुलिस को जिम्मेवार ठहराया गया। जांच प्रतिवेदनों की प्रतिलिपि अभी अदालतों से प्राप्त नहीं हुई है।

(३) चालान किए गये पुलिस अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है :

१.	श्री रामबाबू, एस. आई.	३०-६-५७
२.	श्री गिरधरसिंह, एस. आई.	,, ,,
३.	श्री लादूसिंह, एस. आई.	१६-६-५६
४.	श्री बनवारीलाल, हेड कॉन्स्टेबिल	,, ,,
५.	श्री रूड़सिंह	,, ,,
६.	श्री राममूर्ति, एस. आई.	१४-४-६०
७.	श्री मनोहरसिंह, कॉन्सटेबिल	,, ,,
८.	श्री गुलमोहम्मद, कॉन्सटेबिल	,, ,,
६.	श्री छोगालाल, कॉन्सटेबल	,, ,,
१०.	श्री किशनसिंह, कॉन्सटेबिल	,, ,,

(४) २५ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की गई जिनमें से :-

१.	निर्दोष सिद्ध हुये	८
२.	सर्विस रोल वार्निंग	४
३.	१ वर्ष के लिए वेतन वृद्धि रोकी गई	१
४.	१ वर्ष के लिए वेतन वृद्धि रोकी गई	

Page No.18

(श्री रामकिशोर व्यास)

तथा निलम्बित काल का

३/४ वेतन जब्त किया किया १

५. २ वर्ष के लिये वेतन वृद्धि रोकी गई ४

६. ३ वर्ष के लिये वेतन वृद्धि रोकी गई १

७. सेन्सर किये गये १, तथा

८. विभागीय जांच जारी है ५.

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या एक के उत्तर में संख्या बतलाई है, उसमें कितने हिरासत में मर गये थे और कितने स्वयं सुसाइड करने के कारण से मरे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह बता दिया है कि इतने की डेथ हुई है।

श्री भैरोंसिंह : डेथ में एक डेथ तो मर्डर से हुई है....

श्री रामकिशोर व्यास : वह आगे के सवाल में जवाब दिया है। जो मजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई है, उसमें पांच के लिए कहा है कि गफलत से डेथ हुई है।

श्री भैरोंसिंह : पांच को पुलिस ने मारा ?

श्री रामकिशोर व्यास : पांच में पुलिस को रेस्पोन्सिबिल करार दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझ नहीं पाया। पता नहीं मेरे समझने में गलती है या माइक में गलती है।

श्री रामकिशोर व्यास : फिर समझ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : उत्तर में बताया गया है कि अदालती जांच के द्वारा किस तरह से कितनों को अपराधी पाया गया और किस तरह से फैसला किया गया, किसमें लापरवाही पाई, किसमें पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। आप पूछ रहे हैं कि कितनों को मारा और कितनों ने सुसाइड किया। मंत्री महोदय कह चुके हैं, आप उससे अन्दाज लगा लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी के अनुसार कितने नेचुरल डेथ से मरे हैं, कितनों को मारा है ? जिनने मारा है, उनका प्रोसिक्यूशन किया होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। मैं फिर अर्ज कर देता हूँ; १८ व्यक्तियों में से १६ की मृत्यु के सम्बन्ध में सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों द्वारा जांच की गई। इनमें से ९ में पुलिस निर्दोष पाई गई व २ में पुलिस की लापरवाही से अभियुक्तों को आत्म-हत्या करने का अवसर मिल गया। ५ प्रकरणों में पुलिस को जिम्मेदार ठहराया गया।

अब चालान किन किनका हो गया है, वह भी पढ़ दिया था, फिर पढ़ देता हूँ— रामबाबू, गिरधरसिंह.......

श्री भैरोंसिंह : १८ व्यक्तियों में से आपने बताया है कि १६ की मृत्यु हुई; इसमें से ९ हैं जिनकी मृत्यु हुई थानों के अन्दर और ७ निर्दोष पाये गये........

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि १६ केसेज में मजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई

Page No.19

(श्री रामकिशोर व्यास)
हैं। इनमें से ६ केसेज में पुलिस को दोषी करार नहीं दिया और पांच में पुलिस को दोषी करार दिया है और जिन जिन मामलात में चालान कर दिया है, उसकी लिस्ट मैंने पढ़ दी है।

श्री भैरोंसिंह : जिन केसेज में मजिस्ट्रेट ने पुलिस को रेस्पोन्सिबिल नहीं माना, उनमें डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हुई या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनमें डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी क्यों होती ? वे निर्दोष पाये गये, उनमें इन्क्वायरी क्यों होती।

श्री भैरोंसिंह : जो मजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई है, उसमें उन्हें निर्दोष पाया गया है। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होती है उन केसेज में डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी न होने के क्या कारण हो सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर फाइंडिंग्स में गिल्टी नहीं पाते हैं तो इन्क्वायरी की स्टेज नहीं आती है। जब मजिस्ट्रेट गिल्टी करार देता है, तब उसमें दो स्टेजेज आती हैं, एक तो कोर्ट को चालान और दूसरी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी। अगर चालान का केस होता है तो चालान होता है और अगर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का केस होता है तो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होती है।

श्री भैरोंसिंह : जिन केसेज में पुलिस को दोषी माना है, उनमें क्या हुआ ? सब व्यक्तियों का आपने चालान कर दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने लिस्ट दी है, जिनका चालान कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : लिस्ट मुझे दी नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं पढ़ देता हूँ

श्री अध्यक्ष : पढ़ने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। आपने वह लिस्ट पढ़ दी है, और जो तथ्य हैं वे सामने आ गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया है कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी इसलिए नहीं की क्योंकि मजिस्टीरियल इन्क्वायरी में निर्दोष पाये गये। मैं अब पूछ रहा हूँ कि मजिस्टीरियल इन्क्वायरी में जो दोषी पाये गये, उन सब का चालान क्या कर दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : चालान उनका किया गया है जो दोषी पाये गये। मैंने लिस्ट पढ़ कर सुना दी।

श्री भैरोंसिंह : क्या सबका चालान किया है या कुछ का किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिनका चालान किया उनकी लिस्ट पढ़ कर सुना दी।

श्री भैरोंसिंह : मुझे याद थोड़े ही है। आप बता दीजिये कि सबका चालान किया है या नहीं ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): बहुत सों का कर दिया हैं, बहुत सों का नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : जो फेक्ट्स हैं, जो आपने पूछे हैं, वे आ गये हैं। अब आप पूछ रहे हैं

Page No.20

(श्री अध्यक्ष)

कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जो दोषी पाये गये, उनका चालान किया गया है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यह कह दें कि किया है।

श्री अध्यक्ष : यह मान कर चलना चाहिए कि किया होगा।

श्री भैरोंसिंह : यह कह रहे हैं उसके मायने यह नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं केसवाइज अर्ज नहीं कर सकता हूँ। जिनका चालान किया उनकी लिस्ट है, यह मैंने पढ़ दी है।

श्री भैरोंसिंह : यह मैं कैसे मानूं। मेरे पास लिस्ट नहीं है। जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मान कर चलना चाहिए कि हुआ होगा। तो क्या मैं यह मान लूं कि उनका चालान हुआ है?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपको फिर नाम पढ़ दूं कि किन किन मामलों में चालान कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास लिस्ट है, आप बता दीजिये कि सब का हुआ है या नहीं?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास लिस्ट है, वह मैंने पढ़ दी है। उसमे १० आदमी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : चालान आपने कर दिया, लेकिन पुलिस की लापरवाही से जो मर चुके है, उनके परिवार के लिए कुछ किया है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भैरोंसिंह : One question. जिन व्यक्तियों को अदालत में मजिस्ट्रेट ने दोषी माना है उनमें दो का चालान क्यों नहीं किया है, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी पर ही क्यों संतोष कर लिया है?

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : यह बात मैं भी पूछना चाहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : जिन व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट ने दोषी पाया, उनमें से पाँच का चालान क्यों किया, दो के लिए डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी से ही क्यों संतोष किया गया?

रामकिशोर व्यास : कौन से?

श्री भैरोंसिंह : जो आपने संख्या बताई।...

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि पांच को दोषी ठहराया।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि सात को दोषी ठहराया, जिनमें से पाँच का चालान कर दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया कि पांच को दोषी पाया।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनका नेग्लीजेन्स ऑफ ड्यूटी का चार्ज लगा कर चालन किया गया है जिनमें मजिस्ट्रेट ने मृत्यु का कारण बताकर मृत्यु के लिए दोषी ठहराया था?

श्री रामकिशोर व्यास : मजिस्ट्रेट ने बताया है कि उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। कोई आदमी जा रहा था, वह भाग गया और कूए में गिर गया।

Page No.21

श्री भैरोंसिंह : जिन व्यक्तियों के डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हुई है, उनमें वे शामिल हैं जिन व्यक्तियों को दोषी ठहराया था ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री रामकिशोर व्यास : दोषी पांच केस में बतलाया है । दो केस अलग हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने सात बताया है, सात में दोषी बतलाया है ।

श्री अध्यक्ष : पांच केस हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : वह सुना नहीं आपने । पांच केस हैं ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

कोयले का विवरण

१३५. **रावराजा श्री सरदार सिंह** (उनियारा) : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में 'श्री हलवाई समिति' रजिस्टर्ड संस्था है ? अगर हां, तो कितने साल से व उसके कितने सदस्य हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ५ फरवरी, १९६१ को ७५ गाड़ी कोयले की रिजेक्टेड हार्ड-कोक व लोदना मिडलिंग का १ रेक लोदना कोलेरी से जयपुर स्टेशन के लिये बुक किया गया था ? अगर हां, तो यह किसको दिया गया था और किन आधारों को लेकर ?

(३) क्या यह सही है कि इन कोयलों की गाड़ी का वितरण करने को इस हलवाई समिति को भी आमंत्रित किया गया था ? अगर हां, तो उपरोक्त ७५ गाड़ियों में से उनको कितना दिया गया ? कृपया जिनको ये गाड़ियां दी गई हैं उनकी सूची देने की कृपा करें ।

(४) क्या यह सही है कि रिजेक्टेड हार्ड कोक की जो गाड़ियां आई हैं ये जनता में ९६० ७८ न० पै० प्रति क्विन्टल हार्ड कोक नं० १ के भाव से क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा बेची गई है जब कि रिजेक्टेड हार्ड कोक का कन्ट्रोल रेट सोफ्ट कोक के बराबर है ? अगर हां, तो क्यों ?

(५) क्या यह सही है कि रिजेक्टेड हार्ड कोक को हार्ड कोक नं० १ के भाव में बेच कर भाव फर्क का पैसा कोई एकाउन्ट में जमा हुआ है ? अगर हां, तो कहां ?

(६) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति के सोफ्ट कोक के परमिट में हार्ड कोक रिजेक्टेड लोड होकर आया ? अगर हां, तो वह किस भाव बेचा गया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां, यह सही है । जयपुर शहर में हलवाई समिति (रजिस्टर्ड) नाम की संस्था सन् १९५० से है, इसके हलवाई, होटल व रेस्टोरेन्ट आदि के करीब ३५० सदस्य हैं ।

(२) यह सही है कि लोदना कोलेरी का एक रेक जिसमें ५० वेगन रिजेक्टेड हार्ड कोक व २५ वेगन लोदना मिडलिंग जयपुर स्टेशन के लिए बुक होकर आया है । इनमें से मिडलिंग रेक से २५ वेगन औद्योगिक कार्य के लिये उद्योग विभाग से वितरित किये गये हैं व ५० वेगन रिजेक्शन हार्ड कोक जयपुर

Page No.22

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सहकारी क्रय-विक्रय समिति को जनता में वितरणार्थ दिये गये हैं। यह सहकारी समिति जयपुर शहर में कोयले के वितरण का कार्य करती है।

(३) हलवाई समिति को हार्ड कोक वितरण के लिए आमन्त्रित नहीं किया गया था। कोयले के अभाव से हलवाई समिति को उनके सदस्यों में वितरण करने हेतु ७ गाड़ियां इस रिजेक्टेड हार्ड कोक के देने का आदेश दिया गया था, मगर समिति ने ये गाड़ियां नहीं उठाईं।

५० वैगन हार्ड कोक में से २ वैगन राम मिष्ठान विक्रेता को, जो कि यहां के कुछ हलवाइयों का एक संघ है, दिया।

२ वैगन क्रय-विक्रय समिति, दौसा को।

८ वैगन हलवाई समिति, जयपुर को व

३८ वैगन जयपुर की जनता में वितरण के लिए क्रय-विक्रय संघ को।

कुल ५०

शेष २५ वैगन स्टेक लोदना मिडलिंग का वितरण निम्न प्रकार किया गया है :—

१ वैगन मेसर्स रामस्वरूप कजोरमल को

६ वैगन मेसर्स अजीतसिंह दिवानसिंह को

४ वैगन मेसर्स अग्रवाल ब्रॉदर्स को

४ वैगन मेसर्स बिरला एज्यूकेशन ट्रस्ट, पिलानी

४ वैगन मेसर्स एन पी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी, कान्तिचन्द्र रोड को

३ वैगन मेसर्स क्रय-विक्रय सहकारी समिति, जयपुर

कुल २५

(४) हां, जब यह कोयला जयपुर पहुंचा उस समय हार्ड कोक नम्बर १ के भाव से ही सहकारी समिति को चार्ज करने के आदेश दिए गए थे कि बिल प्राप्त होने पर भाव फर्क रकम गवर्नमेंन्ट अकाउन्ट में जमा करा ली जाएगी। उस समय यह मालूम नहीं था कि इसका भाव क्या होगा। उस समय कोयले की बहुत तंगी थी, सहकारी समिति से कितनी रकम गवर्नमेंट अकान्उट में जमा करा ली जाएगी, इसका निर्णय बिल अदा होने के बाद तय किया जायेगा।

(५) रिजेक्शन हार्ड कोक व हार्ड कोक नं० १ की दर में जो भी भाव फर्क रकम होगी वह समिति द्वारा गवर्नमेंट एकाउन्ट के हैड ३२ इन्डस्ट्री ज व सप्लाईज अदर मिस्लेनियस रिसीप्ट्स में जमा कराई जाएगी।

(६) सहकारी समिति को सोफ्ट कोक के परमिट में रिजेक्शन हार्ड कोक की कई एक बिल्टियों में लोड होकर आया, यह हार्ड कोक के भाव पर सहकारी समिति में विक्रय किया गया। इसके भाव फर्क की रकम गवर्नमेंट अकाउन्ट में जमा कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(१२ मध्यान्ह)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया कि हलवाई एसोसियेशन ने गाड़ियां

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

नहीं उठाईं, तो क्या आपने उनको नोटिस दिया था जिसके उत्तर में उन्होंने कोई कारण बताये थे कि इस वजह से हम नहीं उठा रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पूछा कि अलॉटमेन्ट किस किस के हुआ, वह मैंने बता दिया कि इन इन को अलॉटमेंट हुआ। किसने क्यों नहीं लिया, यह आप अलॉटी से पूछ लीजिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अलॉटीज से पूछ कर तो यहां पर पूछा ही गया है, आपको बताना चाहिये। वे गाड़ियां उन्होंने नहीं उठाईं तो उनको नोटिस दिया जाना चाहिये था और उनके उजरात पुनने चाहिये थे, इतना तो उनको पूछना चाहिये था कि क्यों नहीं उठाईं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

पाली जिले में सहकारी समितियां

१३६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पाली जिले में कहां कहां किस किस प्रकार की कृषि सहकारी समितियां हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इन समितियों का प्रत्येक का रजिस्ट्रेशन कब कब और किस अधिकारी द्वारा किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि इन समितियों का रजिस्ट्रेशन बिना जांच किए किया गया है तथा शेयर केपिटल के अनुपात से ज्यादा लोन दिया गया है तथा लोन का दुरुपयोग किया गया है ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) वांछित तालिका परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इसका उत्तर तालिका परिशिष्ट (क) में उपलब्ध है।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री दयाकृष्ण विजय : प्रश्न संख्या १३७ का उत्तर दिया जाय।

कपासन में होली के जुलूस पर लाठीप्रहार

१३७. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) [श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या गृहमंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे ;—

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष होली के जुलूस पर कपासन कस्बे में पुलिसद्वारा लाठी प्रहार किया गया ?

(२) यह लाठीप्रहार किस अधिकारी की आज्ञा से किया गया ?

(३) लाठीप्रहार से कितने व्यक्ति घायल हुए ?

(४) लाठीप्रहार के पश्चात् कितने व्यक्तियों को कब कब गिरफ्तार किया गया ?

(५) क्या यह सही है कि गिरफ्तार किये

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हुए व्यक्तियों को हवालात में भी बुरी तरह से पीटा गया ?

(६) लाठीप्रहार के कारणों के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई जांच करवाई है ?

(७) क्या यह सही है कि वहां के एस. डी. एम के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायतें की गई थी कि वे कुछ व्यक्तियों के घर बैठ कर ताश-जुआ खेलते हैं तथा इस शिकायत से चिढ़ कर बदला लेने की भावना से यह कार्य करवाया गया है ?

(८) क्या यह सही है कि कपासन में कई दिनों से थानेदार नहीं थे व जो सी. आई. थे वे होली का त्योहार न मानने वाले सम्प्रदाय के थे और इस कारण उन्होंने जान-बूझ कर यह झगड़ा खड़ा करवाया था ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(३) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(४) लाठीप्रहार नहीं किया गया, किन्तु जुलूस में शामिल व्यक्तियों द्वारा बलवा किये जाने पर दिनांक १०-३-६१ को प्रकरण संख्या २० दिनांक १०-३-६१ दफा १४७।१४६।३३२ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत १३ व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया।

(५) जी नहीं।

(६) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(७) इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार के पास प्राप्त नहीं हुई।

(८) कुछ रोज तक थानेदार नहीं थे और सी. आई. जो थे वे हिन्दू सम्प्रदाय के नहीं थे, किन्तु उन्होंने कोई झगड़ा नहीं करवाया।

श्री दयाकृष्ण विजय : इन लोगों को गिरफ्तार किया गया वह किस मामले में किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया कि कि रोइट (riot) में।

श्री दयाकृष्ण विजय : बलवा किससे हुआ, कैसे हुआ और क्या कारण थे, बताइये ?

श्री अध्यक्ष : मुकदमा चला है, केस रजिस्टर हुआ, उसके हालात यहां थोड़े ही बताये जा सकते हैं।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

पंच, सरपंच तथा प्रधानों का निलबन

१३८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) २ अक्टूबर, सन् १९५९ के बाद कौन कौन पंच, सरपंच तथा पंचायत समिति के प्रधान निलंबित किये गये हैं और क्यों ? कृपया नाम, पता तथा सम्बन्धित पंचायत या पंचायत समिति सहित तालिका सदन की सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उपरोक्त तिथि के बाद किन किन पंच, सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान को कब कब और क्यों अपने पदों से पृथक किया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No.25

उप-मंत्री, पंचायत (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) कारण सहित तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : जिन जिन लोगों को गबन के मामलों में निलंबित किया गया या पृथक किया गया है, क्या उनको पुलिस में दे दिया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनके मामलों को पुलिस को देने का सरकार विचार रखती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आम तौर से यही करना चाहिये पर अलग अलग केसेज को देखने से पता चल सकता है।

श्री भैरोंसिंह : अलग अलग देखने का सवाल नहीं। जो गबन के मामले माने जायेंगे तो क्या ऐसे सभी मामलों को पुलिस को सौंपने की सरकार की इच्छा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अलग केस दें तो कहा जा सकता है। सबके लिये नहीं कहा जा सकता। किसकी कैसी परिस्थितियां थीं, क्या इन्टेन्शन था; यह सब देखा जाता है।

श्री भैरोंसिंह : More than ninty percent केसेज ऐसे हैं जिनमें गबन लिखा है और गबन के चार्ज में उनको सस्पेन्ड या डिस्चार्ज किया है, तो इसमें दूसरा कोई चारा ही नहीं होना चाहिये कि इन गबन के मामलों को पुलिस में दिया जाय।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पंचायत समितियां और पंचायतें नई संस्थाएं हैं, हो सकता है कि कोई मामला गबन में आता हो, मयाद के बाद में दिया हो, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई हों कि दे नहीं सके हों; तो इन सब मामलों में रियल इन्टेन्शन देखने की आवश्यकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि जिनको निलंबित या पृथक किया गया है उनके इन्टेन्शन को ऐसा करने से पहले आपने नहीं देखा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जांच तो की गई है पर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस अलग चीज है और यह भी देखने की चीज है कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेन्स देखते हुए जो सजा दे दी गई है उसके अलावा क्रिमिनल केस बना कर और सजा दिलाने की तजवीज की जाय तो एक ही जुर्म के लिये उनके इन्टेन्शन और ग्रेविटी को ख्याल में रखते हुए और सजा दिलाना ज्यादा तो नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार के केसेज में सभी का प्रोसिक्यूशन करना सरकार के लिये लाजिमी हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३६
श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)
श्री मुरलीधर व्यास।

श्री प्रगतिशील श्रमिक संयुक्त सहकारी समिति लि० सरकावास को अनुदान अथवा ऋण

१४०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या पंचायत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला टोंक में श्री प्रगतिशील श्रमिक संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०, सरकावास को पंचायत समिति, देवली द्वारा कोई अनुदान अथवा ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो कितना और किस किस काम के लिये ?

(२) उक्त सहकारी समिति को दिये गये ऋण अथवा अनुदान का उपयोग ठीक प्रकार हुआ या नहीं ? पंचायत समिति द्वारा क्या कभी इस विषयक जांच की गई थी ? यदि हां, तो कब और उसकी क्या रिपोर्ट है ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(३ क्या उक्त कृषि सहकारी समिति को पंचायत समिति द्वारा बीज भी दिया गया था ? यदि हां, तो कितना कितना ? क्या पंचायत समिति ने इस बात की जांच की थी कि उक्त सहकारी समिति को दिया गया बीज वास्तविक उपयोग में आया ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां, भूमि-सुधार के लिए (१०००) रु० का अनुदान दिया गया था।

(२) अनुदान के लिए दी गई रकम का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। इस संबंध में पंचायत समिति द्वारा कोई जांच नहीं की गई।

(३) जी हां। ६० मन ८ सेर १२ छटांक गेहूँ का बीज दिया गया था। यह बीज उपयोग में नहीं लाया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : अनुदान की १०००) रु० की रकम काम में नहीं ली और बीज को काम में नहीं लिया इसके लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : वसूली की कार्यवाही की जा रही है, ठीक है पर कोई इस तरह से अनुदान ले ले और बीज के लिये बीज ले और उस काम में नहीं ले जिस काम के लिये लिया है तो केवल वसूली करने से क्या फायदा ? उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कार्यवाही की जायगी। १०००) रुपया जमीन को डेवलप करने के लिये दिया गया था, जमीन डेवलप तभी हो सकती है जब कि फरवरी में साख खड़ी हो। उसको हटाने के बाद में ही जमीन को डेवलप किया जा सकता है। तो कुछ जमीन को डेवलप कर लिया है, बाकी जमीन जिसमें पहले साख खड़ी थी उसको डेवलप करने के लिये रुपया बचा रह गया है। इतने दिनों नहीं किया था, इसके लिये नोटिस दिया गया है कि जमीन को डेवलप करने लिये जो पैसा दिया गया था और बीज के लिये जो बीज दिया गया था वह वापिस दिया जाय।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह अनुदान और बीज देने से पहले जांच की गई थी कि उनके पास कितनी जमीन है, या वे अब जमीन अलॉट करावेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसायटी है, तो ख्याल यही है कि उनके पास जमीन होगी, हालांकि मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : न जमीन है, न कोई बात है; यों ही ले लिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४१

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १४२ का उत्तर दिलाया जाये।

ग्राम पंचायत, कोदू कोटा के सरपंच

१४२. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया]: क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपया करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत, कोदू कोटा ने सीदड़ियां के पाडे नीलाम किये ? यदि हां, तो इनकी रकम पंचायत की रोकड़ में कब जमा हुई ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त सरपंच ने कमरुद्दीन हमाल को ११-७-५६ को पेड़ काटने के सम्बन्ध में नोटिस दिया परन्तु इस नोटिस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि सरपंच एवं उस व्यक्ति में परस्पर कोई गुप्त समझौता हो गया था ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच ने कालूसास के कुए के हेतु १०००) रुपये व स्कूल के हेतु ३००) रुपये लिये परन्तु अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है ?

(घ) क्या यह सही है कि हरनेई क्षेत्र के श्री मोहनलाल व श्री छीतरमल वैद्य को भूमि दी गई है ? यदि हां, तो कितनी व किस आधार पर ?

(ङ) इसी क्षेत्र के मांगू नायक की १५ बीघा का इन्तकाल क्यों नहीं खोला जाता है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री- पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां, भूतपूर्व सरपंच द्वारा २ पाडे नीलाम किये थे। उनकी रकम पंचायत कोष में दिनांक २७-३-६० को जमा हुई।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। रुपये सरपंच ने लिये थे, किन्तु यह सत्य नहीं है कि कोई कार्य नहीं हुआ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी, मांगू नायक को १५ बीघा खाली जमीन मौजा हरनेई में दी गई थी किन्तु जमीन चरनोट में आ जाने से उक्त भूमि के बजाय भीलवाड़ा में ६ बीघा नहरी जमीन दे दी गई है। अतः उक्त भूमि का वहां इन्तकाल खोलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब १५ बीघा जमीन डूब में आई है तो ६ बीघा ही क्यों दी गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहरी जमीन दी है, सभी जमीनें एक सरीखी थोड़े ही होती हैं।

Page No.28

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़ के अध्यापक

१४३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर): क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

( ) पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़ में पी० एस० आई० जी० को ट्रेनिंग देने के लिए कौन कौन अध्यापक हैं और उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि पी० एस० आई० जी० जो एल एल० बी० हैं उन्हें भी वे ही अध्यापक ट्रेनिंग देते हैं जिनकी योग्यता एल एल० बी० से कम है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) अध्यापकों के नाम व योग्यता इस प्रकार हैं :

नाम	योग्यता
(१) श्री जी.एस. राजोरा, आर. पी. एस.	बी. ए., एल एल. बी.
(२) श्री ओमप्रकाश, आर. पी. एस.	बी. ए., एम.ए. एल एल.बी.
(३) श्री अब्दुल वाहिदखान,	इन्टर तक
(४) श्री लक्ष्मीकान्त, सी. आई.	बी. ए., एल एल. बी.
(५) श्री भोपालसिंह, पी. आई.	पी. आई. परीक्षा पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से
(६) श्री गुरुचरनसिंह, सी. आई.	इन्टर, पी. टी. एस. सागर
(७) श्री डी. के. जैन, पी. एस. आई.	बी. एस. सी. एल एल. बी.
(८) श्री गोपाल शर्मा, पी. एस. आई.	बी. ए. एल एल. बी.

(२) ऐसी ट्रेनिंग में पुलिस में प्रेक्टिकल रूप की ओर विशेष ध्यान रखा जाता है अत: वे ही अध्यापक प्राय: रखे जाते हैं जिन्हें अच्छा तजुर्बा है और इसलिये हर एक अध्यापक का लॉ ग्रेज्युएट होना आवश्यक नहीं है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो क्या यह माना जावे कि अपोइन्टमेंट होते हैं वे पढ़ाई की योग्यता पर नहीं होकर एक्सपीरियेन्स की योग्यता पर होते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : दोनों पर ध्यान रखा जाता है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : कितने साल के एक्सपीरियेन्स होने पर अध्यापक की नियुक्ति की जाती है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह ।

श्री शान्तिदेवी, एक छात्रा

१४४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से सुश्री शान्ति देवी, पुत्री श्री जयनारायण, बलाई, निवासी निवाई, जिला टोंक सन् १६६०-६१ में पढ़ाई के

(श्री भैरोंसिंह)

लिए म. श. सदन हायर सेकन्डरी स्कूल, हटूंडी, अजमेर भेजी गई थी ?

(२) समाज कल्याण विभाग की ओर से इस छात्रा को किस किस प्रकार की सहायता दी गई और अब दी जाती है ?

(३) क्या इस छात्रा को सहायता दी जाने से पूर्व इसके पूर्व के जीवन के विषय (Post antecedents) में जानकारी प्राप्त कर ली गई थी ?

(४) क्या यह सही है कि इस छात्रा का अपने पति की हत्या के आरोप में पुलिस द्वारा चालान किया गया था जिसमें वह बरी हो गई ?

(५) क्या यह सही है कि इसी छात्रा को सन् १९६० में अपने बच्चे की हत्या के आरोप में पुलिस द्वारा चालान किया गया था जो अभी तक चल रहा है ?

(६) क्या यह सही है कि वनस्थली विद्यापीठ ने इस छात्रा का समाज कल्याण विभाग की सिफारिश के बावजूद आचरण-हीन होने के कारण एड्मिशन नहीं किया ?

(७) उपरोक्त परिस्थितियों में समाज कल्याण विभाग द्वारा किस कारण उसको हटूंडी में भर्ती करवाया जाकर उसको सहायता दी गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां।

(२) ४६ रु० प्रतिमाह, महिला शिक्षा सदन हटूंडी को छात्रा की शिक्षा, भोजन, वस्त्र, पाठ्य सामग्री, आदि व्यवस्था के लिये दिये गये। छात्रा के अनुत्तीर्ण होने के कारण इस वर्ष १९६१-६२ को सहायता नहीं दी जा रही है।

(३) संस्था प्रवेश के लिए साधारण जानकारी संस्था द्वारा की जाती है। कोई अन्य जानकारी नहीं ली गई।

(४) जी हां, जुर्म नहीं बना।

(५) जी हां, २१ जनवरी सन् १९६१ को उसे कोर्ट द्वारा बरी किया जा चुका है।

(६) जी नहीं, संस्था ने कोई कारण नहीं दिया।

(७) शिक्षार्थ व उपयोगी जीवन बनाने हेतु।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लक्ष्मीचन्द।

सांचोर सब जेल

१४५. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जालोर की सांचोर सब जेल में सुरक्षा के हिसाब से किस किस बात की कमी है और उस कमी को दूर करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(२) क्या जेल की सुरक्षा के लिहाज से डबल दीवारी व तारबन्दी होना जरूरी है ? यदि हां, तो क्या सांचोर सब जेल में यह कमी है ? यदि कमी है, तो उसकी पूर्ति के लिए सरकार क्या विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) जिला जालोर की सांचोर सब जेल में सुरक्षा के हिसाब से सामने के बरामडे में

Page No.30

(श्री रामकिशोर व्यास)

लोहे के जंगले लगाने की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिये इस आइटम को १९६२-६३ के बजट के न्यू आइटम्स में शामिल किया जा रहा है।

(२) डबल दीवारी साधारणतया सब जेलों पर यानी जुडिशियल लोकअप्स पर होना जरूरी नहीं है। सांचोर सब-जेल के चारों तरफ तारबन्दी के आइटम को सन् १९६२-६३ के न्यू आइटम्स के बजट में शामिल कर दिया गया है क्योंकि वहां अन्य अदालतों व लोगों का आवागमन होने से जेल की हदूद नियत कर देना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द।

कोषाध्यक्ष कार्यालय द्वारा टोकन

१४६. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या सरकार के ऐसे नियम हैं कि जो बिल कोषाध्यक्ष कार्यालय में पास होने के लिये आता है उसके सम्बन्ध में कोषाध्यक्ष कार्यालय द्वारा पीतल का टोकन दिया जाना चाहिये।

(२) क्या यह भी सही है कि जिला जालोर के कोषाध्यक्ष कार्यालय द्वारा बिल लाने वालों को टोकन नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और राजस्थान में ऐसी कितनी ट्रेजरीज हैं जिनमें टोकन नहीं दिया जाता है ?

उप मंत्री वित्त (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सरकार ऐसा कोई नियम निर्धारित नहीं है जिसके अनुसार बिल पास कराने वाले को कोषाध्यक्ष कार्यालय द्वारा पीतल का टोकन देना अनिवार्य हो।

(२) हां. यह सही है कि जालोर का कोषाध्यक्ष कार्यालय बिल लाने वालों को पीतल का टोकन नहीं देता क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है। राजस्थान में ऐसी १८ ट्रेजरीज हैं जहां पर टोकन नहीं दिया जाता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : बाकी दूसरी ट्रेजरीज में कैसे दिये जाते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नियम नहीं है। कोई दे देते हैं लेकिन नहीं दे तो उसके लिए देना जरूरी नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : चन्द ट्रेजरीज में नहीं दिया जाता है। ज्यादा में दिया जाता है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इससे कोई नुकसान हुआ हो तो आप बता दें।

श्री लक्ष्मीचन्द : टोकन से लोगों को नम्बर वाइज की सहूलियत रहती है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : टोकन तो सिर्फ रिकॉगनाइजेक्शन के लिये है। अगर कोई गड़बड़ी हो आप बतावें; उसको रोकने के लिए इसको अनिवार्य रूप से जारी किया जाए।

श्री लक्ष्मीचन्द : टोकन से यह मालूम रहता है कि पहले कौन से व्यक्ति ने अपना बिल दिया और बाद में किसने दिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मुरलीधर व्यास।

पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच के मामले

१४५. श्री मुरलीधर व्यास (बीका-

(श्री मुरलीधर व्यास)

नेर सिटी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) पशुपालन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कुल कितनी इन्क्वायरीज विचाराधीन हैं और कितने अर्से से ?

(२) जिन जिन अधिकारियों के खिलाफ दोष साबित हो चुके हैं, उनके खिलाफ सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

पशुपालन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) पशुपालन विभाग में कुल ११ अधिकारियों व ६ कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें हैं जिनकी सूची मय समय के संलग्न है।

(२) श्री मोहम्मद शरीफ जिसके खिलाफ दोष साबित हुआ उन्हें राज्य-सेवा से मुक्त कर दिया। अन्य सभी की जांच जारी है।

(कृपाया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुझे सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना है। मेरे पास जो लिस्ट आई है उसमें १७ हैं।

श्री नाथूराम मर्धा : मैंने थोड़ा अधिकारियों और कर्मचारियों में भेद कर दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने अधिकारियों और दूसरों में भेद क्यों रखा है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द : प्रश्न संख्या १६८.

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न यह है कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कुल कितनी इन्क्वायरीज विचाराधीन हैं और कितने अर्से से ? इसका उत्तर दे दिया कि १७ आदमियों के खिलाफ। अब आप अगर पूछें कि किस किस के खिलाफ क्या जांच चल रही है, तो यह नहीं बताया जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : बस्सी फार्म में अभी हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : यह चीज इसमें अब नहीं जोड़ी जा सकती। बगैर पहले पूछे हुए इन १७ आदमियों के खिलाफ चार्जेज कैसे बताये जा सकते हैं,

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह गबन का मामला है।

श्री अध्यक्ष : यह आपने पूछा नहीं है। जो आपने पूछा उसके लिए जवाब दे दिया गया है। मैं पहले भी माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर चुका हूँ कि वे बैक डोर से गवर्नमेंट को प्रश्न पूछने की कोशिश न करें। सीधा प्रश्न पूछ लें, ताकि उसका उत्तर मिल जाए।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न द्वारा हम सरकार से इन्फोरमेशन सीक करते हैं।

श्री अध्यक्ष : जिस चीज के लिये आपको इनफोर्मेशन सीक करनी है उसको साफ तौर से पूछना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर हम सब कुछ पहले से ही बता देंगे तो फिर सरकार क्या बताएगी ? हमें सरकार से इन्फोर्मेशन प्राप्त करने की जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष : मैं कहता हूँ उसको समझने की कोशिश करें । आप किसी मुद्दे पर जानकारी चाहते हैं तो उसके लिये बगैर पूछे हुए कोई भी कैसे आपको जानकारी दे सकता है ।

नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द ।

कोषाध्यक्ष द्वारा पेन्शन का भुगतान

१०८. **लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या वित्त मंत्री, निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार के ऐसे नियम हैं कि पेन्शन पाने वालों का भुगतान सीधा कोषाध्यक्ष को ही करना चाहिये ?

(२) क्या यह भी सही है कि जिला जालोर में पेन्शन पाने वालों को रकम का भुगतान कोषाध्यक्ष, जालोर द्वारा नहीं किया जाकर स्टेट बैंक, बीकानेर, शाखा जालोर व सब ट्रेजरी द्वारा करवाया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) राजस्थान में किन किन कोषाध्यक्षों द्वारा पेन्शन का भुगतान स्वयं न करके सब ट्रेजरी या बैंक द्वारा कराया जाता है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप मंत्री वित्त (श्री पूनमचन्द-बिश्नोई) : (१) ऐसा कोई नियम नहीं है कि पेन्शन का भुगतान सीधा कोषाध्यक्ष ही करें ।

(२) हां । यह प्रबन्ध प्रशासनिक सहूलियत और पेन्शनरों की स्वेच्छा और खर्च की बचत की दृष्टि से किया गया है ।

(३) तालिका संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ को देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : कोषाध्यक्ष चार में है । इन दोनों में फर्क क्या है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सहूलियत की दृष्टि से है । जहां बैंक है वहां ट्रेजरी भी है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सरकार के ध्यान में है कि इससे लोगों को तकलीफ होती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आम तौर से कोई शिकायत नहीं है । इसलिए हम यह मानते हैं कि उनको कोई शिकायत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १४६

श्री लादूराम मुलासिया ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

जालोर में सेन्ट्रल मोर्टगेज कोऑपरेटिव बैंक

१५०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जालोर में सेन्ट्रल मोर्टगेज कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब हुई और उसकी स्थापना के

Page No.33

(श्री लक्ष्मीचन्द)

बाद से आज तक किस किस सोसाइटी को लोन कितना कितना दिया गया है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । यदि नहीं दिया गया, तो क्यों नहीं व कितनी अर्जियां पेन्डिंग हैं ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा : जालोर में कोई सेन्ट्रल मोर्टगेज कोऑपरेटिव बैंक स्थापित नहीं हुआ है । अतः अन्य बातों का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दयाकृष्ण विजय ।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय पर छाप।

११५ श्री दयाकृष्ण विजय : (छबड़ा) क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि एन्टी-करप्शन पुलिस ने राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय पर मई सन् १९५९ में छापा मारा था ?

(२) यदि हां, तो क्यों तथा इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

(३) क्या पुलिस ने कोई केस राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के विरुद्ध कोर्ट में दाखिल किया है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं । शिकायत प्राप्त होने पर केवल प्रारम्भिक जांच की गई थी ।

(२) जांच समाप्त हो चुकी है ।

(३) जी नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह जांच किसके द्वारा की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : एन्टी करप्शन के द्वारा ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने कुछ इर्रेगुलेरिटीज पाईं और लिखा कि कुछ इर्रेगुलेरिटीज हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकरणसिंह ।

मलपुरा और रामपुरा को केन्द्र बनाने की सिफारिश

११२. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील कोटपूतली; जिला जयपुर के केशवाना और पवितपुरा ग्राम को मलपुरा और रामपुरा के बजाय केन्द्र किस दृष्टि से बनाया गया ?

(ख) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् की सिफारिश मलपुरा और रामपुरा को केन्द्र बनाने की होते हुए भी नहीं बनाया गया ?

उप-मन्त्री,पंचायत (श्री पूनमचन्द विश्नोई):(क) प्रस्तावित रूप-रेखा में केन्द्र मलपुरा में ही बताया गया था, इस संबंध में पुनर्सीमा समिति के समक्ष आपत्ति पेश हुई कि प्रबन्ध

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

और शासन व्यवस्था के लिए केश्वाना को केन्द्र रखना ठीक होगा। समिति ने यह आपत्ति स्वीकार की और केश्वाना को केन्द्र बनाया।

प्रस्तावित रूपरेखा में पंडितपुरा को केन्द्र बनाया गया। इस सम्बन्ध में पुनर्सीमा निर्धारण समिति के समक्ष आपत्ति पेश हुई कि पंडितपुरा के बजाय केन्द्र रामपुरा में रखा जावे, पंचायत क्षेत्र में पंडितपुरा मध्य में होने तथा रामपुरा ग्राम के एक कोने में स्थित होने के कारण पुनर्सीमा निर्धारण समिति द्वारा यह आपत्ति अस्वीकार कर दी गई।

(ख) प्रश्न १ के उत्तर में इस प्रश्न का उत्तर भी दिया जा चुका है।

श्री **रामकरणसिंह** : आपने बताया कि पुनर्सीमा समिति के समक्ष आपत्ति पेश हुई और यह बताया कि मलपुरा के बारे में वहां आने जाने की सुविधा और साधन या प्रशासन की दृष्टि से यह किया है, मैं यह कहूंगा कि जिला परिषद् और पंचायत समिति ने सब बातों को देख कर ही कहा था। अभी जो राष्ट्रीय मार्ग बनाया जा रहा है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने निवेदन किया कि हाई पॉवर कमेटी बनाई गई थी। उसने सब जांच की और निर्णय लिया उसके अनुसार यह पंडितपुरा को केन्द्र बनाया गया।

श्री रामकरणसिंह : जो पंचायत समिति और तहसील के लोगों के प्रस्ताव आये उनको न मानकर हाई पॉवर कमेटी ने दूसरा निर्णय दिया यह क्यों ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२. २०. म. प.

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री दामोदरलाल व्यास राजस्व मन्त्री अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत एवं विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएँ सदन की मेज पर रखता हूँ :

(क) अधिसूचना संख्या एफ.११६ (४) पी. एस. । रूल्स । ऑर्डर । डी. डी ।६१ । ७२३८३-८८४, दिनांक २१ अप्रेल, १६६१: जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (कन्डक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेन्डिंग कमिटीज नियम, १६५६ में संशोधन किये गये हैं।

(ख) अधिसूचना संख्या एफ. २ (५) प्लान । बी । ५६ दिनांक २० फरवरी, १६६१ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (को-ऑप्शन ऑफ मेम्बर्स) नियम, १६५६ में संशोधन किये गये हैं।

(ग) अधिसूचना संख्या एफ ४ (एल.जे.) २५।१५।४१६७० दिनांक २६ जुलाई १६६१: जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत एण्ड न्याय पंचायत इलेक्शन रूल्स, १६६० में संशोधन किये गये हैं।

(घ) अधिसूचना एफ २ (१६) प्लान । बी । ५६ । १०६८६ दिनांक २४ मार्च, १६६१: जिसके द्वारा राजस्थान जिला परिषद् (कोऑप्शन ऑफ मेम्बर्स) नियम, १६५६ में संशोधन किये गये हैं।

(ङ) अधिसूचना संख्या एफ. पी. एस । रूल्स ।६०। ए. ए ७२६४३-४५ दिनांक २८ नवम्बर, १६६०: जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (कन्डक्ट

Page No.35

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऑफ बिजनेस) नियम, १९६० प्रकाशित किये गये हैं।

(च) अधिसूचना संख्या एफ. ११६ (१४) पी. एस. रूल्स । को ऑर्ड । डी. डी ६१।७१०८२-६८२, दिनांक १४ अप्रेल, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (कन्डक्ट ऑफ बिजनेस) नियम, १९६० में संशोधन किया गया है।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(१२.२२ म. प.)

राजस्थान वन (संशोधन) **विधेयक १९६१**

(खण्डशःविचार-विमर्श एवं पारित)

श्री सम्पतराम (वन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान फोरेस्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव यह है कि राजस्थान फोरेस्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज २.श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २ में मेरा एक अमेन्डमेन्ट है।

"Replace the words 'to any other officer or authority named in such notification' by the words 'to a tribunal specially constituted for the purpose.'"

अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, इसके जो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स दिये हैं, उनमें बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेन्ट को सैक्शन २२ के मातहत पॉवर्स दिये गये हैं जो जुडिशियल नेचर के हैं :

"Involving a judicial hearing of certain csses. Goverment have, long back taken the decision that this type of work should be transferred to the Board of Revenue or other tribunal and should not be oonducted in the Secretariat by the Minister or by the Secretary on his behalf." So Government's decision was that this work should be transferred to the Board of Revenue or other tribunal. Subsequently, it is said that: 'In implementation of that decision, it is considered necessary to amend the said act by inserting therein a provision empowerig the Goverment to delegate its powers of the aforesaid nature to the Board of Revenue or any other officer or authority. Hence the Bill."

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेन्ट का डिसीजन था वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या ट्रिब्युनल को पॉवर्स डेलीगेट करने का था। पॉवर सौंपने का है; that was the Govenment decision and to implement the decisipon वर्डिंग ये रखे हैं। ट्रिब्युनल रखा है। लेकिन किसी अफसर को दे सकते हैं; जैसा सेक्रेटरी करता था या मिनिस्टर करते थे। अब इसमें अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं।

Page No.36

(श्री पी. के. चौधरी)

उनके पास न रख कर 'बोर्ड ऑफ रेवेन्यु' या 'ट्रिब्युनल' के पास जाय। मैं समझता हूँ, जब गवर्नमेन्ट का अमेन्डिंग बिल है, उनके एग्जेक्ट डिसिजन है, उनका पालन नहीं होता है, rather it will be another reversion to the existing circumstances जैसा कोई सेक्रेटरी करता था या मिनिस्टर करता था हो सकता। है कि इसके बाद असिस्टेन्ट सेक्रेटरी या किसी अफसर को पॉवर डेलीगेट कर सकते हैं। स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में बताया है, उसमें क्लीयर डिसिजन यह था, it should be transferred to the Board of Revenue or to a Tribunal, तो "Any oficer" का ट्रिब्युनल करते हैं तो स्टेट्स नहीं दे सकते unless that officer is appointed as Tribunal. ट्रिब्युनल का मतलब यह नहीं होता है कि तीन आदमी हों Tribunal can be a single member Tribunal. We can appoint an officer with the status of a Tribunal.

तब जाकर क्लाजी नेचर का हो सकता है, जुडिशियल हियरिंग का हो सकता है। यह जो अमेन्डमेन्ट गवर्नमेन्ट का है उसकी मंशा यह है कि किसी अफसर को भी रख सकते हैं। लेबर ट्रिब्युनल है, एक ही आदमी का है। तो एक आदमी का भी आप ट्रिब्युनल अपोइन्ट कर सकते हैं। गवर्नमेन्ट की यह दलील नहीं हो सकती कि ट्रिब्युनल रखेंगे तो एक का न होकर तीन-चार आदमियों का ही रखेंगे। इसलिए मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है: 'any other officer or authority' 'ऑथॉरिटी' रखी है उसको डिलीट करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में किया गया है उससे ऐसा आभास होता है कि सरकार इस प्रकार के पॉवर्स क्लाजी जुडिशियल ऑथॉरिटी का देना चाहती है और वैसी स्थिति में सरकार ने रेवेन्यू बोर्ड को इसके लिए उचित समझा। लेकिन रेवेन्यू बोर्ड के साथ साथ फिर ऐसा लगता है कि सरकार ऐसा निर्णय भी ले ले और यह काम अपने डिस्क्रिशन पर रख ले कि जिस मसले को सरकार क्लाजी जुडिशियल ऑथॉरिटी के सामने भेजना चाहती है उस मसले को सरकार क्लाजी जुडिशियल ऑथॉरिटी के पास भेज दे और स्वयं डिसिजन करना चाहे तो 'any other officer' इन शब्दों के नाते वह खुद भी अपना निर्णय दे दे। या तो सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि इस प्रकार की मंशा नहीं है कि क्लाजी जुडिशियल ऑथॉरिटी के पास न जाय। यदि इस प्रकार के मसले क्लाजी जुडिशियल ऑथॉरिटी के पास जाने चाहिये और सरकार की यह मंशा है कि ये जाने चाहिये। तो कोई कारण नजर नहीं आता है कि सरकार को अपने पॉवर्स डिसेन्ट्रलाइज नहीं करने चाहिये। आज मंत्री महोदय के हाथ में शक्तियां हैं, उनके कारण अथवा अन्य किसी कारणवश सरकार ने यह निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ कि कोई कारण बनता है तो उसके पीछे कोई न कोई अनुभव होता है और इसीलिए सरकार ने अनुभव किया होगा कि इस प्रकार के मसलों पर एग्जीक्युटिव बेसिस पर सरकार निर्णय लेती रहेगी तो उससे लोगों

(श्री भैरोंसिंह)

को न्याय नहीं मिलेगा। जब लोगों को न्याय न मिले और सरकार का अनुभव है कि एग्जीक्युटिव अथॉरिटी से न्याय नहीं मिलता है तो सरकार को यह अनुभव हुआ कि ऐसी अथॉरटी के सुपुर्द कर दिया जाय जो न्याय दे सके।

इसी लिये सरकार ने जुडिशियल अथॉरिटी और क्लॉजी जुडिशियल अथॉरिटी को काम सुपुर्द करने का निर्णय लिया। लेकिन इस निर्णय के बावजूद भी जिस अनुभव के आधार पर निर्णय लिया उसके बावजूद भी सरकार सारी स्थिति को अपने हाथ में रखना चाहती है। सरकार को डिस्क्रिशनरी पॉवर्स हो गये। वह किसी मसले को चाहे तो रेवेन्यू बोर्ड में भेज सकती है, किसी मसले के लिये ट्रिब्यूनल या अन्य अथॉरिटी नियुक्त कर सकती है या किसी अफसर के सुपुर्द कर सकती है। इस प्रकार से ये दोनों चीजें एक दूसरे से कन्ट्राडिक्टरी मालूम देती हैं जो सरकार के अनुभवों के विरोध में जाती हैं, सरकारी निर्णय के विरोध में जाती हैं और न्याय पाने का जो सर्व-साधारण का तरीका है उसके विरोध में जाती हैं। इसकी अपील जुडिशियल और क्लॉजी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने हो सकती है इस प्रकार का निर्णय करने का अधिकार अपील करने वाले को होता है, किन्तु उसको नहीं होता है जो अपील करने के बारे में व्यवस्था दे। वह जुडिशियल कोर्ट में जाय या रेवेन्यू बोर्ड में जाय, यह उसका अपना अधिकार है लेकिन सरकार की ओर से अगर इस प्रकार का निर्णय करने की व्यवस्था रही तो सरकार जिस कोर्ट में भेजना चाहेगी वह भेज सकेगी। जहां उसको न्याय-संगत तरीका सजेस्ट करने की जरूरत होगी वह सजेस्ट नहीं करेगी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिये जहां क्लॉजी जुडिशियल अथॉरिटी से काम बनता हो तो वहां उस मामले को भेजेगी और किसी अधिकारी से काम बनता हो तो वहां उसका ट्रिब्यूनल नियुक्त करवा देगी। इसका मतलब यह हुआ कि पॉवर्स को डिसेन्ट्रेलाइज किया है, लेकिन अपनी इच्छा को उसमें स्थान दिया है। जहां वे सोचेंगे कि यह बॉडी अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य कर सकेगी तो उसी को वह मामला भेज सकेगी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति में एक प्रोसीजर है, एक एस्टेब्लिश्ड प्रेक्टिस और कन्वेन्शन है कि किसी मामले की अपील करने का अधिकार एक बार जुडिशियल अथॉरिटी या क्लॉजी जुडिशियल अथॉरिटी को दे देते हैं, उसके अधिकारों के बारे में यदि एग्जीक्यूटिव पॉवर्स देने का नियम बनाते हैं तो जुडिशियल प्रेक्टिस में विरोध आयगा। आपने यह निर्णय लिया अनुभव के आधार पर बहुत अच्छा किया। अब अपने पास डिस्क्रिशन यूज कर सकें इस प्रकार के अधिकार न रख कर रेवेन्यू बोर्ड को दे दीजिये। यदि अनुभव के आधार पर यह निर्णय लेते हैं और उसको उसी रूप में एग्जीक्यूट करते हैं तो अपील और रिवीजन का जो बर्डन आने वाला है वह कम होगा। उसमें जो आपका समय लगता था वह बचेगा और बचे हुए समय में प्रशासन को सुधारना; यदि आप चाहेंगे तो सुधार सकते हैं। जुडिशियरी अपना अपना काम करती रहे और आप अपना काम करते रहें; इन्हीं शब्दों के साथ फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फोरेस्ट अमेन्डमेन्ट बिल, १६६१, जो सदन में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है और जिसमें फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन-प्रस्ताव अभी सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में, मैं समझता हूँ, माननीय मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जैसा कि इस विधेयक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में दिया हुआ है, अध्यक्ष महोदय, उसके अनुरूप इस विधेयक में व्यवस्था नहीं की गई है। जानबूझकर नहीं की है या अनजाने में व्यवस्था करने से रह गई है, यह मैं नहीं मानता। माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है वह संशोधन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के अनुरूप है, उसके विपरीत नहीं। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को हम अगर पढ़ें तो उसमें साफ लिखा है:

"Government have, long back, taken the decision that this type of work should be transferred to the Board of Revenue or other tribunal and should not be conducted in the Secretariat by the Minister or by the Secretary on his behalf."

स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में साफ लिखा है कि इस प्रकार फॉरेस्ट एक्ट के तहत धारा २२ के अन्तर्गत राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है उसके अन्तर्गत जो अपील सुनने का प्रावधान है वह अधिकार राज्य सरकार ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दूसरे ट्रिब्यूनल्स को देने का प्रावधान किया है। आप जहां तक ये अधिकार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे देते हैं उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ में जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में रखा है दूसरे ट्रिब्यूनल्स को भी देना चाहेंगे। आपने जो ट्रिब्यूनल की बात लिखी, कानून बनाया उसमें आपने लिखा है:

"The State Government may, by notification in the official Gasette, delegate all or any of its powers under this section to the Board of Revenue or to any other officer or authority named in such notification"

मेरी समझ में नहीं आता कि जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अधिकार देना चाहते हैं, उसके साथ में दूसरे ट्रिब्यूनल्स को भी देना चाहते हैं, फिर उसके बाद ऑफिसर और ऑथॉरिटी की बात क्यों लिखी ? ऑफिसर और ऑथॉरिटी ट्रिब्यूनल में आते। आप चाहे ऑक्सफोर्ड डिक्शनेरी या चेम्बर्स की डिक्शनेरी देख लीजिये, ऑफिसर ऑथॉरिटी में नहीं आता है। ऑफिसर ऑथॉरिटी के अन्तर्गत आप किसी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी को मुकर्रर कर दें तो यह एक प्रकार से ट्रिब्युनल हो गया। अगर यही मतलब आपका इससे है तो आपको यह संशोधन स्वीकार करना चाहिये। या मुझे आप डिक्शनेरी बता दीजिये जिसमें ऑफिसर ऑथॉरिटी, ट्रिब्युनल में आता हो। मिडल क्लॉस की डिक्शनेरी में भले ही इसका मतलब इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट क्लॉसेज के लिये जो डिक्शनेरी है उसमें आपको इस प्रकार की बात नहीं मिलेगी। तो इससे मन्शा साफ है; सरकार चाहती है और हम भी चाहते हैं। जहां तक इस कानून का सवाल है, यह जो संशोधन बिल आया है, अच्छा होता, यह संशोधन बिल थोड़े दिन पहले आता। ठीक है, देर आमद दुरुस्त

Page No.39

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आयद,' सरकार ने अब भी यह महसूस कर लिया कि जुडिशियरी के फंक्शन्स या क्वॉजी जुडिशियरी के फंक्शन्स हम नहीं कर सकते। इस कानून के बाद यह बात आपकी समझ में आ गई, इस प्रकार के अधिकार अपने पास नहीं रखने चाहिये। जुडिशियरी को तो बात छोड़ दीजिये क्वॉजी ज्युडिशियरी के भी फंक्शन्स नहीं कर सकते, इसे आपने स्वीकार किया है। यह बड़ी खुशी की बात है। अब तक ऐसा होता आया है कि हरेक कानून बनता आया है उसमें सरकार ने अपने पास अधिकार रखे हैं। जुडिशियरी का फंक्शन क्वॉजी जुडिशियरी का फंक्शन स्टेट ट्रांसपोर्ट में, फोरेस्ट एक्ट में जहां कहीं भी इनके फंक्शन्स का सवाल आता है सरकार ने अपनी टांग अड़ायी है। सरकार की हमेशा यही इच्छा रही है कि इस प्रकार के अपीलेट पॉवर्स हों रिवीजनल पॉवर्स हों, सारे पॉवर्स हमारे पास ही रहने चाहिये। दस साल के बाद किसी केस का फैसला होता है उसके बाद भी रेवेन्यू बोर्ड का फैसला होता है. उस पर रिव्यू करने के अधिकार सरकार रख लेती है जो नहीं रखना चाहिये। फोरेस्ट एक्ट में पांच साल का प्रोविजन रखा गया है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है इस प्रकार के पॉवर्स न उनके सेक्रेटरी के पास रहने चाहिये, न उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के पास रहने चाहिये। यह भी कहा गया है कि सेक्रेटरी की पोस्ट कमिश्नर के बराबर की है। इसका मतलब यह है कि आप एग्जीक्युटिव को जुडिशियरी के अधिकार देना चाहते हैं। आपका मंत्री इस प्रकार का कार्य करे, इस प्रकार के अधिकार नहीं रहने चाहिये। ये क्वॉजी जुडिशियल और जुडिशियल पॉवर्स जुडिशियरी के पास ही रहने चाहिये। जहां तक रेवेन्यू बोर्ड का सवाल है मैं कह सकता हूँ रेवेन्यू बोर्ड रेवेन्यू की हाइएस्ट ऑथॉरिटी है। उसके पॉवर्स दूसरे अधिकारियों को दें, यह सवाल तो खड़ा ही नहीं होता। यह स्पष्ट है कि माननीय मंत्री महोदय ने हालांकि अपने पास अधिकार नहीं रखे हैं किन्तु ऑफिसर, ऑथॉरिटी, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी इनको पॉवर्स देना चाहते हैं। इससे वे यह चाहते हैं कि अपील होने के कारण यह बला हमारे सिर पर न आये। हम सुपरिन्टेन्डेन्ट को कह कर अपना काम करवा सकते हैं, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी को मुकर्रर करके जैसा चाहें वैसा करवा लें। डाइरेक्टली हम नहीं करा सकते, इन्डाइरेक्टली थ्रोई रेडियेशन जैसा हम चाहें वैसा करवा लेंगे। अतः अगर आप इस प्रकार से सबोर्डिनेट ऑफिसर्स को इस प्रकार के अधिकार देना नहीं चाहते; सरकार की अगर नियत साफ है, सरकार का इरादा नेक है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जुडिशियरी के फंक्शन्स में किसी प्रकार बाधा नहीं देना चाहते तो यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये। जहां हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अधिकार देना चाहते हैं वहां दूसरी ऑथॉरिटी को अधिकार देने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। अगर होता है तो कानून में इसकी व्यवस्था होनी चाहिये कि किन अधिकारियों को या ट्रिब्यूनल को देना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है और जो स्टेटमेन्ट में दी गई भावनाओं के अनुरूप है, उसका समर्थन करते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसे स्वीकार करें। यह एक छोटी सी बात है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उनकी भी वही भावना है जो इस संशोधन की है। फिर यह संशोधन भी कोई विरोधी पक्ष की तरफ से नहीं रक्खा गया है-एक ही दल-कांग्रेस पार्टी के होने के नाते उन्होंने रक्खा है और उनकी बात को वे अक्सर स्वीकार भी करते रहते हैं। इन्होंने मंत्रि-मण्डल के सदस्यों के लिये कितने ही कठोर आक्षेप भी सहे हैं और हमेशा मंत्रिमण्डल का समर्थन करते रहते हैं। आशा है वे इस को स्वीकार कर लेंगे। उनका मूड भी कुछ लगता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अमृतराम (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस संशोधन को विधान सभा के सामने रखा था तो ख्याल यह था कि इस पर इधर-उधर की बातें न होकर सही माने में जो विचार माननीय सदस्यों के बने हुए हैं उनको रखेंगे। पर दिक्कत की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े ड्रामेटिक पर्फोर्मेन्स के साथ तारीफ तो की है, पर विरोध के भाव भी जरूर रख दिये हैं। यह उनकी बोलने की कला है, जिसकी तारीफ करनी चाहिये क्योंकि किसी भी चीज को वे कई तरीकों से रखते हैं और तारीफ भी करते हैं तो साथ साथ विरोध भी करते जाते हैं। उनकी अक्ल को और उनके विवेचन करने की कला की मुझे तारीफ करनी चाहिये।

जहां तक इस अमेन्डमेन्ट का ताल्लुक है, जिसका मेन उद्देश्य यह है कि फॉरेस्ट सेटलमेंन्ट भी वैसे ही होता है जैसे राजस्व विभाग का सेटलमेंन्ट। सेटलमेन्ट अफसर के द्वारा फैसला होने के बाद कलेक्टर के पास जाता है और वहां से मामले तय होने को स्टेट गवर्नमेन्ट के पास आया करते थे। तो इसमें उचित यह समझा गया कि सेक्रेटरियट के स्तर पर विचार न करके किसी अधिकारी को ये दे दिये जावें या कोर्ट को दे दिये जावें। आज जो अमेन्डमेन्ट रक्खा है उसका मैं थोड़ा विरोध करूंगा। वह उस रूप में आपने रखा है :

"to a tribunal specially constituted for the purpose."

'स्पेशियली कॉन्स्टिट्यूट' करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सैटलमेन्ट होता है तो बीस साल के बाद होता है। अब चूंकि नयी नयी जागीरें रिज्यूम हुई हैं उनसे नये एरिया आये हैं जिनका सैटलमेंट किया जा रहा है। इसलिये कुछ केस आये हैं, और वे भी एक साल में कोई एक दो केस आये हैं, ज्यादा आये नहीं। नीचे ही सब खत्म हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर किया जावे; वैसे तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लिखा है। पर दिक्कत इस बारे में है।

"to the Board of Revenue or to any other officer or"

"officer or" इसको अगर डिलीट कर दिया जावे तो मुझे एतराज नहीं है। 'एनी अदर आर्थोरिटी' इसलिये रखा है, क्योंकि आज तो उसूल के आधार पर विधान सभा के सामने आया है और आज हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को स्ट्रिक्टली कह देंगे तो कल यह कह सकते हैं; बीकानेर, जोधपुर के रहने वाले कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में वे क्यों आवें ? तो मेरे ख्याल से यह मैंने मन्जूर किया है वह ठीक रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : ठीक है। आपने हमारी बात मान ली है।

Page No.41

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन मन्त्री महोदय ने रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २, संशोधित रूप से विधेयक में अंग रूप से जोडा गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

(विराम)

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान फोरेस्ट (अमेन्डमेंट) बिल, ६१ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस बिल को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९६१

(संकल्प की प्रस्तुति तथा खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान एक्साइज (अमेन्डमेंट) बिल, १९६१।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक्साइज (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनेन्स, ६१ (ऑर्डिनेन्स नम्बर ३ ऑफ १९६१) जो १६ जुलाई ६१ को जारी किया गया राज्यपाल महोदय द्वारा, जो १६ जुलाई को राजपत्र में प्रकाशित हुआ इसको अस्वीकृत किये जाने के संबंध में मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया है।

संकल्प इस प्रकार है :

"यह सदन राजस्थान आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या ३ सन् १९६१) को निरनुमोदित (disapprove) करता है।"

अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है वह उस ऑर्डिनेन्स को अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में है। यह संकल्प इस भावना के साथ प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार की भावनाएं सदा में मैंने राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन वैधकरण अध्यादेश के संबंध में प्रकट की थीं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सदैव ही अध्यादेशों का विरोध

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हुआ है और अध्यादेश जारी करने की परम्परा राजस्थान में जितनी अधिक प्रचलित है उतनी शायद हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं होगी।

विधान सभा का अधिवेशन नहीं होता है तब उनको जारी करने की आवश्यकता होती है। मैं नहीं समझ पाता कि विधान सभा का अधिवेशन राज्य सरकार अधिक दिनों तक क्यों नहीं चलाती या जितने दस या बारह दिन भी चलाना है तो उसके लिये किस प्रकार के विधेयक सदन में प्रस्तुत करने हैं, किस प्रकार के लेजिस्लेशन पास करने हैं इस दृष्टि से पहले राजस्थान सरकार क्यों नहीं तैयार करती ? ऐसा मालूम पड़ता है कि इसके पीछे जो भूमिका या भावना हैं वह यह दिखाई देती है कि राज्य सरकार विधान सभा की आवश्यकता की दृष्टि से किस प्रकार का लेजिस्लेशन लाना है, कौन से कानून पास कराने हैं, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के जितने भी सम्बंधित विभाग हैं, उन विभागों के जो अधिकारी हैं, वे उनकी चिन्ता करते हैं न लॉ डिपार्टमेंट उनकी चिन्ता करता है। इतना ही नहीं माननीय मन्त्री महोदय, जो इस विभाग के हैं उनको चिन्ता है, उनके बारे में कह सकता हूँ, मान भी सकता हूँ कि जहां तक डाइरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं यह देखने का समय उनको नहीं मिलता है और समय मिल भी कैसे सकता है या तो उद्घाटन कर लें, या इधर-उधर भाषण करें लें या दौरे का कार्यक्रम बना लें या अपने कार्यकर्ताओं के निमन्त्रण पर दौरे में चुनाव सभाओं का आयोजन करके उनमें भाषण कर लें। प्रशासन की दृष्टि से जो कानून बने हैं उनको सही ढंग से क्रियान्वित करने की दृष्टि से, उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से वे विचार करें। इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान मन्त्रि-मण्डल के जितने सदस्य हैं, उनको नम्बर दिये जावें तो सप्लीमेन्टरी के लायक भी नम्बर उनके नहीं आ सकेंगे। कोई भी मन्त्रि-मण्डल का सदस्य अपने को जिम्मेदार नहीं समझता। जितने कानून बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की दृष्टि से उनमें कौन सी खामियां हैं, वे कैसे क्रियान्वित किये जा सकते हैं इस दृष्टि से कोई नहीं सोचता। यही कारण है कि राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन जो २१ को समाप्त होने जा रहा है दस दिन भी चल नहीं सकता। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि राजस्थान की सरकार, जहां तक लेजिस्लेशन का सवाल है, ऐसा लगता है दो, चार या छः महीने बाद कौन सा कानून पास करेंगे या करायेंगे इस बारे में निष्क्रिय दिखाई देती है, कोई योजना और कोई ऐसा कार्यक्रम उसके पास नहीं है। जल्दी जल्दी में बिना योजनापूर्वक लेजिस्लेशन यहां पास कराये हैं और बाद में उनमें गलतियां एग्जीक्यूट करते समय मालूम होती हैं तो सदन के सामने एक के बाद दूसरा अमेन्डमेंट करने के लिये अमेन्डिंग बिल पेश करते हैं। अभी हमने एक फोरेस्ट एक्ट पास किया उसमें केवल एक सेक्शन को अमेन्ड करने की दृष्टि से एक अमेन्डिंग बिल प्राप्त किया गया। या तो फिर अब आइन्दा यह होगा, मान लीजिए कि राजस्थान सरकार को १० धाराओं में संशोधन करने होंगे तो वो सब संशोधन एक साथ नहीं लायेगी बल्कि १० विधान सभा के अधिवेशनों में १० अमेन्डिंग

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बिल हर एक सेक्शन का आ जायेगा। नहीं, तो मन्त्री महोदय को यह चाहिए था कि हमारे यहां पर जितने भी कानून हैं और जो कानून यहां पर लागू हो चुके हैं उसके ऊपर कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठायें, उनके बारे में एग्जामिनेशन करायें और उनकी जांच करायें कि कौन से कानून में क्या खामियां हैं। हमारे यहां विधान में कोई सत्र ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा अधिवेशन नहीं होता जिनमें अमेन्डिंग बिल पेश न होते हों। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा था कि राजस्थान विधान सभा शायद इस दृष्टि से जहां तक ऑर्डिनेंस जारी करने का सवाल है, जहां तक अध्यादेशों के जारी करने का सवाल है, एक अपवाद रूप में है। मैं समझता हूं कि सारे लेजिस्लेचर्स का इतिहास उठाकर देखा जाये, पार्लियामेन्ट का इतिहास उठाकर देखा जाये, शायद जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं, पार्लियामेन्ट है उनके इतिहास में, उनके पीरियड में कोई भी ऑर्डिनेन्स कहीं भी जारी नहीं होता जितने ऑर्डिनेन्स इस राजस्थान में जारी होते हैं। आर्डिनेन्स भी छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा जारी कर देते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि मंत्री महोदय को पता ही नहीं होता कि जब विधान सभा का अधिवेशन होता है तो कौन सा कानून संशोधित रूप में लाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधान सभा का अधिवेशन प्रारम्भ होता है और यह विचार करते हैं कि अमुक अमेन्डिंग बिल पेश करना चाहिए तो माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि विधान सभा का अधिवेशन गरमागरम है, काफी आलोचनायें हो चुकी हैं और यदि यह अमेन्डिंग बिल इस सदन में पेश किया जाता है तो जहां आलोचनाओं का दौर इतना तेज हो रहा है, सारा सदन बहाव में चला जा रहा है, जो दूसरे मन्त्री महोदय बैठे हुए हैं उनके ऊपर सारे आक्षेप हो रहे हैं और अगर ऐसे समय में मैंने यह विधेयक पेश कर दिया तो मेरे ऊपर ये सारे आक्षेप आ जायेंगे, इसलिए इस बार अमेंडिंग बिल पेश न करके चलो, फिर अध्यादेश जारी कर दूंगा। इस प्रकार की भावना कभी कभी हमारे मन्त्री महोदय के मन में आ जाती है। यह अध्यादेश जारी करना इस प्रकार को हलकी-फुलकी बात समझी गई है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि इस सदन को विशेष रूप में एक प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल महोदय को भेजना चाहिए और उनसे विशेष रूप से यह निवेदन करना चाहिए कि वह अध्यादेश, जिनको माननीय मन्त्री महोदय इतनी हलकी चीज समझते हैं कि जब मन में आया अध्यादेश जारी कर लिया, जरा सी कठिनाई आई अध्यादेश जारी कर दिया, किसी को कोई राइट देने हैं तो अध्यादेश जारी कर दिया, किसी का कोई राइट छीनना है तो अध्यादेश जारी कर दिया, किसी को टिनेन्सी एक्ट के तहत राइट्स देने हैं तो अध्यादेश जारी कर दिया, किसी के पॉवर्स टिनेन्सी एक्ट के तहत छीनने हैं तो अध्यादेश जारी कर दिया। ऐसा लगता है कि आज के युग में राजस्थान सरकार के पास सिवाय अध्यादेश जारी करने के कोई चारा नहीं है। राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन वर्ष भर में तीन महीने बुलाते हैं। तीन महीने के बाद ६ महीने का समय बचता है तो मन्त्री महोदय उसमें क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन काम करता नहीं। कानून ही लोकतन्त्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज

Page No.44

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है उस दृष्टि से आप उस पर विचार करते नहीं। अपने कानून को आप समझते नहीं। जो मन्त्री महोदय इस समय यहां बैठे हैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता, वे कानून के अच्छे जानकार रहे हैं और कानून के अच्छे पद पर भी वे रहे हैं और कानून के बारे में उनकी अच्छी जानकारी है, मैं उनके सम्बन्ध में नहीं कह सकता। लेकिन औरों के लिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो कानून पास होते हैं, जो अध्यादेश जारी होते हैं उनको स्वयं को उनका पता नहीं कि वे अध्यादेश क्या हैं ? अगर उनसे पूछा जाए तो वे कहेंगे कि आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है। इसलिए मैं कहूंगा कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा लोकतन्त्र सफल हो तो हिन्दुस्तान का हर एक नागरिक कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, कानून के बारे में उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए, कानून का एक सिद्धान्त है कि "Ignorance of law is no excuse." आज सड़क पर चलने वाला कोई छोटा आदमी कानून की उपेक्षा करता है, कानून को नहीं जानता और यदि कानून की अवहेलना करता है तो उसके लिए अदालत मौजूद है और उसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन आज जो कानून हैं, laws of the State, जो सारे नागरिकों को गवर्न करते हैं उस दृष्टि से यहां की सरकार के मंत्रि-मण्डल के सदस्यों को पूरी जानकारी नहीं है और उसके अभाव में इस प्रकार के अध्यादेश नित्य-प्रति जारी होते हैं। मैं समझता हूँ कि सदन को इसके बारे में गंभीरता से विचार करना होगा और अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय को विशेष रूप से आपके जरिये एक मेसेज कन्वे करना होगा और सदन के जरिये भी मैं माननीय राज्यपाल महोदय को निवेदन करना चाहूँगा कि सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए यह कन्वे कर दिया जाये कि मंत्री महोदय जो आपके पास आंख मींचकर दस्तखतों के लिए ऑर्डिनेन्स भेज देते हैं आप उनकी अच्छी तरह से स्क्रूटिनी कराइये और अगर उचित समझें तो बिना अच्छी तरह स्क्रूटिनी किये उन पर अपनी मोहर न लगा दें, तब तो इनको इस प्रकार का सबक मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एक्साइज के बारे में जो ऑर्डिनेन्स जारी किया है हो सकता है उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हों।

जब मैं इस विधेयक को देखता हूँ तो पाता हूँ कि इसमें जितने भी प्रोविजन्स दिये हैं वे काफी डिटेल में हैं और कई बातों के बारे में उन्होंने व्यवस्था की है। मंत्री महोदय बतायेंगे कि ऐसी कौन सी बातें थीं कि विधान सभा के पिछले अधिवेशन में, जो अभी दो महीने पहले ही खत्म हुआ है, इस विधेयक को पास नहीं किया जा सका और फिर ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके कारण आगे आने वाले अधिवेशन में, जो कि दो महीने पश्चात् ही होने वाला था, इसको लाया जा सका। आप दो महीने और ठहर सकते थे। जुलाई में आपने अध्यादेश जारी किया और सितम्बर में अधिवेशन होने को था, आप इस समय विधेयक प्रस्तुत कर सकते थे। यह जो ऑर्डिनेन्स जारी करने की परम्परा है, यह जैसा मैंने कल भी कहा कि बहुत ही इमर्जेन्सी में एक्सर्साइज करने का अधिकार है। यह यों ही नहीं है कि हमें कुछ लगा तो ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया। तो अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूँगा कि पहले अधिवेशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में क्यों नहीं लाया जा सका ? दो महीने बाद में यह सदन में क्यों लाया गया और ऐसी कौन सी इमरजेन्सी पड़ गई कि जिसके कारण दो महीने पहले यह अध्यादेश जारी करना पड़ा ? कौन सी ऐसी सीरियस परिस्थिति थी जिसके कारण से ऐसा अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता महसूस की गई ? मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कानून में सारी व्यवस्था है, हमने कुछ अमेन्डमेन्ट्स किये हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कोई भी इस अध्यादेश को पढ़ेगा तो वह इस नतीजे पर पहुँचेगा कि यह जितनी भी व्यवस्था है वह सर्व साधारण है और इनको दो महीने बाद भी लाया जा सकता था। परन्तु सोचते हैं कि जब हमें ऑर्डिनेन्स जारी करने का अधिकार है तो क्यों नहीं उसका उपयोग करें और इसलिए ऑर्डिनेन्स जारी नहीं करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूँगा कि उनके स्वयं के विभाग का जहां तक सबंध है वे शायद ज्यादा ऑर्डिनेन्स जारी नहीं कराते हैं। वह सदन की भावना का आदर करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि सेन्ट पर्सेन्ट मार्क्स इस दृष्टि से अगर कोई ला सकता है तो वह राजस्व मंत्री ला सकते हैं। बाकी के जितने भी मंत्री हैं, म्युनिसिपल बिल में रोज अमेन्डमेन्टस आते हैं, रेवेन्यू के बारे में तो सबसे ज्यादा टॉप नम्बर है। इससे ज्यादा और किसी का नम्बर हो नहीं सकता। लेकिन मैं कहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय जनतंत्र की परम्परा को निभाने की कोशिश करें और जो यह ऑर्डिनेन्स जारी करवाया है मैं निवेदन करूंगा कि भविष्य में ऐसे ऑर्डिनेन्स जारी करने की परम्परा का विरोध करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

(१.०० म० प०)

पृथक राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : माननीय अध्यक्ष,....

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दें कि विचारार्थ लिया जाये और फिर उसका उत्तर भी दे दें, और भी चाहें तो कुछ और बोल लें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अभी माननीय सदस्यों ने कुछ एतराज ऑर्डिनेन्स जारी करने के बाबत उठाये हैं। इसके कुछ कारण हैं जिनकी वजह से....

श्री अध्यक्ष : आप पहले प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें ताकि उसके सपोर्ट में और जो माननीय सदस्यों ने बोला है उसके उत्तर में, दोनों पर साथ में ही बहस हो जाये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : विचारार्थ का स्टेज तो अब आयेगा।

श्री अध्यक्ष: उसके बाद माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकेंगे उस प्रस्ताव पर।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एक्साइज ऑर्डिनेन्स, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान एक्साइज (एमेंडमेंट) बिल, १९६१।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह प्रस्ताव मैंने इसका पहले कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : यही स्टेज है प्रस्ताव पेश करने की।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कल किया था।

श्री अध्यक्ष : वह तो इन्ट्रोड्यूस किया था।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एक्साइज एमेंडमेंट बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved

श्री रामचन्द्र चौधरी: इस एमेंडमेंट को बीच में लाने की क्यों आवश्यकता हुई उसके बारे में थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। वैसे तो डेढ़ महीने या १ महीना और २० दिन पहले ऑर्डिनरिली जब कि एसेम्बली का सेशन होने वाला था और उसमें यह बिल लाया जा सकता था। यह सवाल उठाया गया। तब खास तौर से जरूरत नहीं थी तब यह ऑर्डिनेन्स नहीं लाया गया। लेकिन मई में हमको ऐसा मालूम हुआ कि डिनेच्योर्ड स्प्रिट जिसको हम मानते थे कि किसी भी तरह से वह ह्यूमन कन्जम्पशन के काबिल नहीं बनाई जा सकती है उसकी लोगों ने शराब बनाना शुरू कर दिया। पहले के हमारे एक्ट में डिनेच्योर्ड स्प्रिट की जो डेफिनिशन दी हुई है उसमें लिखा है :

"'Denatured' means effectually and permanently rendered unfit for human consumption."

इससे वह साफ जाहिर था कि यह एक ऐसी चीज है कि जो एक बार डिनेच्योर्ड करने के बाद किसी भी तरह से शराब के काम में लाया जा सके इस तरह की नहीं बनाई जा सकती, लेकिन किसी दिमाग वाले आदमी ने बिना किसी दिक्कत के उसकी शराब बने, उस काम में लाया जा सके, ऐसी बना दी। इसमें न तो भट्टी की जरूरत पड़ती है और न एम्लोयन्सेज की जरूरत पड़ती है। थोड़े से मेकेनिकल काम से थोड़ा सा पोटाशियम परमेगनेट, चारकोल और दो-तीन चीजें मिलाकर इसको डिस्टिल्ड करते हैं वह एक कमरे के किसी एक कोने में किया जा सकता है। इस तरह से १) रु० की डिनेच्यर्ड स्प्रिट की ४) रु० में बोतल बिकती है।

श्री भैरोंसिंह : इसका फॉर्मूला तो आप बता दें।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : यह बनायेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : (श्री भैरोंसिंह से) यह आपके दिमाग की ही तो करामात है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरे से शायद आप ज्यादा जानते होंगे।

हमको तीन महीने पहले मालूम हुई इसकी सीरियसनेस। जयपुर, अजमेर आदि कुछ बड़े शहरों में यह फैला, अभी यह बीमारी सब जगह नहीं फैली है, राजकीय ठेकों की शराब बिकनी बन्द हो गई और करीब करीब यही सब जगह चलने लगी क्योंकि यह एक रुपये में बोतल तैयार होती है और वह ४) रु० में मिलती है और किसी के पकड़ने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि कमरे के किसी कोने में यह तैयार की जा सकती है, तो पहले तो हमारे विभाग के लोगों ने विश्वास नहीं किया क्योंकि पर्मानेन्टली इसको ऐसा बना दिया गया कि इसका कोई ह्यूमन कन्जपशन नहीं हो सकता है, लेकिन जब उनके सामने यह करके दिखाया गया तो

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

उनको मानना पड़ा और उसकी सीरियसनेस को देखते हुए इस ऑर्डिनेन्स को हमको लाना पड़ा।

दूसरा कारण एक यह भी था कि बहुत से लोगों ने इल्लिसिट डिस्टीलेशन को अपना धन्धा बना लिया था और आज से तीन महीने पहले हमारी बिक्री इतनी कम हुई कि हमको सोचना पड़ा कि क्या कदम उठाये जांय इल्लिसिट डिस्टीलेशन की बीमारी को दूर किया जाये ?

तीसरा यह भी कारण था कि इसमें एक पार्टी स्टेट होती है और दूसरी जो लोग इल्लिसिट डिस्टिलेशन करते हैं तो जिनके यह नाजायज शराब पकड़ी जाती है तो गांव के लोगों से वह तस्दीक नहीं होती और गवर्नमेंन्ट ही अपनी किसी कोशिश से पकड़ती है और पकड़ने के बाद अदालत में पेश करती है तो गांव के गवाह उसकी समाअत नहीं करते हैं और होस्टाइल हो जाते हैं और आखिर में डिपार्टमेन्ट के गवाह रहते हैं उन पर अदालत विश्वास नहीं करती है।

इन वजूहात के कारण आज से करीब पौने दो महीने पहले हमको यह ऑर्डिनेन्स लाना पड़ा जिससे टैक्स रेवेन्यू जो नीचे जा रही थी उसको ठीक करें और जिस प्रकार से इल्लिसिट डिस्टीलेशन हो रहा था उसको चैक किया जाय और डिनेन्चर्ड स्प्रिट की बहुत ज्यादा बीमारी फैली हुई है उसको कन्ट्रोल कर सकें। नहीं तो १॥ महीने बाद तो आपके सामने बिल पेश करना ही था और उस सूरत में पेश नहीं करते, जब तक कि खास मजबूरी नहीं होती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन सब वजूहात को सामने रखते हुए जैसा कि संशोधन बिल इसका पेश किया है उसको मन्जूर करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : (श्री माधोपुर) क्या माननीय मन्त्री महोदय यह इन्फार्मेशन देंगे ये ऑर्डिनेन्स कि इश्यू करने के बाद से डिनेन्चर्ड स्प्रिट के कितने केसेज आपके डिपार्टमेन्ट के द्वारा पकड़े गये ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अभी तो मैं केसेज का नम्बर नहीं बता सकता, लेकिन काफी तादाद में इसको रोका गया है और काफी कड़ी कार्यवाही की गई है। इसके पहले यह सोच रखा था कि डिनेन्चर्ड स्प्रिट को ह्यूमन कन्जम्पशन के काबिल नहीं बना सकते हैं। जब इसमें प्रोवाइड किया गया है कि ऐसे जुर्म में जो मुजरिम पकड़ा जायगा उसके खिलाफ कम से कम ६ महीने की सजा से दो साल तक की सजा हो सकेगी। कुछ कारणों से हम यह ऑर्डिनेन्स लाये हैं और अब आपके सामने बिल अमेन्डमेन्ट का पेश है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक्साइज संशोधन बिल सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

वह पहले मोशन लेंगे या मैं बोलूं ?

श्री अध्यक्ष : दोनों साथ ही लिये जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसको कन्सीडरेशन में लिया जा रहा है या नहीं जो कि सतीश-चन्द्रजी की तरफ से मूव हुआ है।

श्री अध्यक्ष : दोनों प्रस्ताव सदन के समक्ष हैं। माननीय सदस्य चाहें तो दोनों पर बोल सकते हैं।

Page No.48

श्री भैरोंसिंह : पहले रिजेक्ट कर दे हाउस, तो उसके बाद में बोलने का रहता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बहस साथ हो रही है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इस सारे विधेयक को देखने के बाद और माननीय मन्त्री महोदय का भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऑर्डिनेन्स के रूप में लाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि डिनेच्योड अलकाहोल के लिए या स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन के लिए पहले के कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जिस व्यवस्था को हम इफेक्टिव कह कर इस प्रकार से इल्लिसिट डिस्टीलेशन को रोकने की कोई कार्यवाही कर सकते थे। मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि इस बिल को शुरू से लेकर अन्त तक पढ़ा जाय तो पढ़ने से कुछ ऐसा लगता है कि यह ऑर्डिनेन्स इश्यू करने की आवश्यकता नहीं थी। डिनेच्योर्ड स्प्रिट के बारे में सरकार को इसका ज्ञान नहीं था और बाद में जाकर ज्ञान हो गया, उस ज्ञान के कारण कुछ कार्यवाही करने हेतु वह कोई संशोधन लाना चाहते थे, ऐसा किया गया भी प्रतीत नहीं होता। लेकिन इस सारे को पढ़ने से ऐसा अवश्य मालूम होता है कि पहली बार जो कानून बनाया गया था उस कानून के अन्दर इस प्रकार की कई गलतियां रह गई जो गलतियां यदि सरकार का लॉ डिपार्टमेन्ट सतर्क होता तो होने की आवश्यकता नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको कई जगह देखा और इसकी सारी क्लॉजिज को पढ़ा और पढ़ने पर संशोधन क्या क्या किये जा रहे हैं कि कहीं पर मजिस्ट्रेट की व्याख्या की गई है कि मजिस्ट्रेट कौन सा होगा यह है। पहले जो परिभाषा थी, उस परिभाषा में लिखा था कि मजिस्ट्रेट वह होगा जिसको सैकिन्ड क्लास के ऊपर पॉवर्स हैं और उसमें ऐसे थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट्स भी शामिल होंगे जिनको गवर्नमेंट ने समय समय पर अधिकार दिये हैं। अब जो संशोधन किया है उसका मतलब होगा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसके साथ ही कुछ अमेन्डमेंट किये हैं जिनमें "and" की जगह 'or' किया है। ये शायद कॉसिक्वेन्शियल अमेन्डमेंट हो सकते थे, यदि लॉ डिपार्टमेंट सतर्क होता तो "एन्ड" की जगह "ओर" लिख दिया जा सकता था। किसी जगह कंस्ट्रक्शन सेन्टेन्सेज का है वह गलत है। उस गलती के कारण अधिकांश संशोधन रखने पड़े हैं। कई जगह जैसा कि लिखा है "renewal thereof" गलत था उसकी जगह लिखा है "non renewal thereof"; सारा सेन्टेन्स पढ़ा जाय तो यह था कि "नोन रिन्युअल" पर कम्पेन्सेशन का क्लेम नहीं कर सकता। सरकार चाहे तो लाइसेन्स का रिन्युअल करे, न चाहे तो न करे। नहीं करे तो उसको कम्पेन्सेशन का अधिकार नहीं होगा। लेकिन "नोन रिन्युअल" की जगह "रिन्युअल" रखा, 'एन्ड' 'ओर' की जगह रखा, इसके लिये ही ऑर्डिनेन्स लाया गया है। इसी तरह "प्रोसेस" की जगह किया है "the substance and process" अफीम का नाम बदल दिया इसकी वजह से, इन सारे छोटे छोटे अमेन्डमेंट्स के लिये ऑर्डिनेन्स जारी किया गया तो मैं मन्त्रीजी से कहूँगा कि आज जो आप बिल प्रस्तुत कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे उनमें गलतियां होना बहुत स्वाभाविक हैं और स्वभाविक इसलिये है कि जिस लॉ डिपार्टमेंट के भरोसे बैठ कर सदन में कानून बनाना चाहते हैं वह लॉ डिपार्टमेंट

(श्री भैरोंसिंह)

इस योग्य नहीं रहा कि सरकार को उचित कानून का ड्राफ्ट बनाकर दे सके और विधान सभा में सही डॉफ्ट पेश कर दे।

अध्यक्ष महोदय, जितने कानून प्रस्तुत हुए हैं उनमें से अधिकांश में लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से गलती की जाती है। यह प्रश्न किया जाय तो सही है कि लॉ डिपार्टमेंट के अधिकारी एक्सपर्ट्स होते हैं, समय समय पर मन्त्रियों को सलाह देते हैं, लेकिन कई बार मन्त्रीजी लॉ की नोलेज उनको नहीं होने से अपनी विशेज को उसमें लाने के लिये और लॉ की कमियों को दूर करने के मकसद से लॉ डिपार्टमेंट से सलाह लेते हैं। लेकिन लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से सही सलाह नहीं दी जाती है, सलाह देने से गुरेज किया जाता है और कहा जाता है कि इस बार ठीक नहीं है तो अमेन्डमेंट कर देंगे, अमेन्डमेंट मूव करना मानो खाना खाने और पानी पीने की तरह है। इसलिये मैं मन्त्रीजी से कहूँगा कि आप इल्लिसिट डिस्टिलेशन को टाइट करने के बजाय लॉ डिपार्टमेंट को टाइट कीजिये; जब तक लॉ डिपार्टमेंट टाइट नहीं होगा तब तक इस प्रकार के वर्ड्स को चेन्ज करने की दृष्टि से, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सुधारने की दृष्टि से, सेन्टेन्सेज को दुरुस्त करने की वजह से और कई प्रकार के अमेन्डमेंट लाने पड़ेंगे। आज कोई इसे देखेगा तो राजस्थान सरकार पर हँसेगा कि "एन्ड" को जगह "और" करने के लिये और 'रिन्यूअल" की जगह "नोन रिन्यूअल" करने के लिये ऑर्डिनेन्स लाया गया है। दोनों कानून की दृष्टि से और लॉ की स्प्रिट से जो वर्ड्स इसमें दिये हैं, मैं नहीं समझता कि विधान सभा ने "नोन रिन्यूअल" की जगह "रिन्यूअल" कहा होगा, निश्चित रूप से "एन्ड" की जगह "और" ही कहा गया है। कहीं कहीं इस प्रकार की गलती लॉ डिपार्टमेंट की होती है लेकिन उसका खमियाजा सदन को उठाना पड़ता है और सरकार को ऑर्डिनेन्स निकालना पड़ता है।

अब यदि यह कहा जाय कि ये गलतियां इस नेचर की हैं कि यदि इनको दूर नहीं किया जाता तो इतना जबर्दस्त इल्लिसिट लिकर तैयार होने लगेगा कि हमारी सारी इन्कम ही खत्म हो जायगी और शराब पानी की तरह बहने लगेगा और प्रोहिबिशन की पॉलिसी खत्म हो जायगी। राजस्थान में एक्साइज एक्ट आज से लागू नहीं है, राजस्थान बना तब से लागू है और भूतपूर्व रियासतें थीं तब भी था। इसमें जिस प्रकार से आप कहते हैं कि डिनेच्योर्ड स्प्रिट के लिये पहले क्लॉज नहीं था तो अब आप इसकी क्यों आवश्यकता महसूस कर रहे हैं? जो १४ वर्षों से कानून चल रहा है, उस पर अमल होता है, जो इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है उसको चेलेन्ज नहीं करते हैं तो राजस्थान में डिनेच्योर्ड स्प्रिट क्या इतना हो जायगा जिससे सारी इन्कम समाप्त हो जायगी, या यों कहिये कि डिनेच्योर्ड स्प्रिट की गंगा बह जायगी और राजस्थान समाप्त हो जायगा? लेकिन इस प्रकार की बात नहीं है। मैंने सारे के सारे समाचार-पत्रों में पढ़ा कि इस अधिवेशन में एक्साइज एक्ट में अमेन्डमेंट आ रहा है। मैंने सोचा कि दिल्ली में सेमिनार होगा। उसमें मिनिस्टर साहब जाने वाले हैं और राजस्थान सरकार ने यह बताने के लिये कि हमने राजस्थान में प्रोहिबिशन चालू कर दिया है इसलिये सरकार एक्साइज कानून में अमेन्डमेंट कर

(श्री भैरोंसिंह)

रही है या उसको ऑर्डिनेन्स का रूप दे रही है। जब कुछ दिनों बाद देखा, स्वयं सेमिनार में जाकर देखा तथा राजस्थान सरकार के रिप्रेजेन्टेशन को पढ़ा और समाचार-पत्र भी देखे उनसे पता चला कि राजस्थान सरकार ने यह व्यू पोइन्ट बनाया है कि हमारे सामने तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४ करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से २० करोड़ रुपये का घाटा आता है और यदि इसके साथ साथ प्रोहिबिशन चालू कर दिया तो उसको अमल में लाने के लिये अतिरिक्त ४ करोड़ का घाटा होगा। इस तरह से तीसरी योजना में कुल मिलाकर २४ करोड़ रु० का घाटा होगा जिसकी पूर्ति के लिये हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिये हम तो प्रोहिबिशन की पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते।

जैसा कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि राजस्थान का नक्शा एक ही योजना में नहीं बनेगा। गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि तीसरी योजना मे ही नहीं चौथी और पांचवीं योजना से भी आगे की अपेक्षा करनी चाहिये। सन् ५६ में दूसरी योजना चालू हुई थी और सन् ६१ तक रही, सन् ६१ से चालू होने वाली तीसरी योजना ६६ तक रहेगी और उसके बाद चौथी योजना ६६ से ७१ तक रहेगी और ७१ से ७६ तक पांचवीं योजना निकल जायगी, फिर भी सरकार टेक-ऑफ करने की पोजीशन में नहीं आयेगी और रिकवरी का तरीका शुरू नहीं होगा। अब पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक हमारी सरकार प्रोहिबिशन पोलिसी पर अमल करने वाली नही है।

अब यह हो सकता है कि सरकार ने दृष्टि-कोण किस प्रकार से अपनाया है उसका विधान सभा के पिछले सत्र में मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि कुछ एरिया को ड्राइ करने वाले हैं, प्रोहिबिशन की पोलिसी का इम्पलीमेन्टेशन करने वाले हैं। लेकिन जब इम्पलीमेन्टेशन का सवाल आया तो सरकार ने कड़ा रूख अपनाया, कड़ा रूख यह कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक इम्पलीमेन्टेशन नहीं कर सकेंगे। आप लक्ष्य बनाकर चलते हैं कि जब तक हम जिन्दा रहेंगे तब तक कभी न कभी इस पॉलिसी को अमल में लाने वाले हैं। मैं समझता हूँ, आपकी बातों का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट कह दीजिये कि प्रोहिबिशन की पॉलिसी को गलती से स्वीकार कर लिया था। यदि हम इसे स्वीकार करते हैं तो २४ करोड़ रु० का घाटा आता है, उसकी पूर्ति करने के हमारे पास साधन नहीं हैं, राजस्थान के पास साधन नहीं हैं, अन्य प्रान्तीय सरकारें भी ऐसा ही कहती हैं। लेकिन मैं याद दिला दूं कि केन्द्रीय सरकार के वित्त मन्त्री श्री मुरारजी देसाई ने कहा था कि जो घाटे की बात करते हैं वह गलत है और बनावटी है और इसके आगे कहा है कि अगर गलत और बनावटी है, तो भारत सरकार से इस प्रकार की सहायता दी जायगी....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, आप भाषण ऑर्डिनेन्स के बारे में करें। जो मैटर प्रजेन्ट है उसके बारे में कहें। प्रोहिबिशन के बारे कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : पता नहीं प्रोहिबिशन से आपको इतनी चिढ़ क्यों है ?

श्री सोहनलाल भटनागर : ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : प्रोहिबिशन से आपको चिढ़ना नहीं चाहिए, कुछ संतोष रखना चाहिए।

श्री सोहनलाल भटनागर : जो कहते हैं वे चाहते नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : प्रोहिबिशन से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको चिन्ता नहीं होनी चाहिए।

ऐसी स्थिति में भारत सरकार आज्ञा देती है कि आर्थिक संकट को लेकर मूल नीति में हेर-फेर नहीं किया जाये, इस प्रकार की शुद्ध नीति में ऑल इंडिया रूप में लाने के लिए कोई रुकावट नहीं लाई जाये। वहां हमारी सरकार घाटे का नाम लेकर आज हटने की कोशिश कर रही है, तो मैं उन बातों की याद नहीं दिलाना चाहूंगा, जो महात्मा गांधी ने कही हैं। उन्होंने कहा था कि प्रोहिबिशन को आर्थिक घाटे के नाम पर रोकने की कोशिश नहीं की जाय। लेकिन अगर सरकार ऐसा करती है, तो वहां ऐसा समझा जायगा कि गवर्नमेंट देश के साथ भयंकर पाप करती है। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी के आदेश, उनके सिद्धान्त आज की सरकारों के सामने बेकार हैं। जब महात्मा गांधी की आत्मा ऊपर जाकर यह देखती है कि इस प्रकार की संख्या में काम करने वाले व्यक्ति मेरे आदेशों की इस प्रकार हत्या कर रहे हैं तो उनकी आत्मा को कितनी वेदना पहुंचेगी इसका मैं अन्दाज नहीं लगा सकता। मैं सलाह देना चाहूंगा कि जब महात्मा गांधी की जय बोलते हैं तो यह अवश्य ख्याल रखें कि जिनकी आप जय बोलते हैं, उनके आदेशों की आप किस प्रकार हत्या कर रहे हैं तो इस पाप से बचने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे स्वर्गीय आत्मा को कितना दुःख पहुंचेगा। अगर आप यह नहीं चाहते हैं कि स्वर्गीय आत्मा को दुख दिया जाये, तो उनका जो मार्ग बताया हुआ है उसका अवलम्बन करके उनके आदेश को कार्य रूप में परिणत करने की कोशिश करें।

अब इसमें कुछ ऐसे संशोधन किये गये हैं, अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन, मैं समझता हूं, कि किसी भी कानून में इस प्रकार नहीं आ सकते हैं। यह सही है कि सारे बिल को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि हमारी सरकार कुछ सख्ती लाना चाहती है और सख्ती से, जो आदमी इलिसिट डिस्टीलेशन करते हैं उनको रोकने की ओर अग्रसर होना चाहती है, लेकिन इस कानून के दायरे में इस हद तक बढ़ने की कोशिश कर रही है कि जो नेचुरल जस्टिस है, वह किसी आदमी को प्राप्त नहीं हो सके। आगे एक व्यवस्था की है, इस कानून के अन्तर्गत, कि यदि किसी मकान में शराब मिल जाये तो जब तक यह सिद्ध नहीं किया जायगा कि यह मकान मालिक की नॉलेज में नहीं था, उस समय तक हैड ऑफ दी फेमिली को उसके लिए जिम्मेवार ठहराया जायेगा। अब वैसे यदि हम इसे देखें, प्रोहिबिशन मेजर के नाम से देखें, तो इसको अगर भावुकता से देखा जाय, तो यह बहुत अच्छी चीज लगती है कि फेमिली का कोई व्यक्ति डिस्टीलेशन के मामले में पकड़ा जाता है, तो हैड ऑफ दी फेमिली को उसके लिए रेस्पोन्सिबल समझना चाहिए। लेकिन हम अपनी सरकार को भी जानते हैं, विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी जानते हैं। इलिसिट

(श्री भैरोंसिंह)

डिस्टीलेशन के जितने मामले पकड़े जाते हैं, उनकी भी जानकारी रखते हैं। उसमें यह भी कह सकते है कि कोई व्यक्ति इलिसिट डिस्टीलेशन करता है या नहीं करता है, परन्तु विभाग के पास जब इस प्रकार की जानकारी होती है कि अमुक व्यक्ति इस प्रकार का काम कर रहा है तो विभाग इस बात में चतुर होता है कि किसी व्यक्ति के मकान में एक दो बोतलें, मकान के बाड़े में, कहीं ऐसी जगह रखवा दें, बाड़े में रखवा दे, जमीन में रखवा दे, उसके बाद इत्तिला कर दे और लोग आकर बरामद कर लें। उसके बाद वह गिरफ्तार हो जाता है। जब उसके पजेशन में शराब मिलती है तो वह गिरफ्तार होने वाला है ही और हैड ऑफ दी फेमिली उसके लिए रेस्पोन्सिबिल होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रोहिबिशन के लिए अमली कार्यवाही है, वह सरकार नहीं कर पाती: मात्रा शराब की कम करने लिए जो कार्यवाही करनी चाहिए, वह नहीं कर पाती। आप शराब के बिक्री वालों के आंकड़े उठा कर देखें, जो राजस्थान सरकार बिक्री करती है, तो आपको मालूम होगा कि वे हर साल बढ़ते जाते हैं। जो शराब को बिक्री स्थिति आज से चार साल पहले थी वह बढ़ती आई है। शराब पीने की मात्रा बढ़ती आई है, शराब पीने वालों को मात्रा बढ़ती आई है, शराब जितनी बेची गई उसकी मात्रा बढ़ती गई, शराब जितनी खरीदी गई उसकी मात्रा बढ़ती रही है और आमदनी की मात्रा बढ़ती रही है। प्रोहिबिशन के द्वारा शराब कम की जाय, दूसरे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को ड्राइ एरिया डिक्लेअर किया जाय, जो शराब की प्रोहिबिशन की पॉलिसी है, व्यवस्था है, उसको सरकार स्वीकार नहीं करती है। मैं समझता हूँ कि यह जो संशोधन किया जा रहा है, इसका कई प्रकार से दुरुपयोग होगा: जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को फंसाने की चेष्टा की जायगी और निश्चित रूप से एक व्यक्ति के मकान में शराब डाल दी जायगी। बाद में हैड ऑफ दी फेमिली है: उसको पकड़ कर गिरफ्तार किया जा सकता है, उसका चालान किया जा सकता है। उसके बाद वह कोर्ट में जाकर यह साबित करे कि उसे इस बात की नोलेज नहीं थी। लेकिन एक बार चालान कर लेंगे और उसे गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद वह कोर्ट से बरी होकर भले ही आ जाये और यह साबित कर दे कि उसे इसकी नोलेज नहीं थी। लेकिन इसका नतीजा यह होगा कि उसका हैरेस्मेंट होगा। मैं सदन को जानकारी दूं कि मेरे पास एक पत्र आया था और उस पत्र के द्वारा मुझे सूचना दी गई थी कि तुम अमुक अमुक प्रकार की कार्यवाही करना छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे मकान में शराब रख कर बरामद करा दी जायगी। मैंने पुलिस को वह पत्र दिया कि आप शराब रखने वालों में से जानकारी करो कि कौन सा हैं, कौन सा नहीं है। ऐसा ही केस अभी सीकर में हुआ है, एक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जहां पर जो लोग शराब नहीं रखते हैं, उनके मकानों में तलाशी ली गई और वहां से पीपे के पीपे शराब के निकाले हैं। वे पीपे ऐसी जगह पर निकले है, जहां लोग आम तौर पर आया-जाया नहीं करते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर सख्ती से इसे रोकना चाहते हैं, तो जबरदस्त पेनॉल्टी इसके लिए रखें। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ कि आप नाजायज शराब को रोकना

Page No.53

(श्री भैरोंसिंह)

चाहते हैं, लेकिन जो छः महीने, १० महीने की सजा है, उसके स्थान पर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ लाइफ की सजा दे सकते हैं तो आप दें, अगर फांसी की सजा दे सकते हैं, तो वह दें। लेकिन कोई आदमी, निर्दोष आदमी, इसमें फंस जाये, ऐसी व्यवस्था न करें और यह जो व्यवस्था आप करने जा रहे हैं, इससे निश्चित रूप से निर्दोष व्यक्ति फंसेगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि जो राजस्थान के मंत्रि-मण्डल के मन्त्री हैं, उन पर सारे घर की रेस्पोन्सिबिलिटी है, है, उनका लड़का, उनके भाई, उनके सम्बन्धी कई प्रकार की घटना करते रहते हैं, उनकी भी उन पर रेस्पोन्सिबिलिटी है। आप इस प्रकार कानून बनायें कि किसी का लड़का कोई खराबी करता है, भाई खराबी करता है, उस सबकी रेस्पोन्सिबिलीटी उन मन्त्री महोदय पर होगी, चाहे वह चोरी करे, रिश्वत खाये, चाहे वह किसी प्रकार का अपराध करे। उन मामलों में सजा ज्यादा हो। कत्ल के मामले होते हैं, बाकी के मामले होते हैं, उन अपराधों में ६ महीने की सजा से ज्यादा की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहां पर कोई बच्चा अपराध करता है, कोई का भाई अपराध करता है, परिवार का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो हैड ऑफ दी फेमिली को सजा दी जायगी और उसमें छः महीने की सजा रखी है। उसमें इस बात को लेकर चल रहे हैं कि किसी ने गलती कर ली है, तो हैड ऑफ दी फेमिली को दंडित किया जायगा; इस प्रकार की विधि रखी गई, तो इसका उल्लंघन किया जायगा और लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन में रोज उल्लंघन करने की कार्यवाही करेंगे। एक व्यक्ति जिसके परिवार में ५०, ६० आदमी हैं, जिनमें रोजमर्रा कई तरह की घटनायें होती रहती हैं और हैड-ऑफ दी फेमिली को उनके बारे में मालूम नहीं होता है। उस व्यक्ति को परेशान करना, क्योंकि वह हैड ऑफ दी फेमिली है। उसके परिवार का कोई आदमी पकड़ा गया तो उसको बिना कारण बेइज्जत करने की कार्यवाही की जाये, तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा।

एक इसमें अजीब सा क्लॉज रखा है। वे क्या रखा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक तरीका दिया गया है मकान की तलाशी लेने का, उसको सब लोग स्वीकार करते हैं। अब तक के जो कानून बने हुए हैं, उनमें व्यवस्था है कि तलाशी लेने का वही तरीका होगा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया है। मैं नहीं समझ पाता कि इसमें जो खण्ड जोड़ा गया है, उसका मतलब क्या होगा "No search shall be deemed to be illegal by reason only of the fact that witnesses for the search were not inhabitants of the locality in which the place of search is situated."

यह भी संशोधन आया है। आज उनसे कोई पूछे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सारे भारतवर्ष को पुलिस तलाशी लेती है, तलाशी लेने पर तलाशी लेने की जगह से माल बरामद होता है, उस माल की बरामदगी को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार साबित करते हैं। इस तरह से बड़े बड़े केसेज डिटेक्ट किये जाते हैं, उनके चालान किये जाते हैं और अपराधियों को सजाएं होती हैं और यहां मामूली एक शराब के मामले में ऐसी व्यवस्था क्यों करना चाहते हैं जो सर्व साधारण के लिये बने कानून के विपरीत जाती है।

(श्री भैरोंसिंह)

आप यह क्यों कहते हैं कि यदि उन गांवों में गवाह नहीं मिलें तो दूसरे गांव के गवाह ले जा सकते हैं ? यही पुलिस के सामने डिफिकल्टी है, पुलिस भी कल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस प्रकार का संशोधन रखवायेगी कि उस लोकेलिटी में यदि गवाह मोतबिर नहीं हों तो दूसरे गांवों से गवाह लेकर बरामदगी कर लें, ताकि हमारे सामने किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं रहे। जब पुलिस ऐसे मामलों में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताये गये प्रोसीजर के अनुसार कार्यवाही करती है तो एक्साइज डिपार्टमेंट को क्या डिफिकल्टी आई है ? हैड ऑफ दि फेमिली रखा है वहां सरकार की मंशा साफ नहीं है। कोई अपनी बरियत सिद्ध करना चाहे तो उसको ऐसा करने से भी आप इस प्रकार का प्रावधान रखकर रोकना चाहते हैं। दूसरे गांव का मौतबिर लाने का प्रावधान रखकर आप उसको अपनी बरियत पेश करने से भी रोकना चाहते हैं। इस प्रकार का प्रावधान रखेंगे तो यह होगा कि सीकर से एक एक्साइज इन्सपेक्टर रवाना होता है तो जीप में वहां के दो लोगों को बैठा लेगा और किसी भी गांव में जाकर उनको गवाह के रूप में ले सकेगा और यह भी हो सकता है कि वहां पर बैठे-बैठे ही लिख देगा कि मैं अमुक गांव में गया और अमुक आदमी के घर से दो बोतल नाजायज शराब बरामद की, वह आदमी भाग गया फिर वारन्ट प्राप्त करके जब भी चाहेगा उसको गिरफ्तार कर लेगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की यह मंशा है कि जो सर्च लेता है उसकी यह ड्यूटी है कि जिस लोकेलिटी में सर्च लेता है उसी लोकेलिटी के दो गवाह तैयार करें। वहां के गवाह नहीं मिलने की हालत में वह दूसरी जगह के गवाह भी ले सकता है, पर इस प्रकार का प्रावधान कर देंगे तो कोई भी इन्स्पेक्टर उस गांव के गवाह को नहीं लेगा, दूसरी जगह के गवाहों को ही ले जायगा। आप उस गांव के गवाहों को बेईमान समझ कर नहीं चल सकते, उनको ईमानदार समझ कर चलना होगा। कोई गवाह बेईमानी करता है तो उसके लिये हमने व्यवस्था कर रखी है कि उसे शपथ दिलाते हैं। शपथ लेने के बाद भी यदि गवाह बेईमानी करता है तो कानूनी भाषा में उसे बेईमानी नहीं समझ सकते। लेकिन यहां इस प्रकार की नयी व्यवस्था रख कर आप ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी इस कानून के अमल में बगुनाहों को भी अदालत में पेश करें और दूसरी जगह के गवाहों की मदद से उन्हें सजा दिलायें। इस प्रकार की बात आप करते हैं तो यह अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय, कल एक प्रश्न आया था कि नुक्ते के मामले में हमने व्यवस्था की थी कि नम्बरदार, पंच और सरपंच इस प्रकार की सूचना देंगे, पर मैं यह नहीं समझ पाया कि जब गांव के जिम्मेदार व्यक्तियों को इस तरह की सूचना के लिये जिम्मेदार ठहराते हैं तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं ? उस गांव में एम. एल. एज, एम. पीज़, नम्बरदार, पंच और सरपंच रहते हैं। तो जिस तरह नम्बरदार, पंच और सरपंच को जिम्मेदार ठहराया जाता है उसी तरह एम. एल. एज. और एम. पीज़ को भी जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते ? खाली नम्बरदार, पंच और सरपंच को फंसाने की ही कार्यवाही क्यों की जाय ? एम. एल. एज. और एम. पीज़ को भी शामिल किया जाय। वे शिकायत करना शुरू कर देंगे तो पंच, सरपंच और

(श्री भैरोंसिं)
नम्बरदार भी उनका अनुकरण करना शुरू कर देंगे। नम्बरदार, पंच और सरपंच की कोई सुनता नहीं है, इन्स्पेक्टर उनकी सुनवाई नहीं करता है, उनकी सूचना पर कार्यवाही करने से गुरेज करता है तो वे लोग भी सूचना देकर गांव के लोगों से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते। एम. एल. एज. और एम.पीज किसी गांव में रहते हैं, मिनिस्टर किसी गांव में रहते हैं और वहां पर इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है तो उनके लिये भी यह रखिये कि वे सूचना दें, वे सूचना देंगे तो नम्बरदार, पंच और सरपंच भी सूचना देने में उनका अनुकरण करेंगे। इस तरह का इसमें ऑर्डिनेन्स से संशोधन किया गया है यह किसी ऑर्डिनेंस से नहीं, बल्कि सदन में अमेंडमेंट लाकर किया जाना चाहिये। यह जो ऑर्डिनेन्स इश्यू किया गया है वह हमारी सरकार की गलत परम्परा का नमूना है, लॉ डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिये यह किया गया है। एड्मिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल है, उस कन्ट्रोल से इस प्रकार की मशीनरी को दुरुस्त किया जा सकता था, पर इस तरह की गलतियों को दुरुस्त कराने के लिये गवर्नर महोदय से ऑर्डिनेन्स स्वीकृत करवा कर ऑर्डिनेन्स लागू करवाते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में तीन महीनों में ही कौन सा अकाल पड़ने जा रहा था, कौन सी हत्यायें होने जा रही थीं, कौन सी लूट-पाट हो रही थी ? मामूली शराब लोग निकालते थे। आपके कहे अनुसार शराब की मात्रा बढ़ती थी तो तीन महीने में सरकार को कोई घाटा नहीं होता था, ऑर्डिनेन्स के रूप में बाकी मसले उठाये वे एकदम निरर्थक और अनावश्यक हैं। इस तरह मैं सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कि सरकार ने अनावश्यक रूप से ऑर्डिनेन्स इश्यु करवाया है, गलतियां करने वाले लॉ डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिये ऑर्डिनेन्स जारी करवा कर गलत परम्परा का निर्माण करते हुए जनतांत्रिक भावना के प्रतिकूल कार्यवाही की है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ऑर्डिनेंस के जारी करवाने के सम्बन्ध में सरकार पश्चाताप करे और फिर इस प्रकार का बिल पास कराने की कार्यवाही करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जो ऑर्डिनेंस जारी करवाया गया है उसको निरनुमोदित करता हूँ।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिंहजी ने जिस ऑर्डिनेंस का विरोध किया है मैं भी उसका विरोध करता हूँ। हमारा सेशन चालू होने से पहले ऑर्डिनेंस राजपत्र में इश्यु करवाया जिसके लिये यह बिल आया है। पन्द्रह-सोलह धाराओं के संशोधन का आइटम रखा है। मैं नहीं समझता कि इतनी धाराएं एक साथ संशोधन करने के लिये क्यों रखनी पड़ीं ? ५ वर्ष के अर्से में आबकारी के मामले में आपको काफी जानकारी थी, मैं कभी कभी दौरे भी उनके साथ कर चुका हूं और कई बातें मेरी नजर में भी हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जो यहां नहीं कही जा सकतीं।

श्री किशनाराम : नहीं क्यों कही जा सकतीं। जो चीजें आंखों से देखते हैं अपने क्षेत्र में या राजस्थान में उनको सदन में आकर कहना चाहिये। अगर उन चीजों को यहां पर नहीं कहते हैं तो उचित नहीं है, इसका लोगों पर क्या असर होगा ?

एक माननीय सदस्य : हां, हां। तो फिर कह डालिये।

श्री किशनाराम : यह जो आबकारी संशोधन बिल लाया गया है इसमें कई चीजें ऐसे ढंग की रखी गई हैं कि पहले नम्बरदार इस प्रकार की सूचना देने के लिये जिम्मेदार ठहराया गया था, शराब पकड़ाने के बारे में, अफीम पकड़ाने के बारे में या और किसी तरह का मामला हो उसके बारे में नम्बरदार को जिम्मेदार ठहराया गया था और सरकारी अधिकारी जाते थे तो नम्बरदार को सबसे पहले पकड़ते थे कि कानून के अनुसार आप जिम्मेदार हैं, आपके गांव में ये ये चीजें मिली हैं, आपको गवाही देनी पड़ेगी। कोई केस झूठा होता था तो भी नम्बरदार को गवाह लिया जाता था, नम्बरदार को लाचार होकर गवाही देनी पड़ती थी। उसी प्रकार पंच और सरपंच को भी नम्बरदार के साथ लपेट दिया गया है। मैं तो समझता हूँ नम्बरदार को किसी जमाने में जरूरत थी, पर आज उतनी बड़ी इज्जत नम्बरदार की नहीं। न पंच और सरपंच की ही कोई इज्जत है। मैं तो आज-कल देखता हूँ कि एम. एल. ए. और एम. पी. की कोई इज्जत नहीं है। आपकी इजाजत हो तो बताऊं कि चूरू जिले में किस तरह से अधिकारी कानून तोड़ते हैं और जनता के प्रतिनिधियों की किसी प्रकार की परवाह नहीं करते....

श्री अध्यक्ष : आप आबकारी बिल के बारे में बोल रहे थे।

श्री किशनाराम : आबकारी के बारे में ही कह रहा हूँ, आबकारी के बारे में जैसा संशोधन सरकार लाकर अधिकारियों को अधिकार देना चाहती है कि किसी भी दूसरे गांव के गवाह को लाकर गवाह बना सकते हैं और उन गवाहों की गवाही के आधार पर सजा हो सकती है। इसी तरह का मामला है कि अधिकारियों द्वारा किस तरह कार्यवाही की जाती है, वह मैं रख रहा हूँ। सीकर जिले में चोरी का मामला था, एक्स एम. एल. ए. के ऊंट को बरामद करने के लिये आई. जी. पी. ने स्पेशल थानेदार को नियुक्त किया पर कलेक्टर और एस. डी. एम. ने ऊंट को पकड़ने नहीं दिया वहां का एस. पी. आई. जी. पी. को कोई सूचना नहीं देता है, थानेदार ने जो कार्यवाही की, कलेक्टर और एस. डी. एम. ने मिलकर चोरों को छुड़वा दिया और एक्स. एम. एल. ए. के ऊंट को नहीं पकड़ने दिया है।

इस तरह से हमारे सरकारी ऑफिसर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं ...

श्री अध्यक्ष : यह आबकारी के बारे में है। आप आबकारी के बारे में कहें तो कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे सारे आबकारी में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिये ही कह रहे हैं।

श्री किशनाराम : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह के पॉवर्स देने से जनता को तकलीफ देना और भ्रष्टाचार को बढ़ाना होगा। मैं आबकारी पर ही बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर कहते हैं तो कहें।

श्री किशनाराम : समझ में नहीं आता कि पंचायत समिति के प्रधान और नायब-तहसीलदार और पटवारी और सभी दूसरे लोगों को इसमें पाबन्द करना चाहते हैं, यह कौनसी बात है ? यह कहूँगा कि आपका इन्स-पेक्टर ऐसे आदमी को छोड़ देता है जो चोरी

(श्री किशनाराम)

करता है। हम तो कहते हैं कि पब्लिक के ये सारे आदमी जिम्मेदार आदमी हैं। पंचायत एक्ट में धारा लगाई जावे कि अगर कोई जुर्म नजर आवे तो पंचायत को सूचना दे। इस कानून के अनुसार उनको सूचना देना तो दूर रहा उनको उल्टा दोषी ठहराया जाता है। मैं तो समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अधिकार सरकारी अधिकारियों को दे देने का मतलब भले आदमियों की बेइज्जती कराना होगा। ठेकेदार लोग तो शराब पानी मिलाकर पिलाते हैं और उनके खिलाफ शिकायत करते हैं तो कोई उसको सुनता नहीं। इसका कारण यह है कि इन्सपेक्टर लोग उनसे मिले रहते हैं और उनके माहवारी रुपये बँधे हुए होते हैं। शराब के ठेकेदारों से ऊपर के ऑफिसरों की भी सांठ-गांठ रहती है। मैंने दो-तीन दफे मिनिस्टर साहब को भी इशारा किया था कि अगर आप चाहें तो आपको मैं दिखा सकता हूँ।

(हंसी)

यह हंसने की बात नहीं है, यह सही बात है। शराब है उसमें या कुछ मिला हुआ है या नहीं।

एक माननीय सदस्य : किसको कहा था, कहां कहा था, कब कहा था? मंत्री का नाम ले लिया उससे क्या होगा?

श्री किशनाराम : यह सच्ची बात है।

यह आबकारी बिल आया है उसमें बहुत सारी चीजें इस ढंग की रखी गई हैं और मैं यह समझता हूँ कि जितने संशोधन रखे गये हैं उनको रखकर जितने अधिकारी हैं उनको अधिक होशियार किया जावे कि जिससे जितनी भी शराब ठेकों में बिकती है वह सही ढंग से बिना मिलावट के, बिके उसमें मिलावट नहीं की जावे। मैं समझता हूँ कि इससे सरकार को न तो घाटा होगा व न सरकार को किसी प्रकार की शिकायत ही आएगी। मगर होता क्या है कि अनाप-शनाप ठेके की बोलियें लगती चली जाती हैं। इससे हमारे खजाने में पैसा ज्यादा आता है। लेकिन उसका नतीजा यह होता है कि ठेकेदार लोग न मालूम शराब में क्या क्या मिला देते हैं और उसे बेचते हैं जिससे पीने वालों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मगर सरकार इस पर कुछ नहीं सोचती है। आपके ही जिम्मेदार इन्सपेक्टर हैं, उन पर ए. सी. है। उन सब के ठेकेदारों के यहां से महीना बँधा हुआ है। अगर उनके पास कोई शिकायत करने के लिए जावे तो वे सुनते ही नहीं! अगर मेरे जैसा आदमी उन्हें जाकर कह दे कि फलां दुकान में शराब में पानी मिला हुआ है, आप चल कर देख सकते हैं, तो वह कहता है कि बाहर निकलो यहां से। अतः, क्यों नहीं इसके लिए इन्सपेक्टरों पर एक कमेटी बनाई जावे जिसमें पब्लिक के प्रतिनिधि हों? मैं तो सरकार को तब ईमानदार समझूं कि इस तरह की एक कमेटी बना दे, जिला स्तर पर या प्रान्तीय स्तर पर, तीन चार आदमियों की, जिसमें श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी जैसा होशियार और ईमानदार आदमी हो, जिसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जाता; वे समय समय पर अकस्मात् उन ठेकेदारों का इन्सपेक्शन करें। चूंकि इन्सपेक्टरों के दो पैसे माहवारी ठेकेदारों के यहां से मुकर्रर हैं इसलिये वे तो कुछ परवाह करते नहीं। उनको तो बहुत फायदा होता है। एक तरफ तो सरकार उनको तनख्वाह देती

(श्री किशनाराम)

है और दूसरी तरफ ठेकेदार उनको पैसे देते हैं। घर बैठे ही उन्होंने किसी पंडित को पकड़ा तो कभी किसी पटवारी को पकड़ा। अगर आज इस प्रकार के कानून बनावेंगे तो क्या होगा कि वे लोग अन्-नेसेसरीली लोगों को हैरान करेंगे। मैं यह कहूँगा कि जो कानून बना हुआ है उसको टीक तरह से अमल में लाने की कोशिश करें। आप में, जो कानून बना हुआ है उसको भी पूरा लागू करने की हिम्मत नहीं है। आप इस प्रकार नये नये ठेकेदार कर रहे हैं। सीकर जिले में यहां तक यह हालत बढ़ी-चढ़ी है कि चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो वह इन्सपेक्टर को अपनी जीप भेज कर बुलाता है। रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाता है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि डिपार्टमेंट में पहले ही काफी छूट दे रखी है। इसलिये इसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस का यह राज्य ऐसा आया कि इसमें इन्साफ की आशा कभी नहीं करनी चाहिये। इस राज्य ने ऐसा करतब दिखाया है कि कुछ कहा नहीं जाता।

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री किशनाराम : काफी बोलना है, आपका हुक्म हो तो बोल लूं।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे खयाल से काफी बोल चुके हैं। इस बिल पर और दूसरे भी बोलेंगे।

श्री किशनाराम : मेरे जैसा वक्ता भी नहीं मिलेगा और सुनने वाले मंत्रीजी भी नहीं मिलेंगे।

मैं यह कह रहा था कि एक्ससाइज एन्ड टैक्सेशन एमेन्डमेंट बिल रखा है....

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : खाली एक्साइज एमेन्डमेंट बिल है, टैक्सेशन नहीं है।

श्री किशनाराम : मैं यह कहूँगा कि हमारे यहां पर इस तरह की बन्दिश थी कि गवर्नमेंट डिस्टीलरी से शराब बनती थी और...

श्री अध्यक्ष : वह बन्दिश अभी तक हटी नहीं है।

श्री किशनाराम : मैं यह कहूँगा कि आपको बन्दिश पर बन्दिश नहीं लगानी चाहिए। पहले वाली बन्दिश ठीक है। हमने कमिश्नर तक देखलिये हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि वास्तव में क्या बात है।

एक माननीय सदस्य: आप जानते हैं?

श्री किशनाराम : सब बाबू जानते हैं और सब कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बहस जारी रखें। दूसरे बोलें उनसे आप डिस्टर्ब्ड न हों।

श्री किशनाराम : हमारे यहां कानून आबकारी बकायदा बना हुआ है। मैं यह कहता हूँ कि हमारे यहां इस विभाग में इतना अंधेर है कि ठेकेदारों को नाजायज शराब निकालने के लिये उल्टा प्रोत्साहित करते हैं। अफसर इतने गैर जिम्मेदार हैं कि कभी वे समय पर जाकर उनको चैक नहीं करते और करते हैं तो उनके लिये तो और भी अच्छा है, नोट आते हैं। मैं यह कहूँगा कि जहां तक ठेकेदार शराब में पानी मिलाते हैं वहां तक तो कोई बात नहीं, उसका असर आदमियों के स्वास्थ्य पर बुरा नहीं पड़ता। लेकिन ठे

(श्री किशनाराम)

ऐसा टिड्डी-फाका मिला देते हैं कि कुछ पता नहीं लगता जिससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है।

एक माननीय सदस्य :XXX

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसको रोक रहे हैं।

श्री किशनाराम : इसको कैसे रोक रहे हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : इसको सस्ता कर देना चाहिये।

श्री किशनाराम : आपको इस चीज का अनुभव है। आप बता दें। कानूनी जो बात है वह यह है कि जो कानून बना हुआ है उसका अफसरों द्वारा तकमील होना जरूरी है, इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसर लोग उस कानून को मानते ही नहीं। पब्लिक को आंखों के सामने उसको नहीं मानते और जनता उसको देखती रहती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज तक सरकार ने इस सम्बन्ध में उनके खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, इसका क्या कारण है ? यह मेरी समझ में नहीं आया। ठेकेदार के यहां पर कभी भी इन्सपेक्टर छापा नहीं मारते। फिर बताने पर उन पर क्या असर होने वाला है ? इसलिये मैं यह कहूँगा कि एमेन्डमेंट लाकर जनता को परेशान न करें। अगर आप इस जुर्म को रोकना चाहते हैं तो सरकारी अफसरों पर एक दूसरी बड़ी कमेटी कायम की जावे तब जाकर यह कहीं रुक सकता है। एक पांच आदमियों की या तीन आदमियों की कमेटी बनाई जावे। वह जिला स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर बनाई जावे। उसको अधिकार हो कि जब वह चाहे ठेकेदारों के ठेके चैक कर सकती है। इसमें ऐसे आदमी को लेना चाहिये जो एक तो ज्यादा जानकार हो और एक ऐसे आदमी को लेना चाहिये जो इसमें बिल्कुल ही जानकार न हो। तो वह ईमानदार रहेगा और असलियत बता देगा, दोनों का मिलकर अच्छा काम हो जावेगा। कमेटी बनाकर वह चैक करे और सरकार के सामने रिपोर्ट करे कि अमुक ठेकेदार ने इस प्रकार से शराब के अन्दर नाजायज चीज मिलाई है और इसको विकृत किया है, जिससे शराब पीने वालों को नुकसान होता है। इसलिए अमुक अमुक अफसर को वहां से दूसरी जगह भेज दिया जाय, मौअत्तिल किया जाय सर्विस से, कम तनख्वाह कर दी जाय, तरक्की रोक दी जाय, या उसको घर भेज दिया जाय क्योंकि आखिर मुनाफाखोरों को रखने की आवश्यकता क्या है ?

मुझे इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें कहनी हैं। तलाशी के वक्त स्थानीय आदमियों को गवाह न बनाना और रास्ते चलते कहीं दूसरे आदमी को बना दिया जाये, इसका भैरोंसिंहजी ने भी विरोध किया है और मैं भी इसका विरोध करता हूं। इससे तो ऐसी प्रथा लाया जा रही है कि जनता का हर मुखिया इससे वंचित नहीं रहेगा। इससे बेगुनाहों को फंसाया जायगा जैसा कि आये दिन हम गावों में देखते हैं, झूठे मुकदमें बना देते हैं, बेचारे लोग अदालतों में मारे मारे फिरते हैं और

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री किशनाराम)

उनका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। किसी तरह से उनके अड़ंगा लगा दिया, दोष तो किया नहीं, भगवान् मालिक है। इसलिए किसी लोकल आदमी को ही गवाह बनाना चाहिये; गांव के, पंच, सरपंच, नम्बरदार, जागीदार और भी अन्य मुखिया लोग हैं। क्या सरकार गांव के किसी भी आदमी पर विश्वास नहीं करती और केवल रास्ते चलते यह इल्जाम लगा दिया जाय और बैल, ऊंट और कोई भी चीज पकड़ कर कहा जाय कि चोरी की है या शराब बेची है, किसी रास्ते चलते आदमी को गवाह बना कर बिला वजह वहां के लोगों को फांसा जाता है। सवाल तो यह है कि गाँव में तो ऐसी झूठी शहादत देने वाले मिलेंगे नहीं क्योंकि भला आदमी तो गवाही जल्दी देता नहीं है क्योंकि झूठी गवाही दिलवाना चाहते हैं और वे देते नहीं हैं। इसलिए लोकल आदमी ही गवाह होना चाहिये और जो यह धारा रखी गई है उसको हटा देना चाहिये, लोकल आदमी ही रहना चाहिये। मुखिया को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिये। कोई भी कानून ऐसा नहीं है। जो भी आज तक कानून बने हैं उनमें से कोई ऐसा कानून नहीं है कि जुर्म करने वाले के अलावा दूसरा आवे, जो जुर्म करता है वह ही आवे, उसके भाई, मुखिया, उसकी औरत, लड़का, चाचा, ताऊ, भतीजा आदि क्यों आवे, उनको क्यों सजा मिले? केवल यही एक नया कानून आया है कि मुखिया जिम्मेदारी है। इनाम थोड़े ही मिलता है। जुर्म कोई करे और मुखिया को सजा मिले। यह जनता के खिलाफ पड़ने वाला कानून है। तीसरे में एक कमेटी बना दी जाय।

डॉ० बहादुरसिंह : उनको उसका एक मेम्बर बना दिया जाये।

श्री किशनाराम : बिलकुल बना दिया जाये। आप गवाही देना जानते हैं तो मैं मोटर सुधारना जानता हूं।

तो इस प्रकार की एक कमेटी बनाई जाय, जिला स्तर पर और प्रान्तीय स्तर पर। प्रान्तीय स्तर की कमेटी में डॉ० बहादुरसिंहजी को ले लेना चाहिये या मेरे जैसे को ले लेवें। जब तक इस ढंग की कमेटी नहीं बन जायेगी काम नहीं चलेगा। इसको यह अधिकार दिया जाये कि कोई इस प्रकार की अवैध चीज देखे तो जिला अधिकारी को रिपोर्ट करे और जांच कर सकते हैं। ठेकेदार और अफसर, नीचे से लेकर जिला स्तर के अफसरों की जांच कराई जाये कि ठीक तरह से चैक किया या नहीं, आया ठेकेदार ने कोई गैरकानूनी चीज मिलाई है या नहीं, उसका शराब सीज करवा कर देखना चाहिये। यदि इस प्रकार का सख्त कदम नहीं उठायेंगे तो जनता को ये लोग फाँसेंगे और आपका और आपकी सरकार के अफसरों का दरवाजा खुला रहेगा। मामूली बातें लाई जाती हैं उनका विरोध करते हैं। इसलिए एक तो स्थानीय गवाहों को रखा जाय, दूसरा मुखिया को बचाया जाय और तीसरा कमेटी बनाई जावे। यह किया जावे। मैं इस प्रकार से इस बिल का विरोध करता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह : (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस आबकारी विधेयक का समर्थन करता हूँ और समर्थन करने का कारण यह है कि अवैध शराब बनती है उसका यह है कि राजस्थान के अन्दर लॉ एन्ड ऑर्डर पर असर पड़ता है। और इस विधेयक से भारी असर पड़ने वाला है।

Page No.61

(डॉ० बहादुरसिंह)

मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे इलाके में इस प्रकार के गांव हैं, जिसका सदन में मैंने कई बार जिक्र भी किया है और माननीय मन्त्री महोदय भी जानते हैं कि उनके अधिकारियों की वहां पर किस प्रकार से पिटाई हुई। इसलिए यदि इस कानून में गवाही वाली बात नहीं रखी जाती है तो उस प्रकार के गावों में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। गवाह वाली बात का समर्थन करते हुए सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि यह क्यों आवश्यक है। एक गांव में सारे लोग अवैध रूप से शराब बनाते हैं। जब अधिकारी लोग पकड़ते हैं तो वे लोग अधिकारियों का मुकाबला करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ही अन्दाजा लगाइये कि क्या स्थिति हो? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस प्रकार से कई गांव अवैध रूप से शराब निकालते हैं। इस स्थिति में गवाह वाली बात महत्वपूर्ण है। चूंकि क्राइम बढ़ते जाते है इसलिए भी यह आवश्यक है कि इस प्रकार गवाह वाली बात रखी जाय। अधिकारियों को असुविधा होती है कि गवाह नहीं मिलते और दूसरे लोग तोड़ देते हैं। कुछ ऐसे लोग हों जो गवाही दे सकें और वे दूसरे गावों के हो सकते हैं इसलिए मैं इसका समर्थन करते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि अवैध शराब रोकने के लिए इस तरह गवाह का प्रोविजन रखा जाय।

विकृत शराब के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। दरअसल अवैध शराब बनती है, उसके कई कारण हैं। प्रमुख कारण यह है कि जो स्प्रिट सप्लाई की जाती है वह इतनी कोस्टली होती है कि दूकानदार उसमें मिक्स करके बेचते हैं जिससे उसकी जो एलकोहलिक पॉवर है, नशे की जो शक्ति है, वह कम हो जाती है। पुरानी परिभाषा में यह था कि ह्युमन के पीने के अयोग्य होगी तब उसको खत्म कर दिया जावेगा, अब इसमें शराब में विकृत चीजें मिलादी जावेंगी तो जुर्म होगा, इस प्रकार की व्यवस्था उपयुक्त है। यह विधेयक महत्वपूर्ण है और मैं आशा करूंगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर जो अवैध शराब बनती हैं उसे इससे रोका जा सकेगा।

धारा १० में कम से कम छः महीने की सजा रखी है। सजा की व्यवस्था करें, यह तो उपयुक्त है, लेकिन कम से कम सजा की व्यवस्था करते हैं तो न्यायाधीश के अधिकार पर असर आता है। इस पर जब क्लॉज बाई क्लॉज विचार होगा तो कम सजा रखी है उस पर अवश्य विचार करें।

एक बात डिस्टीलेशन के उद्धरण के बारे में है। शराब बनाने वाले उपकरणों पर कब्जा कर सकते हैं। इन्हीं उपकरणों से आयुर्वेदिक औषधियां भी बनती हैं। या तो यह प्रोविजन रखा जाये कि वहां दूसरी व्यवस्था की जाये और यहां शराब की दूसरी....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): क्या शराब और आयुर्वेदिक औषधि में काफी सम्बन्ध है?

डॉ० बहादुरसिंह : काफी साम्यता है। इसलिए इस क्लॉज में इस प्रकार की व्याख्या हो जिससे जो आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता हैं। उनको दिक्कत न हो। मैं आशा करता हूँ कि सदन इस पर विचार करेगा। सदन से निवेदन करते हुए आमन्त्रण ग्रहण करूंगा कि यदि राजस्थान में अवैध शराब बनना रोकना है तो इसको अवश्य पास करेंगे।

Page No.62

(२. ०. म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्साइज विधेयक जो सदन में प्रस्तुत हुआ है उसमें कुछ ऐसे क्लॉजेज रखे गये हैं, जिनका विरोध करना अत्यंत आवश्यक है। इस विधेयक के अन्दर सरपंच, नम्बरदार की ड्यूटी रखी है कि वे इस बात की सूचना देंगे, इस बारे में सरकार द्वारा जिनको तनख्वाह दी जाती है उनकी ड्यूटी न रखकर जनता द्वारा जो चुनिन्दा व्यक्ति हैं उनसे यह काम लेते हैं, उनको इसके लिये जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। क्योंकि जिस काम के लिये यह महकमा बनाया, जिस काम के लिये वहां पर लोगों को नियुक्त किया गया, जिस काम के लिये अपोइन्ट किया गया, उस एक्साइज विभाग के कर्मचारियों से ड्यूटी न लेकर पंचों, सरपंचों और नम्बरदारों से यह काम लिया जाय, यह कदापि न्यायसंगत नहीं। वे व्यक्ति अपनी ड्यूटी समझ कर इसको अन्जाम देवें, यह हम कानून के जरिये डिफाइन करना चाहते हैं, यह कहां तक वाजिब है? हम कानून बनाने के लिये यहां हैं। लेजिस्लेटिव असेम्बली जिम्मेवारी न ले, मिनिस्टर्स किसी प्रकार की जिम्मेवारी न लें और हम पंच, सरपंचों पर जिम्मेवारी थोपना चाहें, वे जनता की निगाहों में आते रहें. उनकी कम्पलेन्ट करते रहें, वे हमको इन्फमेशन देते रहें और उससे वहां के आदमियों को सजा मिलती रहे। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं की गांव में एक स्कूल चलता है। स्कूल के एक अध्यापक ने एक लड़के को फेल कर दिया, तो उसके बाप ने एक षडयन्त्र रचा कि इस मास्टर के बिस्तर में अफीम रखकर इसको पकड़वा दिया जाय और जब वह मास्टर गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर जाने लगा तो क्या किया कि उस मास्टर के बिस्तर में अफीम की पुड़िया रख दी गई और इस प्रकार से एक्साइज इन्सपेक्टर और पुलिस वालों को इत्तिला कर दी। इस तरह से उस अध्यापक को एक दूसरे स्टेशन पर जाकर पकड़ लिया। बेचारा सच्चा आदमी जिसने कभी इस प्रकार का धन्धा नहीं किया, लेकिन कुछ आदमियों ने मिलकर उसे पकड़ा दिया। क्या आप यही चाहते हैं कि इस तरह से एक्साइज इन्सपेक्टर को पच, सरपंच, नम्बरदार सूचना देते रहें और आदमियों को परेशान किया जाता रहे? और वह भी परेशान आप जनता के चुने हुए व्यक्तियों द्वारा करना चाहते हैं। ऐसी हालत में फिर आप उन लोगों को राज के खजाने से लाखों क्यों देते हैं? आपको चाहिये तो यह कि जिस इलाके में अवैधानिक शराब ज्यादा नहीं पकड़वाते उनको आप नौकरी से सस्पेन्ड करिये, उनका इनक्रीमेन्ट रोकिये और एक्साइज इन्सपेक्टर या जिला कमिश्नर, जिनके यहां इस प्रकार के मामले ज्यादा रजिस्टर हुए हैं उनको आप तरक्की दें, उनको आगे बढ़ने का चान्स दें; तो इस तरह से आप ही के कर्मचारी ज्यादा मुस्तैदी से काम करेंगे। आज हम देखते हैं कि जहां इस बात की इन्फोर्मेशन दी जाती है वहां पहले ही उनको इत्तिला कर दी जाती है, उस ठेकेदार को कि तुम्हारे यहां अफीम पकड़ने के लिये हम आने वाले हैं, तो इस तरह से सूचना देने पर कुछ भी माल हाथ नहीं लगता। इससे यह साफ है कि इनमें सरकारी कर्मचा-

(श्री लक्ष्मीचन्द)

रियों का साथ होता है, उनको जानकारी होती है। इस तरह के उनके एजेन्ट हर जगह मौजूद रहते हैं जो उनको समय पर इत्तिला दे देते हैं और इस तरह से उनका कनेक्शन इनसे बराबर रहता है। हम कोई इत्तला दें, हमारी इत्तला पहुंचने से एक घंटा पहले ही एक्साइज इन्सपेक्टर द्वारा सूचना मिल जाती है कि फलां अफसर तुम्हें पकड़ने के लिये आ रहा है, आप माल को हटा दें। आप चाहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि इन्फॉर्मेशन देते रहें और हमारी एजेन्सी माल को बरामद न करे और उन प्रतिनिधियों के कहने के अनुसार हम उन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर करें और उन प्रतिनिधियों को यह कहें कि फलां आदमी को पकड़वाना है तो यह पंच, सरपंचों की ड्यूटी आप रख रहे हैं, यह कदापि उचित नहीं कही जा सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस क्लॉज को यहां से हटा देना चाहिये।

दूसरा, इसमें यह है कि किसी के घर में औद्योगिक रूप से शराब बनती हुई पाई जाती है तो उसके लिये जिम्मेदार उस घर के मुखिया को माना गया है। इससे तो यह कि बेटा जुर्म करेगा तो बाप को पकड़ा जायगा और उसको सजा दी जायगी। मान लीजिये कोई घर का मुखिया कुछ दिनों के लिये बाहर चला गया और पीछे से उसके फेमिली मेम्बर ने या उसके किसी दुश्मन ने घर में अफीम डालकर उस अफीम को पकड़वा दिया, तो क्या वह बेचारा घर का मुखिया, जो घर बाहर है उसे पकड़ेंगे? इससे किसी को भी परेशान करने का अच्छा मौका मिलेगा। यह वाजब नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि शासन में और शासन चलाने वालों में कितना भ्रष्टाचार और करप्शन दिन-रात बढ़ता जा रहा है। हमारे पास इन १४ सालों के आंकड़े हैं। किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है और अधिकारों का दुरुपयोग किस प्रकार से होता रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें कानून बनाते समय यह देखना होगा कि इस प्रकार की धारा हम रख देते हैं तो जहां पहले से करप्शन, बेईमानी, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है उसमें इस प्रकार के कानून और ज्यादा इन चीजों को बढ़ावा देंगे या नहीं। इसके शिकार सच्चे आदमी होंगे और इससे सच्चे आदमियों को ज्यादा परेशान किया जायेगा। हम किसी सच्चे आदमी को गांव से निकलवाना चाहेंगे, उसको दण्ड दिलवाना चाहेंगे तो इसके जरिये उसको आसानी से गांव से निकलवाया जा सकता है। नहीं तो कम से कम एक दफा उसकी इज्जत का पानी तो उतार ही देंगे, बाद में भले ही वह कोर्ट में जाकर बरी होता रहे। इससे लोगों को और ज्यादा परेशानियां होंगी, इससे कोई भी इन्वेस्टीगेशन सूट नहीं ला सकेंगे।

तीसरा इसमें यह है कि वारेन्ट के सिलसिले में तलाशी लेने जायें तो आपको वहां गवाह तैयार करना चाहिये। यह मैं मानने को तैयार नहीं कि सरकार को वहां के गांव के गवाह के मिलते हों। झूठा केस बनाने के लिये जहां गवाह मिल सकते हैं वहां सच्चा केस बनाने के लिये न मिल सकते हों, यह बात नहीं है। आप तो चाहते हैं कि सच्चा केस बने ही नहीं। जहां की तलाशी ली जाती है, वहां उन लोगों के सामने माल बरामद किया जाता है, तो वे लोग सच्ची बात कहने के लिये तैयार रहेंगे। यह मानकर नहीं चलना चाहिये कि बाहर के गवाह

श्री लक्ष्मीचन्द

लायेंगे। तभी वे गवाही देंगे। जो आदमी माल बरामद करवायेगा वह जब गवाही देने का समय आयगा वह पीछे क्यों रहेगा? आप यदि चाहते हों कि किसी सच्चे आदमी को जिसने कभी यह काम नहीं किया हो और उसको फंसाना चाहेंगे, तो गाव का कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ झूंठी गवाही देने के लिये तैयार नहीं होगा। किसी सच्चे आदमी को फंसाने में वहां के लोग सहयोग नहीं दे सकते। आप गलत सूचना देकर किसी सच्चे आदमी के खिलाफ इस प्रकार के केस बनाना चाहते हैं तो उसके लिये गांव वाले गवाही देने को तैयार नहीं होंगे। आप इसीलिए यह चाहते हैं कि हमें किसी न किसी प्रकार एविडेंस तैयार क्यों चलते हैं कि आपको सच्ची एविडेन्स नहीं मिलेगी। अगर आप सच्ची बात करेंगे तो अवश्य मिलेगी. नहीं तो नहीं मिलेगी। इस कानून में डिफेक्ट है यह, इसलिये इसका सबको विरोध करना चाहिये।

श्री पी. के. चोधरी : (फुलेरा) मैंने पहले तो सोचा था कि इस बिल का विरोध शायद सदन में कोई भी नहीं करेगा। पर देख रहा हूँ कि कुछ जनसंघ के माननीय सदस्य, राम राज्य परिषद् के माननीय सदस्य इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि आया वे प्रोहिबिशन चाहते हैं या नहीं चाहते। यह उनके भाषणों से साफ जाहिर नहीं होती उनकी मंशा। मेरी समझ में, यह जो बिल लाया गया है उसका विरोध शायद इसलिये वे कर रहे हैं कि यह प्रोहिबिशन का प्रोविजन कुछ स्ट्रिक्ट है।

इस प्रोविजन में दो तीन बातें कही गई हैं। एक तो है डिनेचरिंग, दूसरा है सरपंच और पंच को रेस्पोन्सिबिलिटी देने के सम्बन्ध में तीसरा एक पोइन्ट है विटनैस का और चौथा है हैड ऑफ दि फेमिली का। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सारे प्रोविजन इसमें है और ये अत्यन्त आवश्यक हैं।

क्लॉज ३ में डिनेचरिंग को रक्खा है। पहले प्रोसैस प्रेस्काइब करते थे। पर बाद में जब यह देखा, यहां भी और दूसरे दूसरे प्रांतों में भी, कि यह प्रोसैस होते हुए भी लोग इसे पीते हैं और इससे लोगों की तन्दुरस्ती ज्यादा खराब होती है। तो लोगों की तन्दुरुस्ती न बिगड़ने पावे इसलिये अब क्या किया है कि इसमें क्या क्या पदार्थ मिलाकर इसको डिनेचर किया जाना चाहिये यह भी प्रेस्काइब कर दिया है, ताकि इसको पी नहीं सकें। इसको पीने से बचाने का यह एक तरीका है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, खर्चे के लिये हैं। यह जरूरी नहीं कि खर्चे ही करेंगे। इसका विरोध माननीय सदस्य कर रहे थे केवल एक थियोरेटिकल बेसिस पर। उनको प्रेक्टिकल एक्सपीरियन्स खर्चे के सम्बन्ध में नहीं है या है तो वे इस बात को स्वीकार नहीं करते। बूट लेगर्स का गेंग होता है और वहां पर विटनैस मिलना तो दूर रहा पुलिस वाले तक जाने से घबराते हैं। गांवों की बात से गुजराते हैं। गांवों की बात छोड़िये, बम्बई जैसे शहर में भी उस गेंग को जो गली होती है या लेन होती है उसमें पुलिस वाले जाने से पहले दस बार सोचते हैं, क्योंकि वे तो फिजिकल वॉयोलेन्स भी कर बैठते हैं, आदमी को मारकर छिपा देते हैं या घायल कर देते हैं, वे तो ऐसी जगहों पर पुलिस को बगैर आर्म्स के पहुँचना मुश्किल होता है। दूसरा

(श्री पी. के. चौधरी)

बात कि वहां की लॉकेलिटी के लोग उनसे सहमत हैं या उसमें शामिल हैं या उनकी मदद करते हैं यह बात नहीं है। कुछ हो सकते हैं पर सब नहीं। पर वे घबराते हैं। ३६५ दिन पुलिस वाले उनके पास नहीं रहते। अगर वे उनके खिलाफ जावें तो उसके बाद उनको परेशान और तंग करते हैं और सिर्फ इस वजह से कि माल तो मिल गया पर पंचनामे में कोई साक्षी उस गली के, लेन के या टापू के आदमियों की न हो तो पुलिस के इस प्रोसेस को इल्लीगल कर दिया जावे और वह केस फेल हो जावे, जैसा कि बहुत से केस इस तरह से फेल हुए हैं। तो इलिसिट डिस्टिलेशन को रोकने के तमाम प्रोसेस और मशीनरी को कामयाबी नहीं मिलने का यह कारण है तो इस प्रोसेस को ठीक किया है। आप एक तरफ कहते हैं कि सरकार इलिसिट डिस्टिलेशन बन्द नहीं कर पाई और अब बन्द करने के लिये कानूनी प्रावधान करती है तो विरोध करते हैं। यह क्यों? स्पॉट विटनेस नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर कोई मिले तो उसकी लाइफ तक डेन्जर में पड़ जाती है इसलिए यह प्रावधान अत्यन्त आवश्यक हो जाता है और इसके लिये क्रिटिसिज्म उचित नहीं है।

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, सरपंच, पंच पर जिम्मेदारी सूचना देने को नहीं रखी जाने के लिये कहा गया। मैं समझता हूँ इसे कानूनी रिकग्निशन देना जरूरी है। इससे उनकी हैसियत घटती नहीं, बढ़ती है। जिम्मेदारी ज्यों ज्यों देते हैं त्यों त्यों हैसियत बढ़ती है। यह आम बात है जो अधिकारी जितना जिम्मेदार होगा उसका प्रभाव उतना ही कम होगा और जिस अधिकारी की जिम्मेदारी ज्यादा होगी उसका प्रभाव भी ज्यादा होगा। तो इससे पंच, सरपंचों की जिम्मेदारी बढ़ेगी और प्रभाव भी। अब यह कहें कि प्रभाव बढ़े, जिम्मेदारी नहीं, तो यह नहीं हो सकता। यह हो तो फिर डेमोक्रेसी की मजाक होगी। यह चीज नहीं चल सकती। आज मिनिस्टर हैं, जितनी उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी बढ़ती है उतना ही उनका प्रभाव बढ़ता है। आज सरकारी मशीनरी की हम इस बात के लिये आलोचना करते हैं कि किसी मामले में वे रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते। तो किस तरह से रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की जावे ताकि एफेशिएंसी आवे। यह उसूल डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स पर भी लागू होता है। इससे उनका स्टेटस नहीं गिरता है, बल्कि बढ़ता है। फिर भी पेनाल्टी प्रेसक्राइब नहीं की है।

चौथी बात उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो क्लॉज २ रखा है। इसमें बॉंड एग्जीक्यूट करने का रखा है। एक आदमी के ऑफेन्स में साझा है तो उसके लिये बॉंड भराना बहुत जरूरी है। अगर हम ठीक ऑर्डर रखना चाहते हैं तो यह बहुत उचित प्रावधान इसमें है। दूसरी बात इसमें यह है कि हैड ऑफ दि फैमिली को रेस्पोन्सिबिल नहीं रखना चाहिये, ऐसा कहा गया। इसमें जब तक वह गुनहगार को न बतावे तब तक उसको जिम्मेदार ठहराया जावेगा। मेरे घर में कोई कुछ काम करता है और मुझे मालूम न हो, यह सम्भव नहीं लगता है। मेरे घर में इल्लिसिट डिस्टिलेशन हो रहा हो, जिसकी बदबू छिपी नहीं रह सकती, फिर कैसे हो सकता है कि मकान मालिक को पता न हो? इल्लिसिट डिस्टिलेशन ऐसी बात नहीं है कि चुपचाप कमरे में बना ली और उसकी बास भी नहीं आवे। इसलिए मकान मालिक को

(श्री पी. के. चौधरी)

उसकी जानकारी नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। जब उसके मकान में ऐसी चीज होती है और उसकी बास दूर तक भी जाती है तो उसको जरूर पता होना चाहिए और उसकी जानकारी में होगा। अगर यह उस जानकारी में होगा तो वह तुरन्त ही उसको बन्द करा देगा और अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो वह बाहर जाकर बैठ जावेगा और कह भी देगा कि मुझे पता नहीं। तो इसके लिए जो भी प्रावधान रखा गया है प्रेक्टिकल डिफिकल्टी को जो राजस्थान में महसूस की है और दूसरी स्टेट्स ने महसूस की है कि ये प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं इलिसिट डिस्टिलेशन को रोकने में तो उनका पूरा ख्याल रखा है। यह नहीं है कि माननीय मन्त्री महोदय के दिमाग में तुर्रा आ गया और ऐसा अमेन्डमेन्ट ले आये। ऐसी बात नहीं है अनुभव से और राजस्थान के नहीं बल्कि दूसरी स्टेट्स के एक्सपीरियन्स के आधार पर इन बातों को लाया गया है और जो माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं मैं समझता हूँ या तो वे प्रोहिबिशन के फेवर में नहीं है या फिर वे मिस-अण्डरस्टेंडिंग की वजह से विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि इस बिल को अपोज नहीं करें और सर्व सम्मति से इस बिल को पास कराने में मदद दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक्साइज अमेन्डमेन्ट बिल, १९६१ पर विचार चल रहा है। मैं समझता हूं कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने जिस प्रकार का आरोप लगाया कि जनसंघ के सदस्य जो इसका विरोध कर रहे हैं ऐसा लगता है कि वह मद्यनिषेध के विरुद्ध में हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ।

श्री चुन्नीलाल (रायसिंहनगर) उपाध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : You proceed on and I shall see that the quorum is complete.

(विराम)

(सचिव, विधान सभा से) Yes please ring the bell.

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

डॉ॰ बहादुरसिंह (धौलपुर) : वह भावना ही ऐसा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि एक्साइज अमेन्डमेन्ट बिल का विरोध करने का कारण यह नहीं है कि जनसंघ किसी प्रकार से मद्यनिषेध के विरुद्ध है। मैं यहां यह बात साफ कर देना चाहता हूँ कि प्रारम्भ में ही जब इस बिल का विरोध किया गया तब जनसंघ के नेता ने हाउस के सामने यह निवेदन किया कि वह तो यह आशा कर रहे थे कि माननीय आबकारी मन्त्री मद्यनिषेध का बिल सदन के अन्दर लाने वाले हैं और जब ऑर्डिनेन्स सामने आया तो उन्होंने समझा कि ऑर्डिनेन्स के जरिये मद्यनिषेध की कोई कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स पढ़ने के बाद निराशा हुई और उन्हें लगा कि जिस प्रकार का ऑर्डिनेन्स और अमेन्डमेन्ट बिल आज यहां पर रखा गया है वह अमेन्डमेन्ट बिल इस प्रकार से लाने की आवश्यकता नहीं थी। उसका कारण यह नहीं है कि नीतिगत तरीके से जनसंघ

Page No.67

(श्री दयाकृष्ण विजय)

किसी प्रकार से मद्यनिषेध के विरोध में है, लेकिन जिस प्रकार का अमेन्डमेन्ट एक्साइज अमेन्डमेन्ड बिल को तरह से लाया गया है और इसको जिस प्रकार से लॉ डिपॉर्टमेन्ट ने फ्रेम किया है यदि इसको बारीकी के साथ देखा जाये तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा लॉ डिपार्टमेन्ट जो कोई कानून अपने हाथों से निकालता है उसको यह याद नहीं है कि आज गांवों में कौन से आदमी रहते हैं और कौन से आदमी नहीं रहते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स रेनी है और क्या नहीं ? मैं यही बात यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के जितने भी क्लॉजेज हैं उनको इस प्रकार से ड्राफ्ट किया गया कि जो प्रोविजन्स पहले के मौजूद हैं उनको यदि पढ़ा जायेगा तो मालूम होगा कि इस प्रकार के अमेन्ड-मेन्ट्स की आवश्यकता नहीं थी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि शराब को डिनेचर्ड किया जाता है और इस प्रकार की वस्तुओं को पेश किया जाता है तो उसके विषय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि इस प्रकार की वस्तुओं को जनता के सामने लाया जाये और जनता के स्वास्थ्य को गिरने दिया जाये, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि वे सारे ही पदार्थ जनता के स्वास्थ्य पर असर करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही नहीं कहूँगा कि ये जनता के स्वास्थ्य पर असर डालते हैं बल्कि मैं तो यहां तक कहना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान की गरीब जनता के गाढ़े पसीने की कमाई होती है वह सिर्फ पानी में चली जाती है। लेकिन जिस प्रकार से आज के आब-कारी के ठेकेदार शराब के ठेके से उनका शोषण करते हैं, इसको माननीय मन्त्रीजी भी जानते हैं। आज जिस प्रकार से शराब के ठेके देते हैं उनकी आमदनी कितनी होती है और ठेके की रकम उनको कितनी सी देनी होती है; जितने में ठेकेदार ठेका लेता है उससे कितने ही गुना उसकी आमदनी होती है और सेल सही माने में कम होती है। जब आप मानते हैं कि एक ठेकेदार जिसको वह शराब सेल करनी होती है वास्तविक सेल से जो कीमत होती है उससे ज्यादा में ठेका लेता है तो आखिर वह कमाई करता ही है। जब तक कमाई नहीं होगी तब तक ठेके की इतनी बड़ी रकम कैसे देगा ? मुझे याद है कि हमारे कोटा के एक शराब के ठेकेदार हैं उनके पास दो कारें हैं और उनका काम ही केवल यह है कि ऑफिसरों को कार में बैठा कर घुमाते फिरते हैं और वे कारें ऑफिसरों के ही काम में लाई जाती हैं। आप ही सोचिये कि आखिर एक ठेकेदार जिसको अपनी सेल से ज्यादा ठेके की रकम देनी होती है वह किस प्रकार से दो दो कारें मेन्टेन कर सकता है ? एक गरीब आदमी अपने गाढ़े पसीने की कमाई लेकर जब अपना गम भुलाने के लिए जाता है और शराब के स्थान पर पानी मिलाया जाता है और सारी अपनी कमाई को वहां लगाने के बाद भी उसके दिल का दर्द दूर नहीं हो पाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर आप इस प्रकार की कार्यवाही को क्यों नहीं रोकते ? इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि आज हमें देखने को मिलता है कि शहर के बीच में शराब की दुकानें बनी हुई हैं और उनको दूर करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आज कोटा के अन्दर, लाडपुरा के अन्दर, बहुत बड़े कांग्रेसी के सामने ऐसे ही शराब के एक ठेकेदार हैं और उनकी दुकान वहां पर है। पहले जब वह वहां नहीं रहते थे तो वहां की

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जनता ने उसके लिए कार्यवाही की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब वे कांग्रेसी वहां रहने लगे तो उनसे कहा गया कि इसको हटाना चाहिए। अभी मैं एक बैठक के सिलसिले में उनके मकान पर पहुँचा तो मैंने उनसे कहा कि सामने यह मधुशाला लगी हुई है और दूसरों ने भी कहा और मधु के प्यासे लोग सड़क के चौराहे पर अपना गम भुला रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो काफी प्रयत्न करके थक गया, लेकिन यह दुकान यहां से नहीं हट सकती। इस दुकान का मालिक मुझसे भी ज्यादा जोरदार है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अधिकारी हैं वे उनके ऊपर छाये हुए हैं और इसीलिए आज वह दुकान वहां से नहीं हट पाती है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से भी यह कहना चाहता हूँ कि आप में यदि कुछ दम है तो आप ही उस दुकान को, जो बाजार में लगी हुई है उसको हटाने की चेष्टा करें।

श्री दलीपसिंह (बारां) : उसके लिए रिप्रेजेन्टेशन आ गया?

श्री दयाकृष्ण विजय : रिप्रेजेन्टेशन तो दुनियाँ भर का हो चुका है। चार-पांच साल से चल रहा है।

श्री चन्दनमल वेद (सरदारशहर) : लाडपुरा की दुकान से इस बिल का क्या सम्बन्ध है, समझ नहीं पाये।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): जिस तरह जनसंघ और प्रोहिबिशन का।

श्री दयाकृष्ण विजय : जिस समय जनसंघ आयेगा तो प्रोहिबिशन अपने आप आ जावेगा।

श्री चन्दनमल वेद : जब तक नहीं आता तो गम भुलाने के लिए आप कुछ कीजिए।

श्री दयाकृष्ण विजय : वह तो आवेगा, आप रोक नहीं सकते। समय की गति चल रही है, तो मैं कह रहा था, कम से कम ऐसी दुकानें जो कि न्यूसेन्स हैं उनको हटाने के लिए कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि जो यह बिल ड्राफ्ट किया गया और उसमें जो कमियां रह गई हैं उन कमियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सबसे पहले सेक्शन ८, जिसके विषय में काफी बात हुई है, कि इसमें लम्बरदार के बजाय पंच और सरपंच रखा गया है, लेकिन इसकी मूल क्लॉज जो है उसकी ओर यदि हम देखेंगे तो उसमें विलेज हैडमेन और विलेज एकाउन्टेन्ट का नाम भी लिखा है। विलेज हैडमेन के लिए चौकीदार है और चौकीदारी प्रथा राजस्थान में समाप्त हो चुकी है....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): लम्बरदार होता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : लम्बरदार को विलेज हैडमैन लेते हैं तो विलेज एकाउन्टेन्ट होता नहीं है। लम्बरदारी प्रथा जिसको पटेलाई प्रथा कहते हैं तो वह प्रथा हमारे यहां एक्सेप्ट करते हैं। उसका उन्मूलन नहीं हुआ है, हालांकि राजस्थान में यह चल रहा है कि इसको भी समाप्त किया जाय जिस तरह कि चौकीदारी प्रथा को किया है।

श्री दयाकृष्ण विजय

लेकिन विलेज एकाउन्टेन्ट की हमारे यहां कोई पोस्ट नहीं है। ओरिजिनल क्लॉज की यह बात है कि लम्बरदार की जगह पर जो पंच और सरपंच दे रहे हैं तो उसकी जगह पर विलेज एकाउन्टेन्ट देते तो मैं समझता हूं कि बात समझ में आती कि ठीक तरह से अमेंडमेंट लाते हैं। लम्बरदार, जिसको पटेल कहते हैं उसकी जो कुछ पोजीशन गांव में है वह पोजीशन गांव के सरपंच की भी नहीं है। उस पटेल को तो हटा रहे हैं और विलेज एकाउन्टटेन्ट, जिसकी पोस्ट विलेज में नहीं है और विलेज हैडमेन भी नहीं हटा रहे हैं और उस लम्बरदार की पोस्ट को हटा रहे हैं जो कि एक रेस्पॉन्सिबल आदमी गांव का होता है। यह अमेंडमेंट की हालत है, यह हमारे लॉ डिपार्टमेंट की हालत है कि जिसको पता नहीं है कि लम्बरदारी प्रथा तो है और चौकीदारी प्रथा समाप्त हो चुकी है। चौकीदार को तो रखते हैं और लम्बरदार को हटा रहे हैं। इसका कारण यह है कि बिना देखे भाले ही लॉ डिपार्टमेंट ड्राफ्ट करता है। यह सारी गलतियां इस तरह की होती है।

इसी तरह से सेक्शन १७ का जो ओरीजिनल क्लॉज था उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज तक कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं देखा है कि चाहे चोरी का माल हो, चाहे-कांजी हाउस में किसी की गाय चली गई हो तो यह कहीं भी नहीं होता है कि गाय को उसी के हवाला कर दिया। वह या तो राज्य सरकार के द्वारा बेची जायगी या किसी के पजेशन में रख कर कहीं रखी जायगी। चोरी का जितना सामान होता है वह मालिक को लौटाया जा सकता है। लेकिन कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी भी प्रकार का सामान पकड़ा जायगा, जैसा कि इसमें अमेंडमेंट किया है कि उनसे पैसा लेने के बाद में सारी चीजें चाहे वह आपके द्वारा पकड़ी जाने वाली एक्साइज की चीजें हों वे उनको लौटा दी जायंगी। आखिर क्या होता है कि वे चीजें जो इस प्रकार से लौटा देंगे, जिसको कि आप हटाना चाहते हैं और अब आप उनको लौटाने का प्रावधान इसमें कर रहे हैं, कहीं यह चीज और देखने को नहीं मिलती है। चोरी का सामान पकड़ा, कहीं पर आपने अफीम पकड़ी है तो दोषी जो है, अपराधी जो है, वह अपराधी आपसे कहता है कि पैसा देते हैं और पैसा लेने के बाद आप अफीम लौटा देंगे. ऐसी बात आज तक कहीं देखने को नहीं मिलती है। मैं बता रहा हूँ कि सेक्शन में आपने अमेन्डमेन्ट किया है उसमें आपने हटाया है :

"may release the same on payment of the value"

जो आपने पहले लिखा था वह करेक्ट था कि एक्साइजेबल ऑर्टिकल्स को नहीं लौटाया जायेगा और राज्य जिस तरह से चाहेगा उसका उपयोग करेगा, लेकिन किसी दोषी को....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): You are not following it.

श्री दयाकृष्ण विजय : You are amending it.

श्री सोहनलाल भटनागर : It is better now.

श्री दयाकृष्ण विजय : आज तक कहीं पर भी एग्जाम्पल बता दें कि जहां पर चोरी का सामान किसी को लौटा दिया हो ?

Page No.70

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): पूरा पढ़ो।

श्री दयाकृष्ण विजय : इन चीजों को देखने के बाद इसके अलावा और भी सबसे पहले यहां डिनेच्योर्ड डिफाइन किया है, हालांकि पहले ओरिजिनल धारा के अन्दर सेक्शन ३ में इस प्रकार से यह डिफाइन किया हुआ है तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से नई डेफिनिशन रख कर नया क्लॉज बनाया है, मैं उन बातों की ओर नहीं जाता कि 'एन्ड' की जगह 'और' कर रहे हैं और छोटे छोटे अमेडमेन्ट रखे हैं, लेकिन इतना बड़ा जोड़-जाड़ कर माइनर अमेन्ड-मेन्ट को इस प्रकार से लाया गया है कि जो कभी भी लाया जा सकता है। डिनेच्योर्ड की डेफिनिशन जो पहले थी वही अब है, उसमें खास तौर से कोई अन्तर नहीं है।

'In order to render any spirit unfit for human consumption.'

'इफेक्चुअली' और 'पर्मानेन्टली' ये दोनों शब्द नयी डेफिनिशन में कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। इसका अर्थ क्या है? डेफिनिशन और भी वीक हो जाती है। पहले जो लिखा है

'Effectually and permanently rendered unfit for human consumption; '

यहाँ पर इसमें यह चीज कहीं भी नहीं थी कि 'render any spirit unfit for human consumption" आगे चल कर वह आया है 'effcetually and permanently' इसमें पर्मानेन्टली और इफेक्चुअली वे सारे शब्द हटा दिये गये हैं और बाकी की सारी चीजें इसमें हैं। यह चीज और जोड़ी है :

'whether as daeverage or as a medicine or in any other way whatsover'.

अब यह 'एज ए मेडिसिन' यदि कोई इस प्रकार से 'डिनेच्योर्ड' करता है किसी चीज को वह 'एज ए मेडिसिन' करता है उसको भी इस परिभाषा में रखा गया तो जितने भी डिनेचोर्ड हैं कोई एलकोहल का प्रयोग करते हैं अपनी दवाओं के लिए, किसी भी प्रकार से 'डिनेच्योर्ड' करते हैं दवाओं के लिए, तो किस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे? क्या पैमाना है? क्या मापदण्ड है? आप कैसे कहेंगे? एक वैद्य और एक डॉक्टर जब कभी मेडिसिन के नाम पर कुछ करेगा तो कैसे सिद्ध करेंगे जब तक कि मापदण्ड नहीं लगायेंगे? मेरी समझ में यह आता है कि 'एज ए मेडिसिन' के नाम पर वैद्य और डॉक्टर को अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं। इस प्रकार से जो डेफिनिशन में लिखा है, मैं समझता हूँ कि वह बिल्कुल रॉग है, और एक तरह से बड़ा कन्फ्युजिंग है। उसकी वजह से न केवल जो इस प्रकार से डिने-च्योर्ड करने वाले हैं वही बल्कि डॉक्टर्स और वैद्य भी जो अपने आप मेडिसिन बनाते हैं वे भी सारे आ जाते हैं। उससे बड़ी भारी गलती होने का अन्देशा है। पहले जो परिभाषा इसमें दी गई है वह ज्यादा इफे-क्टिव और बहुत अच्छी प्रभावशाली थी। मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ कि यह जो डेफिनिशन यहां पर रखी है वह ठीक नहीं है।

इसके अतिरिक्त बिल्कुल इसी तरह की विरोधी बात जो नीचे को पार्ट (सी) है उसका जो पॉर्ट फोर्थ है: 'Spirit, fermented liquor or any alcoholic liquor for human consumption or denatured spirit'

Page No.71

श्री दयाकृष्ण विजय

जहां आप यह कहते हैं कि हमारे एक्साइजेबिल आर्टिकल वह होंगे जो ह्यूमन कन्जम्पशन के काम में आने वाले हों क्योंकि वह चुने हुए है, पेय पदार्थ हैं, जिनकी मादक द्रव्यों में गिनती होती है, लेकिन डिनेच्योर्ड स्प्रिट को इस प्रकार से एक्साइजेबिल आर्टिकल्स में रखते हैं तो आप स्वयं उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस प्रकार से डिनेच्योर्ड स्प्रिट तैयार की जाये ताकि आपको एक्साइज की इन्कम होती रहे। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं और आप समाप्त करना चाहते हैं तो उनको एक्साइजेबिल आर्टिकल्स में नहीं गिनाया जाय, क्योंकि दलील जो मद्यनिषेध के बारे में दी जाती है तो आप कहते हैं कि आबकारी की रेवेन्यू समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से आर्टिकल्स जो गिनाये हैं, डिनेच्योर्ड स्प्रिट को रखा है तो उससे यह भावना नजर आती है कि केवल आबकारी की इन्कम को बढ़ाने के लिए डिनेच्योर्ड स्प्रिट को पेय पदार्थ, मादक द्रव्यों में रखा है जिससे आप जनता के स्वास्थ्य को बिगाड़ना चाहते हैं। तो मैं यह निवेदन करता हूँ कि एक्साइजेबल आर्टिकल्स के अन्दर इसको गिनाया गया है, जिसकी वजह यह है कि एक्साइजेबल आर्टिकल्स उनको कहा जाये जिनका आप उपयोग कर सकते हैं या जिनके लिए आप लाइसेन्स दे सकते हैं। लेकिन जिस चीज के लिए लाइसेन्स नहीं देते हैं तो उन पर जुर्माना करिये और अपराधी है तो दण्ड दिलाइये। लेकिन एक्साइजेबल आर्टिकल में आप उसको लेना चाहते हैं और मद्यनिषेध वाली परिभाषा है उसमें वह हो जिससे आपको पैसा आता रहे और जनता का स्वास्थ्य गिरता रहे; कांग्रेस सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं है। पैसे की चिन्ता है, चाहे जनता का स्वास्थ्य गिरे, गरीब जनता का पैसा चाहे ठेकेदार लूटते रहें, अपनी मोटरें चलाते रहें, महल बनाते रहें और जनता का जीवन स्तर सारा बिगाड़ा जाकर यह स्थिति बनी रहे और आप इस प्रकार से कानून बनाते रहें।

इस प्रकार से इस बिल में कितनी ही कमियां है, मैंने बिल्कुल नई बातें आपके सामने रखी हैं कि इस सारे आधार पर जो कुछ भी है, हालांकि मुखिया को इसमें कर दिया है कि यह सारी चीज के लिए जिम्मेदार होगा। घर में और भी लोग रहते हैं और हर मनुष्य की प्रकृति भिन्न होती है। कुछ व्यक्ति अच्छे गुण के निकलेंगे और कुछ वैसे निकलते हैं। वह मुखिया चाहता है कि वह भी सद्भाव का बने, लेकिन सारे समझाने के बावजूद भी वह आदमी अच्छे रास्ते पर नहीं आता है और दुर्गुणों के अन्दर फंसा हुआ है, लेकिन सारे दुर्गुणों का अपराध उसके सिर पर नहीं थोपा जा सकता है।

जो अच्छी गृहस्थी चलाने वाला, है अपने परिवार को समझाता है, अपने बच्चों और रिश्तेदारों को समझा नहीं सकता, यह बिल्कुल मनोवैज्ञानिक बात है. दूसरे आदमी समझा सकते हैं लेकिन घर का मुखिया है वह कभी अपने डिपेन्डेन्ट्स को सलाह देकर सही रास्ते पर ले आवें, यह बहुत कम दिखता है। लेकिन जो परिवार के लोग गलत रास्ते पर चलने वाले है उनका दोष मुखिया पर लगाया जाय, यह कहीं देखा नहीं जाता।

हमारा सारा बिल वेल ड्राफ्टेड नहीं है।

Page No.72

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इसमें इतनी गलतियां हैं कि पहले जो अच्छी बातें थीं उनको निकाल कर कुछ ऐसी बातें जोड़ दी हैं जिनसे परेशानियां बढ़ेंगी। कोई अच्छा हल निकल सकेगा यह दिखाई नहीं देता । इसलिये मैं इन सारी बातों के आधार पर इस बिल का विरोध करता हूं, इसको नहीं लाना चाहिये

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जब जब एक्साइज बिल के बारे में यहां पर बहस हुई है उस वक्त सदन में बार बार इस डिपार्टमेन्ट को क्रिटिसाइज किया गया है। इसके लिए जो....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सभी सदस्यों द्वारा ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कुछ सम्माननीय सदस्यों द्वारा....

श्री श्रीभानसिंह : इतना ही कह दें कि जनसंघ के सदस्यों द्वारा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं पहले की बात कह रहा हूं। सभी सदस्यों ने मौके-बेमौके कई बार क्रिटिसिज्म किया है, उसको महसूस करते हुए सरकार इस बिल को लाई है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन स्वागत करता हुआ यह कहना चाहता हूं कि इन गलतियों को निकालने के लिये, इन कमजोरियों को निकालने के लिये जिसकी वजह से अवैध शराब बनाने वालों पर और भी कड़ा नियंत्रण करने के लिये इस बिल को यहां लाया गया है। इस बिल के जरिये इस पर विचार करते समय जहां इसमें कुछ हद तक सख्तियां एवं ज्यादा अंकुश करने के लिये कुछ प्रावधान किया गया है वहां और भी ज्यादा इसको कड़ा करने की गुंजाइश थी। इससे और भी आगे बढ़ते तभी राजस्थान में आबकारी का काम ठीक से हो सकता था।

यहां सवाल उठाया जाता है प्रोहिबिशन का । लेकिन प्रोहिबिशन का सवाल इसमें नहीं है । इस बिल के जरिये यह है कि जो कानून बना हुआ है उसमें किस तरह से इफेक्टिवनेस लाकर, जोरदार ताकतवर इसको बनाया जाये। जो लोग अवैध शराब बेचते हैं उनको दण्ड दिया जाये और अवैध शराब बिकना बंद कियाजाये और जो कानून की गिरफ्त से बाहर भाग जाते हैं उनको कानून के कड़े शिकन्जे में लाया जाये। इसकी वजह से इसको कड़ा किया गया है।

लेकिन इस पर वैज्ञानिक ढंग से सोचें तो सरकार को यह भी सोचना चाहिये कि आया अवैध शराब को बेचने के लिये आम जनता क्यों उत्साहित होती है ? मामला यह है कि वह सस्ती चीज है और सस्ती चीज पर एक्साइज टैक्स बढ़ाने से सरकार के एक्सचेकर में आमदनी होती है और उसको कायम रखने के लिये यह जरूरी भी रहता है और इसके बाद इसके ऊपर इसके जरिये रेस्ट्रिक्शन करने के लिये कि ज्यादा लोग शराब न पीये सस्ता बनाकर, इसके जरिये आमदनी भी होती है....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): (अश्रव्य)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (जारी) हो जायगा तो आपको मालूम होगा, भटनागर-

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

साहब। इसकी जड़ में जाया जाये। सवाल यह है कि क्यों बनती है ? मैं पहले भी कह चुका हूँ, व फिर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। होता क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जारी है उसमें जब ठेका खुले रूप से दिया जाता है, उनका रिकार्ड १० साल तक का होता है जिस पर ठेके की बोली बोली जाती है उसके अन्दर ईमानदारी से जो आपका कानून है उसको सख्ती से एन्फोर्स किया जाये तो उनकी आमदनी २० हजार से अधिक नहीं होगी, रिकॉर्ड में प्रूफ हैं, टैक्स देते हैं इतने की कीमत फिक्स्ड है उस कीमत पर बनी शराब बेचते हैं, उसका रिकार्ड उठाया जाय तो २० हजार से ज्यादा नहीं होता, लेकिन उस दुकान का जब दुबारा ठेका होता है, सरकार के हुक्काम लोग जब जाकर बोली बोलते हैं तो उस दुकान को डेढ़ दो लाख पर नीलाम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास १० साल का रिकार्ड है, कोई झूठी बात नहीं है, उसको देखा जा सकता है, जो लोग अपनी किताबों में २०,००० का फायदा निकालते हैं, जिसका टैक्स हमको मिलता है, वही वैध ढंग से, कानूनी ढंग से बनी शराब सरकार से प्राप्त करके बेचते हैं, उसका फायदा बीस हजार से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इन १० सालों का रिकार्ड उठावें तो भी इससे ज्यादा फायदा नहीं होता, फिर भी जब दुबारा नीलाम होने पर लाख, डेढ़ लाख में वह दुकान बिकती है, इसका मतलब यह है कि या तो ठेकेदार लोग धर्मात्मा बन गये हैं और यह सोचते हैं कि ब्लेक मार्केट से जो पैसा कमाया है उसको शराब के ठेके की बोली के जरिये सरकार को दान कर दिया जाये। उन पर धर्म चढ़ गया है और गंगाजी में नहाने के लिए १॥ लाख रुपये सरकार को दे देते हैं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : शराब में नहाने के लिये कहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : शराब में नहाने के लिये हो सही, मैं आपकी बात मंजूर करता हूँ। जो अधिकारी हैं उनसे मिल कर बराबर अवैध शराब कहीं से खिंचवा मंगा कर बेचने से उनको बहुत फायदा होता है। इन दुकानों पर वह शराब इतनी नहीं बिकती जिसके द्वारा टैक्स सरकार को प्राप्त होता है, जिससे २० हजार सालाना फायदा होने वाला है वह शराब ज्यादा नहीं बिकती। लेकिन वे जानते हैं कि यह हम सरकार की जायज शराब बेचने का ठेका प्राप्त नहीं कर रहे हैं लेकिन लाइसेन्स प्राप्त करते हैं इस बात का कि अवैध शराब, गांवों में खिंची हुई अवैध शराब बेचकर पूरा फायदा उठावें, यह नीयत उनकी होती है। मैंने इस बात की जानकारी करने की कोशिश की और पूछा कि क्या बात है कि उनका दावा है कि साल भर में २० हजार रुपये ही प्राप्त कर सकते हैं ? फिर उनको १ लाख रुपयों की बोली लगाने की हिम्मत कैसे होती है ? वैध शराब कानून से बनी हुई शराब, सरकार द्वारा दी हुई शराब यदि उनकी दुकान पर इस भाव से बिके तो इतना फायदा उनको हो नहीं सकता। अधिकारी लोग भी इस बात को महसूस करते हैं। उनकी बिक्री बढ़ जायगी। जहां २० हजार का एलान करते हैं वहां एक या डेढ़ लाख की बोली जाती है और जो एक्साइज टैक्स सरकार को प्राप्त होता है वह २० हजार की आमदनी का ही होता है अर्थात् उतने ही रुपयों के बराबर होता है जो रुपये हमको प्राप्त होते हैं। निश्चित रूप से जरूर

Page No.74

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

यह बात है। दिखाने के लिये कोई भी आदमी अपने घरकों को सजा दिलायेगा, जेल जायेगा हैड ऑफ दि फेमिली जेल जायेगा इस सब को रिस्क लेते हुए भी इस गरीब राजस्थान में सैकड़ों फेमिलीज शराब बनाने का काम किया करती हैं। क्या कारण है? उस पर हमें जाना पड़ेगा और कारण पर जायेंगे तो आपको ठेके का जो सिस्टम है उसको हटा देना पड़ेगा, उस ठेके के सिस्टम को बदलना होगा, उसकी तरफ गौर करना होगा; इसके बाद आपको इस बात पर आना पड़ेगा, जब आपके अधिकारी इस बात की आपको सलाह देते हैं कि अगर ईमानदारी से इसको एन्फोर्स करें तो उतना ही पैसा ले सकते हैं, एक कानूनी ढंग से शराब प्रोवाइड करें तो उतनी ही बचत उस पर होगी जितनी आज होती है। अगर ऐसे वैध ढंग से शराब बेची जाय तो सरकार को टैक्सेशन और एक्साइज ड्युटी से उतनी ही आमदनी हो जायगी जितनी कि ठेके के जरिये करते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार ने इस पर गौर किया है और उसके बाद ही इस एक्ट को यहां लाया गया है। मुझे सरकार का नेक इरादा मालूम होता है कि इस ठेके के सिस्टम पर सरकार ने पूरे ध्यान से विचार किया है। इसकी वजह यह है कि आज शराब के पीने वालों के प्रति किसी की सहानुभूति नहीं है। कोई गरीब आदमी है, वह यह जानते हुए, अपने पेट में रोटी न खाकर, बाल-बच्चों के लिए नरक का वातावरण पैदा करके भी शराब पीता है। उससे किसी की सहानुभूति नहीं है। वह पानी मिली हुई और सड़ी हुई शराब पीता है, जो अवैध ढंग से, अन-ऑथाराइज्ड ढंग से, जिस ठेकादार को लाइसेन्स मिला हुआ है, उस ठेकेदार के द्वारा बेची जाती है। आज यह कोई सोचने वाला नहीं है। जो स्पेसिफिकेशन जिस तरह के शराब के लिए किये हैं, उस स्पेसिफिकेशन की शराब क्या आज बिकती है? जो गांव जंगलों के अन्दर हैं, खाड़ खाड़ के अन्दर हैं, वहां बबूल की छाल मिला कर घर घर के अन्दर शराब की भट्टी लगा कर शराब बनाई जाती हैं, वह अन-अथॉराइज्ड हैं। एक तरफ तो हम यह कोशिश कर रहे हैं कि शराबखोरी बन्द हो, दूसरी तरफ सरकार अहमदाबाद वगैरह में शराब बेचने के लिए लाइसेन्स दे रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो शराब को बनाते हैं, उसके लिए जो स्पेसिफिकेशन बनाया हुआ है, अगर उसके अलावा कुछ भी शराब उसकी दुकान पर प्राप्त होती है, तो उसको फांसी की सजा नहीं तो कम से कम सात साल की सजा अवश्य दी जाये। मैं समझता हूँ कि इस तरह का संशोधन होना चाहिए, जो लाइसेन्स प्राप्त करता है शराब बनाने का उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, दुकान के चारों तरफ या दुकान पर कोई अन-ऑथोराइज्ड शराब प्राप्त होती है, तो उसको सजा होनी चाहिए....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इसमें है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह देख रहा हूँ कि सरकार का नेक इरादा मालूम होता है, वह अवैध शराब की बिक्री को रोकना चाहती है। जिस प्रथा के बारे में हम बराबर कहते आ रहे हैं उसको अब एक प्रेक्टिकल शेप पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।

कुछ लोग हैं, जिनका यह पेशा हो रहा है कि हर बात का विरोध करना है। विरोधी दल के लोग हैं वे हर बात का विरोध करते

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है, आड़ लगाना चाहते हैं। इधर से जो कुछ भी कहा जाय, उसका विरोध करने का तांता बन गया है। वे लोग जनता की जहनियत को समझने की कोशिश करें, जनता के जहन की ओर ध्यान दें। जिसकी वजह से कांग्रेस जनता का विश्वास प्राप्त करती रही है, उसकी नकल करने की कोशिश करें और सच्चाई की तरफ मुड़ें। केवल इसलिए कि विरोध करना है इसलिए विरोध करें तो उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती। वे जनता की हिमायत सच्चाई के साथ ही कर सकते हैं। सरकार जो अच्छा कानून लाये, उसको सपोर्ट करें तो आपको लोग रीजनेबल समझेंगे, आपको आदमी समझेंगे, जनता यह भी समझेगी कि आपका कुछ सिद्धान्त है। नहीं तो जनता यह समझती है कि आप बे-सिद्धान्त और बे-उसूल के लोग हैं। असेम्बली के अन्दर जो अच्छी-अच्छी बातें सरकार करना चाहती है उसका आप विरोध करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि विरोध करने से जनता आपके चक्कर में नहीं आ सकती। कांग्रेस विरोध करने से नहीं आई है, कांग्रेस ने सच्चाई की आवाज लगाई है, जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवाज लगाई है और अपने प्रयत्नों के जरिये जनता की दिक्कतों का दूर करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि जनता का विश्वास इस तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, जिस तरह आप विरोध करते हैं। आप डेमोक्रेसी का मतलब यह निकालते है। जो डेमोक्रेसी में माइनोरिटी में हैं, उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ कि अगर वे सच्चाई पर रहेंगे, रीजनेबल रहेंगे तो उनकी बात सुनने के लिए हम तैयार रहेंगे। लेकिन जब एग्रेसिव होंगे, तब हमें उनका सामना करना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जायगा। अगर वे हमारे आड़े आने की कोशिश करेंगे तो वे कभी भी नहीं आ सकेंगे। इसलिए इन शब्दों के साथ, इस उम्मीद से कि जो मसला बहुत साफ है, जिसे अन्धा भी देख सकता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग चर्चायें करते हैं, जो शराब पीने वाले हैं, वे शराब पीने के लिए बैठते हैं, तो वे कहते हैं सरकार का पानी पी रहे हैं, इसमें नशा नहीं है। जब अंग्रेजों के टाइम में बैठ कर आधा पाव पी लेते थे तो मजा आ जाता था। अब डेढ़ पाव में भी मजा नहीं आता है। ऐसे लोगों में बैठते हैं तो पूछते हैं– क्या नहीं आता तो कहते हैं–नशा नहीं है। नशा क्यों नहीं है ? अरे ठेकेदार पानी मिला कर दे देता है, हमसे पैसा ठगता है। कोई सुनने वाला नहीं है। जो गरीब आदमी है, वह पीता है, क्योंकि मजबूर है। उस पर दया की जानी चाहिए। वह ऐसा आदमी है जिससे कोई बात करना पसन्द नहीं करता है। वह आदमी ऐसा है, जिसकी कोई हिमायत करना पसन्द नहीं करता। वह अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा पीता है, वह ठीक तरह से उपयोग में आना चाहिए। वह शराब पीता है, वह उसे बुरा कहकर नहीं पीता है। लेकिन अगर वह पीता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप ठेकेदार को हक दे दें, उसको लाइसेंस दे दें कि वह चमड़ा खींच ले, उसका खून चूस ले।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सरकार सिखाती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप धीरज रखिये, मैंने आपकी बात सुन ली है।

मैं इसका विश्वास के साथ सपोर्ट

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

करता हूँ कि सरकार इस अवैध शराब की बिक्री के ऊपर नियंत्रण करे। इसके साथ ही मैं मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि उनसे जिनका काम पड़ता है, जिनके पास में रहते हैं वे भले आदमी हैं। वे जो शराब को पकड़ने वाले लोग हैं, वे भले हैं। उन सबको इकट्ठा करके उनसे बात करें। मैंने भी बात की है और ऑफिसर्स ने स्वयं कहा है कि मैं समझता हूँ कि इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस कानून को कड़ाई के साथ लगाने की कोशिश की जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द : इससे जनता को नुकसान होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं समझता हूँ कि इससे सरकार को फायदा होगा, इसलिए मैं इस बात का सपोर्ट करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनराय नागर।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह साधारण लेकिन महत्वपूर्ण है मैं समझता हूँ मद्य निषेध का जो हमारी राजस्थान सरकार का उद्देश्य है उसके सम्बन्ध में बिल यहां पर प्रस्तुत है, उसका विरोध हमारे माननीय मित्र ने किया है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा कि विरोध करने का इस सदन में एक प्रकार का संस्कार होता चला आया है। इस विधेयक का भी विरोध हुआ है। जहां तक मैं इस बिल को समझ पाया हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, इसका मकसद यह है कि जो जो अवैध शराब को रोकने में कानूनी अड़चनें सरकार के सामने आती हैं; उनको दूर किया जा सके और संतोषपूर्ण ढङ्ग से अवैध शराब का प्रसार और विस्तार होता जा रहा है, उसको सख्ती के साथ रोका जा सके। जितने भी इस बिल में प्रावधान हैं, उनको कुल मिला कर देखें, तो उन सब का एक ही मकसद हमारे सामने रोशन होता है और वह यह कि हमारा कानून है, उसमें ऐसी कमियां हैं, जिनकी वजह से अवैध शराब का नियंत्रण नहीं हो सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। इस कारण से इस बिल को सदन के सम्मुख सरकार ने प्रस्तुत किया है। कई दिलचस्प बातें इसके सम्बन्ध में कही गई हैं। मैं एक बात आपके जरिये मित्र के सामने रखना चाहूँगा। यह कहा गया है कि इसमें सरपंच और पंच को सूचना देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। हम जानते हैं कि राजस्थान में मद्य निषेध दो तरह से लागू किया जा सकता है, एक तो सार्वजनिक मत जाग्रत करके शराबखोरी, मद्य प्रचलन के विरुद्ध सार्वजनिक मत जाग्रत करें, और दूसरे उनके जिम्मे दें जो समाज की गतिविधियों के आज संचालक होते चले जा रहे हैं। तो इस मकसद से इसमें सरपंच और पंच के जिम्मे दिया गया है कि जो इस प्रकार अवैध शराब गांवों में बनाते हैं, घरों में बनाते हैं आस-पड़ोस में बनाते हैं, तो उसकी सूचना दें। इसके लिए कहा जाता है कि यह तो उचित बात नहीं हो रही है, सूचना देने का जिम्मा तो लम्बरदार का होना चाहिए, गवर्नमेन्ट के अकाउन्टेन्ट का होना चाहिए, गांव के मुखिया पर होना चाहिए। आज जब विकेन्द्रीकरण का एक सामाजिक महत्व, एक प्रकार का विश्वास हमारे जनपदों के अन्दर बढ़ता जा रहा है और जब पंच, सरपंच का स्टेटस हमारे समाज में धीरे धीरे स्थापित होता जा रहा है तो मैं मानता हूँ कि उनको

(श्री जनार्दनराय नागर)

अवैध शराब के निर्माण को रोकने में अपना रोल जिम्मेदारी के साथ अदा करना चाहिए

३.०० म. प.

हमने मौसर के मामले में भी इस प्रकार की जिम्मेदारी पंचों और सरपंचों पर रखी है तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि अवैध शराब को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिये कुछ जिम्मेदारी इनके कन्धों पर भी क्यों नहीं रखी जाये ? अब तक इस मामले में जो तंत्र चलता आ रहा है, ढीला चलता आ रहा है और जो बुराइयां अवैध शराब के कारण राजस्थान के सामाजिक खून में घुसती चली जा रही हैं उनको रोकने के लिये हमारी सरकार को आवश्यकता से अधिक सफलता नहीं मिली है, कम मिली है या नहीं भी मिली है, यह भी कह सकता हूं । इसका समाधान इस बिल में है जो मद्य प्रसार के सारे वातावरण के खिलाफ पड़ेगा, बशर्ते कि हमारा सरकारी तन्त्र इस एक्ट के बनने के बाद इस पर अमल करे, बड़े प्रभावशाली ढंग से अमल करे । जो स्थित मेरे पूर्व वक्ता ने शराब के सम्बन्ध में रखी है उससे मैं सहमत हूं । आज जो ठेकेदारी राजस्थान में जारी है, वह चाहे शराब के मामले में हो या और मामलों में हो, वह जनतान्त्रिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । वर्तमान परिस्थितियों में मद्य निषेध की एक भारी-भरकम समस्या है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए एकाएक शराब बन्दी नहीं कर सकते, पर हम राष्ट्रीय लक्ष्य बना रहे हैं कि सन् ६५ तक पूर्ण रूप से मद्य निषेध कर दिया जाय । तो प्रचण्ड प्रक्रिया मद्य निषेध के लिये चल रही है, वह कितनी सफल होगी वह तो हमारे समाज का इतिहास लिखने वाले ही बतायेंगे कि मद्य निषेध हमारे समाज में पूर्ण सफल होता है कि नहीं । यह आज हमारे लिये चिन्ता का विषय बना हुआ है कि मद्य का प्रचलन आज हमारे समाज के कई वर्गों में और हमारी सरकार का ऊपर का ढांचा है उसमें मद्य का प्रचार बढ़ रहा है । समाज के अपर वर्ग में मद्य आज एक प्रकार का तहजीब का स्थान लेता जा रहा है । ऐसी संक्रामक परिस्थिति में हमारे पास इलाज यही है कि ठीक किस्म की शराब बिकने दें जिससे लोगों की सेहत कम से कम खराब हो । जो उपकरण हमारे सामने हैं उनको इकट्ठा करके हमें प्रभावशाली कदम उठाना है जिससे ६५ या ६६-६७ तक राजस्थान को शराब-बन्दी के लिये तैयार कर सकें । हमें जो आय होती है शराबखोरी से वह राजस्थान में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाने वाली शराब से आय सरकार को होती है उसको बन्द करके दूसरे स्रोतों को ढूंढना होगा । काफी आय शराब से होती है इस स्थिति में हम पूर्ण रूप से शराब बन्द करने की हालत में नहीं हैं, वह दलील अब पुरानी पड़ती जा रही है । हमारा देश मानसिक दृष्टि से मद्य निषेध के लिये पूर्ण रूप से तैयार किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा खतरा भी उठाना चाहिये । यदि हम ईमानदारी से मद्य निषेध चाहते हैं तो इसका पहला तरीका यह है कि खराब शराब देखते ही उसको पकड़वा देना चाहिये, उसको एक दम बन्द करवा देना चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष : Does your speech come within the ambit of this Bill ? I think, you are discussing prohibition or antiprohbtion

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष

(श्री जनार्दनराय नागर)

महोदय, मैं यह बता रहा था कि मद्य निषेध को लेकर बहुत सी बातें कही गई हैं और यह जरूरी है कि जो राष्ट्रीय लक्ष्य बनता जा रहा है उस पर कुछ कहूँ ।

तो यदि हम ईमानदारी से मद्य निषेध चाहते हैं तो उसको रोकने का पहला तरीका यह है कि इल्लिसिट शराब बनती है तो उसको रोका जाना चाहिये । कुटुम्ब के मुखिया को सजा देने का प्रावधान इसमें है, वह अनुचित है, ऐसा मेरे माननीय मित्रों ने कहा । एक कुटुम्ब का मुखिया है वह अपने घर को नहीं समझ सकता तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि वह कुटुम्ब का मुखिया क्या हुआ, भेड़ों का मुखिया हुआ । यह बड़ी वजनी दलील है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उसके घर में अवैध शराब बनती है तो कुटुम्ब के मुखिया का जिम्मा है कि उसे बन्द करे । यह इस ढंग का प्रभावशाली प्रावधान है कि इससे अवैध शराब रुकेगी ।

मुझे तो यह बिल सारा का सारा मद्य निषेध की तरफ कदम मालूम पड़ता है । यों यह बड़ा प्रभावशाली कदम नहीं दिखता फिर भी आज अवैध शराब बनाने वालों के न पकड़े जाने की खामियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिये यह सरकार का कदम है । इसके साथ ही मद्य निषेध की समस्या को राजनैतिक पहलुओं से मिलाया गया वह फिजूल है । जनसंघ के माननीय सदस्य हल्के फुल्के जो मध्य निषेध के कदम हैं उनको रोकना चाहते हैं । आज वे नहीं चाहते हैं कि अवैध शराब के निर्माण में कई प्रकार के चक्रव्यूह चलते हैं उनको बन्द नहीं किया जाय. यह उनका अन्तरग मकसद है । मैं समझता हूँ वे भी कांग्रेस की तरह शराबबन्दी चाहते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कांग्रेस तो शराब चला रही है ।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : यह तो आर्थिक समस्या है ।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं विश्वास के साथ कांग्रेस की ओर से कहना चाहता हूँ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने आपके लिए नहीं कहा, मैं तो जानता हूँ आपने पीना छोड़ दिया है ।

श्री जनार्दनराय नागर : शराब बन्दी कांग्रेस द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है, महात्मा गांधी के अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्तित्व का कार्यक्रम है, यह आपका कार्यक्रम नहीं हमारा मनोरथ है । यह बिल इसीलिये लाया गया है कि आज जो पुराना ढांचा इल्लिसिट शराब को रोकने के लिये चला आ रहा है उसमें इस तरह का उपक्रम करें कि अवैध शराब बन्द हो जाय ।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव । पर अपने स्थान पर जाकर बोलिये ।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १६६१ का समर्थन करता हूँ । गत सेशन में भी मैंने अपने विचार व्यक्त किये थे । पहले जो आबकारी मन्त्री थे वे श्री हरिभाऊ उपाध्याय वृद्ध थे और अभी जो आबकारी मन्त्री हैं, श्री रामचन्द्रजी हैं, वे

(श्री हरिप्रसाद यादव)

भी वृद्ध हैं।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य : वृद्ध क्या समझ कर कहा ?

श्री हरिप्रसाद यादव : वृद्ध के माने क्या समझते हैं ? तो माननीय उपाध्यक्ष, मैंने निवेदन किया...।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अभी तक कुछ भी निवेदन नहीं किया है।

(विराम)

श्री हरिप्रसाद यादव : वृद्ध का मतलब आप क्या समझते हैं ? मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा था....।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अभी कुछ निवेदन ही नहीं किया है।

श्री हरिप्रसाद यादव : इतने समय तक हमारे हरिभाऊजी उपाध्याय आबकारी बिल को लिये बैठे थे। अब हमारे नये मन्त्री इस बिल को पाइलॉट कर रहे हैं। जब यह बिल सामने आता है तो हमें हमारे राष्ट्रपिता पूज्य बापू की याद आ जाती है जिन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मद्य-निषेध के बिना गरीबी भारत की मिट नहीं सकती। मगर आज हमारी सरकार के सामने आर्थिक समस्या आ जाती है कि अगर शराब बन्द कर देते हैं तो पैसा नहीं मिलता।

श्री उपाध्यक्ष : आप विधेयक के किस खंड पर बोल रहे हैं ?

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं सी पर आ रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : किस पर ?

श्री हरिप्रसाद यादव : यह जो संशोधन हमारे सामने रखा गया है और आया है उसको देखने से ऐसा लगता है, कि इसमें सरपंच पटवारी आदि पर आक्षेप किया गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि २ अक्टूबर को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागोर में डेमोक्रेटिक डि-सेन्ट्रलाइजेशन का उद्घाटन किया था उस समय कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : यह विकेन्द्रीकरण पर विधेयक नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं इसी पर आ रहा हूँ। वह इसकी ही भावना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जितना बल और जोर तथा ताकत दी गई है वह सरपंच पर दी है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके जरिये माननीय सदस्यों की ओर से वकालत करूँगा कि आपने जितनी जिम्मेदारी सरपंच पर दी है कि जो शराब चोरी से बनाई जाती है उसका एक्साइज डिपार्टमेन्ट जिम्मेदार नहीं है। आपके डिपार्टमेंट के लोग इसी के लिये तो बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हैं और डाइरेक्टर, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और इन्सपेक्टर आदि बैठे हैं। हमारे देश का लाखों रुपया उनके वेतन पर खर्च किया जा रहा है। इन लोगों पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी गई है और ग्रामों में पंच और सरपंच पर इसकी जिम्मेदारी दी है कि वे इसकी रोक-थाम करें। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूँगा कि पहले आप अपने विभाग से जांच करें। इस संशोधन के जरिये आपको पूछना था कि शराब चुपके चुपके चोरी से बनायी जाती है वह कैसे बनाई

(श्री हरिप्रसाद यादव)

जाती है और जब कोई पकड़ा जाता है तो उसका केस कम्पाउन्ड हो जाता है। एक अधिकारी वेअर हाउस में बैठा बैठा ही वहां पर केस दर्ज करता है और उस केस को दर्ज करने के बाद वह उसे डिप्टी कमिश्नर के पास भेज देता है। जब शराब बनाने वाला उनसे आकर मिलता है तो उस पर ३००) रु० जुर्माना हो जाता है और १००) रुपये या २००) रु० एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों को दे दिये जाते हैं। इसको रोकने के लिये जोर दिया जाना चाहिये था मगर वास्तव में होता यह है कि उस आदमी को जब रुपये पहुँच जाते हैं तो बरी कर दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि सरपंच को सजा में भेज दें यह कैसे हो सकता है और एक्साइज का इन्सपेक्टर हम पर शासन करे? सरपंच जनता का चुना हुआ है। आपने उसको सजा देने का पॉवर रखा है। एक्साइज के इन्सपेक्टर लूट-खसोट करते रहें और उनकी सजा उनको नहीं दी जाए और सरपंच को सजा दी जाय, यह अजीब बात है।

अब मैं आबकारी का जयपुर में ठेका दिया गया है उसके विषय पर भी कुछ आपके सामने रखना चाहूंगा। जब अंग्रेजी शराब का ठेका दिया जाता है तो उस समय लोगों की जेब भर जाती है, उसकी तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप एक तरफ यहां पर कड़े से कड़े कानून ला रहे हैं मगर एक परिवार के अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि उसके परिवार के लोग शराबखोरी न करें और अगर करते हैं तो सरकार को उन पर जुर्माना करना चाहिये। जो लोग बड़े बड़े ओहदों पर हैं और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं; एक्साइज की कुर्सियों पर बैठे हैं उनके लड़के कॉलेजों में शराब पीते हैं, उसका भी उल्लेख इस विधेयक में होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अधिकारियों के साथ साथ उनके सुपुत्रों पर भी जाने लग गये। यह इसका प्रश्न नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : जब सरपंच को लेते हैं तो कॉलेज में बड़े बड़े लोगों के लड़कों को भी लेना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि यह भी एक जोड़ दें कि जहां जो बड़े बड़े होटलों में शराब चलती है वहां भी बन्द की जावे। अब भाई ज्वालाप्रसादजी कहते थे यहां पर अभी नहीं हैं अजमेर की बात है। मैं पिछड़ी हुई जाति का हूं लेकिन फिर भी कृष्ण की जाति का हूं। मैं यादव अपने नाम के पीछे लगाता हूं। हम उस समय ज्वालाप्रसादजी के घर के सामने चिल्लाते थे, उस समय में कि इन इलाकों में शराब चलती है, इससे देश को नुकसान है। एक तरफ हमारी सरकार शराबबन्दी के लिये एक संशोधन पेश करती है और दूसरी तरफ विकास योजना के लिये पैसा कहां से लावे, इसलिये इसको जारी रखती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हमारे सामने पैसा कमाने का प्रश्न है, या तो हम पैसा कमा लें या दूसरी तरफ देश के लोगों के चरित्र निर्माण का प्रश्न है, उनका चरित्र निर्माण ही कर लें। इसलिये सरकार की इसमें जिम्मेदारी हो जाती है कि देश के लड़के-लड़कियों के संस्कार बनावें और इसके

(श्री हरिप्रसाद यादव)

लिये शराबबन्दी के लिये कोई कानून बनाना होगा। आज हम सरपंच और पंचायत के लोगों पर जिम्मेदारी डालते हैं और आबकारी डिपार्टमेंट के सैकड़ों कर्मचारी एक तरफ रह जाते हैं और सब जिम्मेदारी पटवारी, सरपंच, नम्बरदार आदि पर आ जाती है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण बिल्कुल लोप हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, उधर बैठने वाले लोग, अपनी जाति के लोग ज्यादा काम लेते हैं इसलिये उन्होंने इस पर, ज्यादा जोर दिया। मैं भी यह कहूँगा कि मेरे भी मजदूर भाई शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वे भी इसका प्रयोग करते हैं। इसलिये इसको आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों कुछ समय बाद इसको बन्द करनी होगी, जैसा कि नागर साहब ने कहा है। मैं यह कहूँगा कि बंबई की तरह यहां भी शराबबन्दी का कानून लागू होगा तो हमारा उद्धार होगा अन्यथा नहीं होगा।

अब मैं उधर बैठने वाले भाई जो जोश में आकर कह रहे हैं कि इस बिल के पास करने से क्या है सारे राजस्थान के लोगों पर जिम्मेदारी आ जाती है कि चोरी से शराब बनाई जाती है उससे....

श्री लक्ष्मीचन्द : सरकार आमदनी कमाती है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैंने कह दिया है। आप और सुनें तो मैं यह कहूँगा कि बड़े बड़े ठेके होते हैं तो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जेब भर जाती है। वे लोग अपना काम बना लेते है। अब सरपंच पर जिम्मेदारी आती है....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

जितनी सरपंच की जिम्मेदारी होती है उतनी आबकारी विभाग की भी होगी। इतना कहते हुए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस विभाग में सुधार लावें और इस बिल का मैं समर्थन करूंगा इतना कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि जब कोई पकड़ा जाता है और उस केस में उसको सजा न देकर वह केस कम्पाउन्ड होता है तो उसमें भ्रष्टाचार चालू रहता है। इसलिये इसको रोकने की कृपा करें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में मंत्री महोदय ने अवैध शराब को रोकने का प्रश्न उठा कर यह प्रश्न उठाया है इस वास्ते मेरी ओर से यह निवेदन है कि मैं तो यहां तक जाऊंगा कि जहाँ तक वैध और अवैध शराब का प्रश्न है इस पर न जाकर गवर्नमेंट अपनी इस आमदनी को छोड़े क्योंकि आमदनी दो तरह की होती है, एक तो अच्छी और एक बुरी। यह शराब की आमदनी बहुत खराब है इसके लिये कोई भी सज्जन यह नहीं कहेगा कि इससे आमदनी होनी चाहिये और यह रहनी चाहिये। मैं तो यह कहूँगा कि इसको कतई बन्द कर दिया जाय और इसके वास्ते थोड़ा बहुत रुपया, गवर्नमेंट को वैध और अवैध रूप में पैदा होता है उसके लिए कतई विचार नहीं करना चाहिये। अगर यह प्रश्न रहेगा कि राज्य की ओर से आयोजन होगा और अवैध शराब को रोकने का प्रश्न आवेगा तो मैं

Page No.82

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

साफ तौर पर निवेदन करूंगा कि यह शराब का पीना कभी नहीं रुकेगा। बम्बई वगैरह में भी हो चुका है आयोजन इसी प्रकार का। इसको जब तक पूरा नहीं रोका जावेगा इसकी व्यवस्था कभी नहीं होगी। यह चीज ऐसी है कि मेरे अन्दाज में जितनी बुराइयां लर्क करती हैं भारतवर्ष में आज भी और इसके अतिरिक्त सहस्त्राधिक वर्षों से सबसे ज्यादा उनमें बुराई की चीज यही है। इसने पहले और अब भी नुकसान किया है और मैं तो यह कहूँगा कि राजस्थान शुरू से इसके वास्ते काफी बदनाम रहा है और मंत्री महोदय ने क्यों नहीं यह सवाल उठाया कि इसको कतई रोक दिया जाय? मुझे मालूम है आबकारी का संबंध था ठिकानों में एक एक भट्टी निकलती थी और मैंने आज गांवों में देखा है जहां ठिकाने आज भी हैं अधिकाधिक भट्टियां निकलती हैं, अवैध भट्टियां निकलती हैं। इसलिए मेरा अन्दाज यह है कि इसको १६ आना रोके बिना आधा तीतर और आधा बटेर वाला मामला कभी नहीं रुकेगा। समय आ गया है और कहा यह जाता है कि दो चार पांच वर्षों में इसको निर्मूल कर देंगे, लेकिन बुरी चीज को पीछे समाप्त करने के बजाय क्यों न अच्छी चीज के लिए आज ही गवर्नमेंट अग्रसर हो? हम देखते हैं कि मजदूरों को भूखों मरना पड़ता है। दो-तीन सेर का अनाज है आज और मजदूरी किस प्रकार मिलती है यह भी आप जानते हैं और किसी से छिपी हुई नहीं है। वह चेष्टा करता है कि घर जाकर घर वालों को न खिला कर शराब की भट्टी पर पहुंच कर शराब उसको जिस क्वालिटी की मिले, जिस क्वालिटी में मिले उसको पीकर घर वालों को जूते मारने के लिए तैयार होता है और इस प्रकार के सवाल आज रोजाना पैदा होते हैं। तो यह कहूँगा कि कोई भी सहृदय मनुष्य इस पर क्यों न विचार करेगा? देखा जाये तो सबसे अधिक प्रचार इसका क्षत्रिय जाति में रहा है और सबसे अधिक क्षति भी उन्हीं को पहुंची है, जिससे राज्य गया और उसके साथ साथ उनका सर्वस्व भी चला गया। सबसे अधिक सत्यानाश इसी जाति का हुआ। शराब के कारण ही यादवों ने जूतों से लड़ कर, भगवान श्रीकृष्ण के सामने लड़कर अपनी धूल कराली। जो मुसलमान धर्म में अधीश और कुरान मानते हैं, वहां भी यह सवाल रहा है कि शराब न पीओ। लेकिन उन्होंने और पठानों ने मिल कर शराब की होली खेली और आपस में लड़ कर अपना राज्य गंवाया, यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे ही देखा जाय तो लखनऊ अवध में भी यही बात रही है और किस प्रकार से सत्यानाश हुआ है, यह सब जानते हैं कि किस प्रकार से बर्बादी हुई है। मैं तो यह कहूँगा कि क्षत्रियों का जितना नाश इस शराब से हुआ है और जितनी बर्बादी इससे हुई, और किसी से नहीं। मैं खुद की खांप को कहता हूँ कि जिसमें दस हजार आदमी हैं, सैंकड़ों ठिकाने हैं; हमने शादी में या और किसी मौके पर शराब को वापरने, क्या बरात में या और दूसरे मौके पर, कतई उठा दिया है। आज से नहीं २० वर्ष पहले से। कांग्रेस गवर्नमेंट का तो अब हिसाब रहा है। बहुत पहले से ये चीजें हटाई जाने की चेष्टा हो रही है। मैं तो निवेदन करूंगा, आबकारी और वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस छिपा छिपी से क्या मतलब? और चाहते हैं कि अवैध शराब तो रोक दी जाये और हम निकालते हैं, जो कि बिलकुल पानी है, जो किसी काम

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

की चीज नहीं है, उसके लिए आप प्रचार करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, आधा तीतर और आधा बटेर से काम नहीं चलने वाला है। समय आ गया है। प्रत्येक विचारवान् मनुष्य को चाहिये कि इसको कतई रोक दिया जाये और कड़े से कड़े नियम प्रारम्भ किये जांय। यह कहा जता है कि बाहर की शराब आती है और बिकती है। इससे क्या फायदा होगा ? जो शराब निकलती है क्या ज्यादा अच्छी होगी ? मैंने तो मेरी उम्र में कभी टच नहीं की, मैं भुक्तभोगी नहीं हूँ, क्या असर होगा और क्या स्वभाव है, मैं नहीं जानता; लेकिन मैं देखता हूँ कि लोगों का सत्यानाश होता है, हुआ था और हो रहा है। यह महान् बुरी चीज है। मैं इतना ही कह कर खत्म करता हूँ। न विशेष बोलता हूँ और न उस चीज को कहता हूँ जिसके लिए व्यवस्था आसन से होने की जरूरत हो। एक राजपूत नन्दना ने कहा है अपने पति से -

> "आम फले पत राख कर,
> महुआ फले पत खोय।
> जिणरों रस साजन पिये,
> लाज कहां तक होय॥"

मतलब आम पत्ते रख कर खिलता है, और महुआ जो है वह पत्ते खोकर फलता है। 'जिणरों रस साजन पिये' जिसका रस साजन, मेरे पति पीते हैं, 'लाज कहां तक होय' तो लाज कहां तक हो सकती है ? मंत्री महोदय को कोस करूंगा और निवेदन करूंगा इसके लिए। 'छिपा-छिपी' के मामले होते हैं, मेरे से छिपा नहीं है करनाल से और दूसरी जगहां से मोलेसेज निकाल कर यहां पर जो भट्टियां निकाल कर शराब को व्यवस्था हो रही है और इसमें और आगे बढ़ने का सवाल हो रहा है तो क्यों न इसको कतई रोक दिया जाय। अभी जैसी दुहाई दी जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि माननीय बापू ने इसको रोकने के वास्ते बहुत पहले ही कह दिया था। उन्होंने कहा था कि शराबबन्दी लागू की जाय। मैं हमारे वित्त मंत्री महोदय को दा साहब को, जो माननीय बापू के पदचिन्हों पर चलने वाले हैं, जिनके बाल सफेद हो गये हैं, जिनकी उम्र मेरे से ज्यादा है, उनसे मेरा यह कहना है कि इतने धन को किसी सड़क के नीचे, किसी हल के नीचे किसी छोटे-मोटे काम में ही खर्च कर दिया जाता है। हमारे समय में जब करोड़ों की कोई चीज होती थी तो हम लोग ताज्जुब करते थे। आज तो अरबों-खरबों का सवाल आता है। इस शराब से मैं ऐसा समझता हूं इतनी भी आमदनी नहीं होती। आज जितना पैसा हम ऐसे कामों में खर्च करते हैं उसमें से २५ प्रतिशत का वाजिब सदुपयोग नहीं होता। इस प्रकार जहां गंगा व जमुना के पानी की तरह रुपया बहाया जाता है वहां इस थोड़े से रुपये के लिये सवाल उठाया जाता है, यह उचित नहीं होगा। मैं बापू के पदचिन्हों पर चलने वाले वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : पदचिन्हों पर चलने वाले मत कहिये। चलने की बात करने वाले कहिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस शराब से होने वाली आमदनी का ख्याल न करें। मैं चौधरी रामचन्द्रजी से भी यह कहूँगा कि वे सारे हिन्दुस्तान के सामने शराबबन्दी का उदाहरण रखें। दरअसल राजस्थान में जहां

Page No.84

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

शराब का बहुत ज्यादा बोलबाला था वहां यदि यह रुक जाती है तो इसका असर अन्य प्रान्तों पर होगा। राजस्थान को वे बड़ी नजरों से देखेंगे। हमने यहां पंचायत राज्य की स्थापना सब से पहले की। इस प्रकार की डींग गवर्नमेंट हांकती है कि हमने इस चीज को सबसे पहले प्रारम्भ किया, लेकिन पॉस्टेरिटी इस बात को कहेगी, इसका कितना फल मिला है। यही चीज ऐसी है जो सब अपराधों की जड़। है इसको जितना जल्दी हो सके खात्मा कर देना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूँ इसलिए कि मैं इसको एक बड़ा कदम मानता हूँ, यह इस समय के लिये आवश्यक है लेकिन इस समय मैं थोड़ा सा, छोटा सा और लड़खड़ाता हुआ कदम मानता हूँ। यद्यपि आज के समय की यह आवश्यकता थी कि जो संशोधन आया है वह इस रूप में आता, कि हमारे राजस्थान में मद्यपान सर्वथा समाप्त कर दिया जाय, लेकिन वह नहीं आया। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने कहा था, जिस समय समाचार-पत्रों में यह पढ़ा था कि राजस्थान सरकार मद्य सम्बन्धी कानून का एक अध्यादेश जारी कर रही है, उस समय मुझे यह आशा थी कि जो हमारे देश की हवा बनी है, वातावरण बना है, उसमें मद्यपान को सर्वथा समाप्त करने सम्बन्धी कोई कदम होगा। लेकिन जब इसको देखा, यह कदम उस ओर पूर्ण रूप से तो नहीं, हां, उसमें कुछ रुकावट लाने की ओर जरूर है। इसे बहुत छोटा सा कह सकते हैं, शराब अपने असली रूप में न बन कर विकृत रूप में, बनावट और मिलावट के साथ बनती है, उसको रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। खैर, जैसी कि कहावत है, "जब घर में से भूमी निकलती है, तो किसी दिन आटा भी डाला जायगा"; इसी कहावत के अनुसार यह एक कदम है जिससे आशा की जानी चाहिए। अगर इस कदम में सरकार सफल हो जाती है, तो शायद इस स्थिति को देखकर आज मैं समझता हूँ, इस सदन में चाहे वे कांग्रेस पक्ष वाले हों, चाहे विरोधी दल के लोग हों, जिनका इस बारे में भाषण हुआ है, उससे मेरे ऊपर तो कम से कम यह असर पड़ा है, हरेक पक्ष का सदस्य, हर व्यक्ति, इस भावना से भरपूर है कि राज्य सरकार पूर्ण रूप से मद्य निषेध की नीति अपनाये। किसी ओर से भी यह आभास नहीं मिलता और किसी ने इस प्रकार नहीं चाहा कि इसका विरोध किया गया हो। कितना अच्छा होता, हम उसी नीति का प्रतिपादन करते। खैर, वह नहीं होता है, एक प्रकार से मिलावट वाली शराब को, विकृत रूप से बनने वाली शराब को रोकने की ओर जो कदम है, उसका हमें स्वागत करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में कुछ दूसरे पक्ष की ओर से खास तौर से आपत्तियां उठायी गईं और वह भी दो-तीन मुद्दों पर उठाई गई हैं। एक तो यह कहा है कि जहां पर शराब पकड़ी जाये वहां पर अगर गवाह देने वाले स्थानीय व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो बाहर के व्यक्तियों को साथ लेकर उसकी गवाही देने पर आपत्ति की है। लेकिन यह निश्चित बात है और यह अनुभव भी है कि जहां जहां भी शराब बनती है, जिस गांव में शराब बनती है वह गांव एक तरह से उस स्थिति का आदी हो

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

जाता है। वह गांव का गांव उस स्थिति को सहन कर लेता है। वे इस चीज को बुरा नहीं समझते यह बात नहीं; लेकिन जो शराब बनाने वाले लोग हैं, वे अच्छे आदमी नहीं होते, वे अच्छे नागरिक नहीं होते। वे लोग ऐसे होते हैं, जिनसे लोग एक प्रकार से आतंकित होते हैं, इसी तरह के लोग शराब बनाने वाले हैं जो यह समझते हैं कि यह शराब जो यहां बनती है वह बुरी है, फिर भी उनके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। हम चुनावों में भी देखते हैं, यह दुर्भाग्य है कि सीधे सादे और भले आदमी जो होते हैं वे असफल हो जाते हैं और ऐसे ही लोग प्रायः सफल हो जाते हैं। उन लोगों के होते हुए यह आशा की जाय कि वहां के लोग उनके खिलाफ शहादत देंगे, यह मुमकिन नहीं हो सकता। यह हमने देखा है कि किसी के यहां शराब बनती है उसको पकड़ने के लिये पुलिस के या आबकारी के कर्मचारी पहुँचे, वहां से माल बरामद किया, लेकिन जब गांव वालों को पूछा गया तो उन्होंने उसके लिये साफ मना कर दिया। कुछ लोग तो इसके आदी हैं, वे खुद पीते हैं, इसलिये वे उनके खिलाफ गवाही देते नहीं, कुछ लोग जो इस चीज को बुरा समझते हैं, जहां शराब के साथ में दूसरे भी दुर्व्यसन आते हैं। मैंने तो पंजाब में इसका हाल देखा है। एक गांव के लोग जो शराब पीकर कुल्हाडी से लड़ते हैं और शराब में मस्त हो जाते हैं, गांवों में हो-हल्ला मचाते हैं। ऐसी हालत में जो लोग डरते हैं वे सामने नहीं आते हैं, उनको भय है कि अगर उनके खिलाफ गवाही दी तो हो सकता है, यदि हमारी जान बख्श दी गई तो माल नहीं बख्शा जायगा। रात और दिन चोरी का भय बना रहेगा, इसलिये उन लोगों के खिलाफ गवाही देने की उनको हिम्मत नहीं होती। ऐसी हालत में अगर दूसरे लोग साथ होते हैं और गवाही देते हैं तो उसमें ऐसी कोई आपत्ति की बात नहीं, हमें तो आखिर बुराई को रोकना है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह जो धारा रखी है, इसका हमको स्वागत करना चाहिये, इससे यह बुराई कुछ हद तक रुकेगी।

दूसरी आपत्ति यह उठाई गई कि घर के मुखिया को क्यों इसमें बन्दी किया जाये? वैसे साधारण दृष्टि से यह मुझे भी आपत्तिजनक लगा है। मेरा लड़का कोई अपराध करे, भाई अपराध करे या मैं अपराध करूं और उसके लिये मेरे जैसे बुजुर्ग पकड़े जायें। छोटे लोग अपराध करें और मैं वहां पकड़ा जाऊं; यह कानून की दृष्टि से ठीक मालूम नहीं होता, लेकिन यह मैं जरूर समझता हूं, जिस घर के अन्दर जहां शराब बनती है, इस प्रकार से विकृत बनती है, वह एक दिन की चीज हो यह बात नहीं, घरवाला किसी दिन बाहर गया हो, और यह बन जाय यह बात नहीं, ऐसा होता नहीं।

जहां शराब बनती है, वहां सारी ही चीज होगी, वहां भट्टी बनती होगी और सामान भी लाकर रखते होंगे। फिर जब बनती है, तो बड़ी गन्ध आती है वह छिप नहीं सकती। तो ऐसा नहीं हो सकता कि घर के मुखिया को पता न हो। अब वह स्वयं भला हो सकता है, शराब से घृणा करने वाला हो सकता है, पर इतनी उसकी कमजोरी जरूर है कि जानते हुए भी उसकी सूचना सरकार को नहीं देता। दंडनीय चीज को अपने घर

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

में बनते हुए देखते रहने पर भी पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता, जोकि एक नागरिक का कर्तव्य भी है।

श्री दलीपसिंह (बारां) : खेतों में ही बना लेते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पर इसका भी मालिक को पता होना चाहिये।

इसी तरह नंबरदार, पंच, सरपंच को बांधा है। मैं समझता हूँ, इनको बांधना चाहिये और इसके अलावा नंबरदार और पटवारी को भी बांधना चाहिये सरकारी विभाग के हरेक अधिकारी और कर्मचारी को भी बांधना चाहिये। क्योंकि केवल पंच, सरपंच को शामिल करने और बांधने से भी एक बात का भय है। जैसे अभी हमारे सदन के समक्ष प्रश्नोत्तर के समय मालूम हुआ था, कि जहां पर मृत्यु-भोज में दस-दस हजार आदमी खाने आयें, इतनी धूम धाम से काम हुआ, पर पंच, सरपंच ने इसकी इत्तिला नहीं की।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : वे भी खाने-पीने में शरीक थे।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : लोगों ने पंच-सरपंच से कहा भी, पर उसने सुनी अनसुनी कर दी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो दस हजार का जहां भोजन हो और पंच-सरपंच को मालूम न पड़े यह हो नहीं सकता, तहसील भर में तहलका मच जाता है। जिला भर से नाती-पोते, सगे-संबंधी, रिश्तेदार आते हैं। इतना बड़ा काम होता है, और पंच सरपंच को मालूम न हो, यह कैसे माना जा सकता है ? तो इस डर के कारण केवल इन्हीं पर काम नहीं छोड़ देना चाहिये। सरकार की मशीनरी के जो भी संबंधित अधिकारी व कार्यकर्ता हैं, उनको भी इसी तरह बांधना चाहिये। आबकारी विभाग के लोगों को, अधिकारियों को भी इसी तरह बांधना चाहिये क्योंकि अगर पंच-सरपंच के मत्थे ही सारा भार डाला गया तो फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर सकेगी और मजिस्ट्रेट भी कुछ नहीं कर सकेगा। मैं कहता हूँ, पंच-सरपंच नहीं करते हैं इत्तिला, तो उनको सजा देनी चाहिये, पर साथ ही आबकारी विभाग के लोगों को भी सजा देनी चाहिये, जिनके अधिकार क्षेत्र में, जुरिस्डिक्शन में इस तरह की शराब बनती है। तो यह सबसे बड़ी चीज है।

सबसे बड़ी आशंका यह प्रकट की जा रही है कि सुरसा की तरह से शराब की बिक्री और निर्माण बढ़ता जा रहा है। कैसे आशा की जावे कि जिस गांव में शराब बनेगी, वहां का पंच-सरपंच, मेरा तो विश्वास है वे जरूर उस तबके के होंगे। सारा वातावरण शराबमय होगा। तो मैं कहता हूँ कि इस संबंध में नियम-उपनियम बनावें तो कड़े बनावें। खास तौर से सरकारी अधिकारियों को पाबन्द नहीं किया जावेगा तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी हमारी आज की परेशान करने वाली जो स्थिति है, वह यह है कि हमारे यहां पर जिसे बाड़ या मेड़ कहना चाहिये, जो खेत की रखवाली के लिये है, वह खुद खेत को खानी वाली है। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है।

शराब को रोकने वाले आज स्वयं शराब को बुरा नहीं समझते। समाज कल्याण

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

विभाग जिसका काम इसका प्रचार करना है, प्रोहिबिशन का, उसके अधिकारियों के बारे में लोगों की अच्छी राय नहीं है। सरकार स्वयं अपने लोगों को शराब पीने से रोकना नहीं चाहती। जिनके हाथों में दण्ड-व्यवस्था है, उनके दिलों में भी ऐसे अधिकारियों के लिये सोफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि आखिर कुछ न कुछ चीज कॉमन है। तो मेरा तो विचार है कि कोई भी कानून जो आप इस बारे में बनाते हैं तब तक नहीं चलेगा जब तक सरकार स्वयं अपनी कठोर नीति की साहस के साथ घोषणा न करे। सरकार को इस बारे में कृत-संकल्प होना चाहिये और अगर उसके अधिकारी स्वयं इसका उल्लंघन करते हों तो उनको सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक बढ़कर दण्ड की व्यवस्था करनी चाहिये। तो अगर इस तरह इफेक्टिव और कठोर कानून बनाएगी, तभी अपने राज्य में से मद्य को सर्वथा समाप्त कर सकेगी, अन्यथा नहीं। नहीं तो उसके ये सारे नियम, उपनियम और कानून एक उपहासमात्र बन कर रह जावेंगे। जैसा कि आज मृत्युभोज की दावत का कानून उपहास मात्र बन कर रह गया है। जनता में जो एक वातावरण हम कानून बनाकर बनाते हैं, तो वह वातावरण हमारे शिथिल कदमों को और प्रभावशाली जब वे कदम नहीं होते, तो समाप्त हो जाता है। इससे सरकार की साख भी कम होती है और यही कारण है कि लोग गवाही भी देने से डरते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह विधेयक इस दृष्टि से थोड़ा स्वीकार करने योग्य है कि इसमें थोड़ी सख्ती लाई गई है। मैं चाहता हूँ कि जितनी कड़ाई इस कानून में है उतनी कड़ाई से इसको सरकार चलाए भी, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि इसको और भी कठोर बनाया जावे, कुछ अधिक भयोत्पादक बनाया जावे और कड़ाई से इसका पालन करें तो मैं इस आशा और विश्वास के साथ इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और इसका समर्थन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble Minister please.

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी एवं कर मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं तो समझ रहा था कि तीन चार बैठकर सलाह कर रहे थे, जैसे इसका पूरा बहिष्कार करने पर आमादा हों।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो भाषण से संकेत मिलेगा कि क्या आपस में बातचीत कर रहे थे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आज तीन-साढ़े तीन घंटे तक इस विधेयक पर बहस चली। इनमें जितने माननीय सदस्यों के भाषण मुझे सुनने का अवसर मिला उनसे मैं यह समझ पाया कि ज्यादातर सदस्यगण नशाबन्दी के पक्ष में हैं। इस अमेन्डमेंट के संबंध में भी कहा। इसमें भी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन बातें पेश कीं और तीनों ही ऐसी थीं जो उस बिल से बिलकुल उलटी थीं। या तो उन्होंने अमेन्डेड बिल और असली एक्ट को पढ़ा नहीं या, फिर यहीं पर आकर अपना भाषण दिया, ऐसा मुझे जान पड़ता है। उन्होंने एक बात तो यह कही कि डिनेचर्ड स्प्रिट की जो डेफिनिशन अब चाही गयी है उससे तो और भी कमजोरी इसमें कर दी गई है। डिनेचर्ड की पहले परि-

Page No.88

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

भाषा थी : "effectually and permanently rendered unfit for human consu : pti n" तो इससे डिनेचर्ड के मामले कई अदालतों में गये तो उन्होंने इस बात को मान लिया कि जब एक चीज पर्मानेन्टली डिनेचर्ड हो गई तो फिर ह्यूमन कन्जम्पशन काबिल नहीं बनायी जा सकती और इसमें कॉन्ट्रेडिक्शन है। यह लीगली जुर्म उनके खिलाफ साबित नहीं होता। इसलिए डिनेचर्ड जो स्प्रिट है उसकी परिभाषा हमें करनी पड़ी यानी पहले ऐसा मानते थे कि डिनेचर्ड करने के बाद उसको ह्यूमन कन्जम्पशन के काबिल बनाना आसानी से संभव नहीं था। लेकिन जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया था कि अभी तीन-चार महीने से ऐसा नोटिस में आया कि हमारे इस डिपार्टमेंट में बहुत से लोगों ने बहुत आसानी से डिनेचर्ड स्प्रिट को ह्यूमन कन्जम्पशन के काबिल बना लिया और उसमें चाहे वह पूर्णतया ह्यूमन कन्जम्पशन के काबिल नहीं हो लेकिन उसमें कोई कमी नहीं देखते हुए और सस्ती होने के कारण लोगों ने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उस बढ़ती हुई भयकर चीज को रोकने के लिए ही यह ऑर्डिनेन्स लाया गया और उसे रोका गया जिसका इस समय अमेन्डेड बिल आपके सामने है। श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि इसमें मैं ऐसी कोई खास जरूरत नहीं देखता कि इसको ६ महीने तक नहीं रोका जाकर एक ऑर्डिनेन्स के रूप में लाया गया। जैसा मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि यह चीज जब नोटिस में आई तब पाया गया कि जयपुर और अजमेर, तथा और कुछ जगहों में इसने बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया था और जगह जगह इस डिनेचर्ड स्प्रिट को शराब बनाकर लोग बेच रहे थे और उसमें पहले बहुत कम सजा रखी हुई थी और डिनेचर्ड स्प्रिट को, जैसा अभी मैंने अर्ज किया कि उस डेफिनिशन के कारण अदालतों में ऐसा मान लिया कि जब यह डिनेचर्ड स्प्रिट हो गई पर्मानेन्टली और इफेक्टिवली, तो फिर दुबारा यह ह्यूमन कन्जम्पशन के काबिल नहीं हो सकती लीगली, उस लेकुना के कारण यह स्थिति पैदा हो गई, इसलिए हमें यह जल्दी से जल्दी ऑर्डिनेन्स लाने की जरूरत पड़ी। तो अब यह कहना कि इस डेफिनिशन से कानून में कमजोरी की गई है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो कानून में लेकुना रह गया था उसको पूरा करने के लिए यह डेफिनिशन चेन्ज की गयी है।....

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, जैसा अभी मन्त्रीजी फरमा रहे हैं कि डिनेचर्ड स्प्रिट में कुछ चीज मिलाने से पीने के काबिल बन जाती है यानी शराब बन जाती है। एक दफा जब डिनेचर्ड बन गई तो इस डेफिनिशन में कहां लिखा है कि इसको फिर से शराब में नहीं बदल सकते ? वह इस डेफिनिशन से कहां कवर होता है ? इसमें तो यही लिखा है कि ऐसे सब्सटेन्स नहीं मिलाये जायें कि जिससे डिनेचर्ड स्प्रिट को ह्यूमन कन्जम्पशन के काबिल बना लिया जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अर्ज किया कि पहले का डेफिनिशन ऐसी थी : "effectually and permanently rendered unfit for humam consumption" इस 'पर्मानेन्टली' को अब निकाल दिया गया है और उसके बजाय जो अब डेफिनिशन की

(श्री रामचन्द्र चौधरी) —

गयी है उसमें इस तरह है : '"Denatured' means mixed with such substance and by such process as may be prescribed under section 42 in order to render any spirit unfit for human consumption whether as a beverage or as a medicine or in any other way whatsoever.' तो उसमें वह चीज पर्मानेन्टली थी उसको निकालने से वह अब ऐसा नहीं माना जायेगा कि हमेशा के लिए डिनेचर्ड स्प्रिट ह्यूमन कन्जम्पशन के काबिल बना लिया है तो जुर्म बनता है और अब लीगली कोई लेकुना नहीं रहता।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही थी कि अब एक्साइजेबल आर्टिकल्स को वापिस लौटाने का उसमें प्रावधान किया गया है। यह भी मेरे ख्याल से उन्होंने उस एक्ट को और अमेन्डेड बिल को नहीं देखने के कारण से ऐसी दलील पेश की है क्योंकि राजस्थान एक्साइज एक्ट का जो सेक्शन ६६ है उसमें दिया गया है कि कौन कौन से आर्टिकल्स कॉन्फिस्केटेड किये जा सकते हैं और उसके सब क्लॉज २ का जो प्रोविजो है उसमें भी इसका प्रावधान नहीं था कि जो एक्साइजेबल आर्टिकल्स हैं उनको नहीं लौटाना चाहिए। अब हमने यह प्रावधान किया है कि जो एक्साइजेबल आर्टिकल्स हैं वे नहीं लौटाये जायेंगे, बाकी के आर्टिकल्स उनको लौटाये जा सकेंगे, उनके एवज में फाइन लिया जा सकता है। आपने जो समझा वह मेरे ख्याल से उसका बिलकुल उलटा समझा। जो इसमें प्रावधान नहीं था एक्साइजेबल आर्टिकल्स को नहीं लौटाने का, वह प्रावधान अब किया है।

तीसरी बहस एक और आपने की थी। इसमें सरपंच के बारे में कई माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि पंच और सरपंच को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है कि कोई ऑफेन्स अगर एक्साइज के बारे में हो तो उसकी इत्तिला देने के लिए। इसी तरह से एम. पी. और एम० एल० ए० को उनके साथ साथ ही क्यों न जिम्मेदार ठहराया जाता है ? हर कानून कॉमनसेन्स पर बनता है और जो प्रावधान था वह सेक्शन ५० और ५१ के है। सेक्शन ५० में यह दिया हुआ है कि "Every officer of the Police, Salt, Customs, Opium and Land Revenue Departments shall be bound to give immediate information to an officer of the Excise Department of all breaches of any of the provisions of this Act which may come to his knowledge"

इस बिल में एक तरफ यह प्रावधान है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं: पुलिस, एक्साइज कस्टम्स, लेण्ड रेवेन्यू; इनका पहले भी फर्ज था कि ज्यों ही किसी एक्साइज के आर्टिकल के मामले में ऑफेन्स होने की उनकी नॉलेज में है तो उसी वक्त जाकर एक्साइज ऑफिसर को उसकी इत्तिला दे। यह पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। इसकी बहुत से माननीय सदस्य इस बात पर बहस करते रहे कि आपके डिपार्टमेंट के ऑफिसर जिम्मेदार नहीं हैं। लाखों रुपयों की तनख्वाह लेते हैं, उस पर भी जिम्मेदार नहीं है। और पंचों और सरपंचों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पहले एक्ट की दफा ५० के मुताबिक इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है कि जैसे ही नॉलेज हो उनको इत्तिला एक्साइज ऑफिसर को दे।

इसके बाद दफा ५१ में है "Every

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

owner or occupier of land and the agent of such owner or occupier of land on which..."

हर जमींदार या किसान जिसकी जमीन पर ऐसा ऑफेन्स होता है, नाजायज शराब बनाने का, भट्टी निकालने का; तो उसका फर्ज था कि जैसे ही उसको इत्तिला हो कि उसकी जमीन पर ऐसा काम किया जा रहा है वह फौरन इत्तिला दे पुलिस या एक्साइज ऑफिसर को, जिनका फर्ज है हैन्डल करने का। उसके साथ साथ ५१ की मद (२) में है : "Every Lambardar, village Headman, village Accountant and village Policeman..."

जब यह ऑफेन्स होता है तो इन चारों का भी फर्ज था कि जाकर उसकी इत्तिला पुलिस को करे या जो एक्साइज ऑफिसर इसके सुनने का अधिकारी है उसको इत्तिला दे। अब उसके साथ साथ हमारे नये ढांचे में पंच और सरपंच भी जिम्मेदार निर्वाचित प्रतिनिधि आये हैं और ये अपने अपने गांव के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए उन पर भी यह भार डाला गया है कि जैसे ही उनकी नॉलेज में आये ऐसा ऑफेन्स, तो जल्दी से जल्दी जाकर इन अधिकारियों को इत्तिला दें। अब आप यह कहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : लम्बरदार के साथ में इनको भी रखा गया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह मैं अर्ज कर रहा हूं कि माननीय सदस्य जो कोटा से आने वाले हैं उन्होंने कहा कि लम्बरदार हटाये जा रहे हैं, यह बात गलत है। लम्बरदार हटाये नहीं जा रहे हैं। लम्बरदारों के साथ जोड़ा जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह बिल पढ़ा भी है कि नहीं; इसमें लिखा है : "In clause (2) of Section 51 of the principal Act for the words, 'Every Lambardar', the words, 'Every Sarpanch, Panch of a Panchayat established under the Rajasthan Panchayat Act...' shall be substituted".

श्री उपाध्यक्ष : "It ought to "Shall', be added"

श्री रामचन्द्र चौधरी : No, Sir, he has not read the whole clause propeily. The clause is : 'In clause (2) of Section 51 of the principal Act for the words 'Every Lambardar' the words, "Every Sarpanch, Panch of a panchayat established under the Rajasthan Panchayat Act, 1953 (Rajasthan Act 21 of 1953), Lambardar' shall be substituted."

So the Lambardar is there.

अब आप इसको पढ़िये लम्बरदार को।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : लम्बरदार पहले ही रखा हुआ था।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वे समझ रहे हैं कि हटा दिया गया है। लम्बरदार पीछे आया है वह नहीं हटाया गया है। जैसा कानून है वैसा ही समझने की कोशिश करेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : एम. एल. एज. एम. पीज़ और मिनिस्टर्स, इनके इलाकों में, इनके गांवों में भ घटना होती है, वे इत्तला क्यों नहीं करते हैं ?

Page No.91

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने जैसा कि पहले ही अर्ज किया कि कोई भी कानून कॉमनसेन्स के आधार पर बनता है। हर गांव में विलेज हैडमैन मिलेगा, लम्बरदार मिलेगा पुलिसमैन मिलेगा, पंच मिलेगा और सरपंच मिलेगा; लेकिन हर गांव में एम. पी., एम. एल. ए. नहीं मिलेगा। इनके साथ एक्सेप्शन किया जाता है। हजार गांव के पीछे एक एम. एल. ए. होता है उसको भी जोड़ा जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विलेज हैडमैन नहीं है, विलेज एकाउन्टेन्ट नहीं है हर गांव में। विलेज पुलिस नहीं है हर गांव में।

श्री रामचन्द्र चौधरी : विलेज हैडमैन, विलेज पुलिसमैन, हर गांव में चौकीदार मिलेगा, विलेज हैडमैन मिलेगा; लम्बरदार हर गांव में मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : विलेज हैडमैन कहीं नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको पता नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जहां प्रोविजन है वहां मिलेगा, लेकिन यह कॉमनसेन्स के आधार पर है कि गांव में हमेशा रहने वाला व्यक्ति जो होता है वह जिम्मेदारी उठा सकता है कि जुर्म को इत्तिला दे। एक एम. पी. १० हजार गांव के पीछे होता है तो वह कैसे इत्तिला दे ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अगर एम. एल. ए. जोड़ दें तो नुकसान थोड़े ही है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसमें कोई सेंस नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एक्स मिनिस्टर भी....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : हां, होना चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सवाईमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आधार पर उसको रखकर ऐसा करना चाहते हैं कि उस लोकेलिटी के गवाह नहीं हों तो कोई बात नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहीं ऐसा नहीं है कि उस लोकेलिटी के गवाह होने चाहिए। सरकमस्टान्शियल एविडेन्स के मुताबिक तो यह है कि उस लोकेलिटी के गवाह होने चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहीं नहीं दिया गया है कि उसी लोकेलिटी का गवाह हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं है तो ठीक है, फिर क्यों ले रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह मैं निवेदन कर रहा था कि यह प्रिफरेबल है कि उस लोकेलिटी का गवाह हो। जो सामने होता है, जो लोकेलटी का गवाह होता है वह देखने वाला होता है इसलिए ज्यादा समीप हो सकता है। लेकिन जरूरत नहीं है कानून में कि उस लोकेलिटी का गवाह हो तभी केस कामयाब हो, नहीं तो नहीं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो आधार है उसको लागू नहीं करना चाहते, लेकिन क्रिमनल प्रोसीजर कोड का एक्साइज के मामलों में उदाहरण देना गलत मुद्दा है। क्रिमिनल केस में दो पार्टियां होती हैं। क्रिमिनल साइड में एक पार्टी दूसरी पार्टी पर केस करती है और दोनों

Page No.92

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

गवाह पेश करती हैं जो उसी लोकेलिटी के अमूमन होती हैं। लेकिन एक्साइज़ के केस में एक पार्टी होते हैं, एक्साइज़ डिपार्टमेंट को किसी सोर्स से इत्तिला मिलती है कि फलाने गांव में शराब निकलती है या अमुक अमुक १०, २० आदमी उस गांव में शराब निकालते हैं, तो वह रेड पार्टी को लेकर रेड करते है। वह बाहर से आदमी ले जाते हैं तो उनमें उस गांव का आदमी अमूमन नहीं होता जो आकर उनके खिलाफ गवाही दे। कम से कम मैं आपके इस इलाके की नहीं कह सकता, लेकिन हमारे इलाके में ऐसा देखने में आया है कि एक बार एक बहुत जिम्मेदार आदमी ने शराब निकालने वाले २-३ आदमियों को दो-तीन बार पकड़वाया और सजा करवाई। नतीजा यह हुआ कि एक रोज़ वह एक खेत में कत्ल कर दिया गया।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : सबसे ज्यादा शराब गंगानगर में निकाली जाती है।

श्री किशनाराम : कानून बनाने वालों का क्या हाल होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कुछ अर्से पहले एक ग्रेजुएट गांव में रहता था, वहां कुछ आदमी शराब निकालते थे। उन्होंने उसके खिलाफ इत्तिला दी तो उन लोगों ने एक रोज़ उसको इस तरह से पीटा कि दो महीने तक उसको अस्पताल में रहना पड़ा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पंचों और सरपंचों को इसमें रखकर आप उनका उप-चुनाव करायेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ा डिफिकल्ट है उस लोकेलिटी का गवाह मिलना। आपने भावुक होकर कह दिया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की अवहेलना करते हैं। ऐसी कोई मन्शा नहीं है। मतलब यह है कि जो गुनाह करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी लोकेलिटी का गवाह नहीं मिलता है तो जो आदमी रेड के साथ में है, जैसे कोई जंगल में शराब निकालता है और जंगल से उसका घर दूर है और लोकेलिटी की गवाह लेने जायगा तो वह भाग जायगा........

श्री उपाध्यक्ष : But these are exceptional circumstances which the court will take note of, it does offend the spirit of the observations of various High Courts. They have not appreciated that the witnesses for search should be brought from outside.

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक्साइज केसेज....

श्री उपाध्यक्ष : There is clause 103 of the Cr. P. C. "103......(1) Before making a search under this Chapter the officer or other person about to make it shall call upon two or more rspectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate."

So it is there

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तो मैंने पहले ही निवेदन किया था। क्रिमिनल केसेज होते हैं उनमें तो क्लीयर कट होता

श्री रामचन्द्र चौधरी

है, उसमें लोकेलिटी के गवाह होते हैं लेकिन एक्साइज केसेज में एक पार्टी सरकार होती है और लोकेलिटो की एविडेन्स होना हर केस में संभव नहीं होता। जैसा मैंने अर्ज किया था वह नतीजा होता है।

श्री उपाध्यक्ष : This principle is an accepted one. None of the High Courts have differed on this issue, and if witnesses are not available from the locality, then they do appreciate the circumstances if placed before the court.

श्री रामचन्द्र चौधरी : This provision has been made in many other States also.

जैसे मैं अर्ज करूं (एक्साइज एक्ट) बम्बई का सेक्शन ११७ है जिसमें दिया है :
"Save as otherwise expressly provided in this Act, all investigations, arrests, directions for custody, searches shall be made in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure;

Provided that no search shall be deemed to be illegal by reason only that the witnesses of the search were not inhabitants of the locality in which the search was held.

श्री उपाध्यक्ष : इल्लिगल नहीं होता, लेकिन वेट कम हो जाता है। That is the only position.

श्री रामचन्द्र चौधरी : That is the thing to be decided by the court.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सर्कमस्टान्सेज पर निर्भर करता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तो कोर्ट पर डिपेन्ड करता है। बहुत सी स्टेट्स में प्रोवाइड किया हुआ है इसलिये हमने भी किया है क्योंकि एक्साइज केसेज में लोकेलिटी की गवाह नहीं मिलती है।

दूसरी बात यह कही गई कि हैड ऑफ दि फेमिली को क्यों दोषी ठहराया जाय ? इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि यदि नाजायज शराब बनाने का सामान किसी घर में मौजूद है तो उसकी जानकारी में वह अवश्य होगा। यह कहना कि उसको गुनाहगार नहीं बनाना चाहिये तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि एक्साइजेबेल आर्टिकल्स पकड़े जायेंगे तो उस घर में और किसको गुनाहगार ठहरायेंगे जब कि उस घर में मान लीजिये २० आदमी रहते हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, तो किसको जिम्मेदार ठहरायेंगे? हैड ऑफ दी फेमिली के अलावा और किसको जिम्मेदार बनाया जा सकता है....?

श्री भैरोंसिंह : आपने कहीं फेमिली को डिफाइन किया है क्या इस कानून में ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : Family is defined every where.

श्री भैरोंसिंह : इस कानून में है क्या ? What do you mean by 'family' ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें एक आदमी हो या १० हों, घर का जो मुखिया है....?

श्री उपाध्यक्ष : Can't you envisage

(श्री उपाध्यक्ष)

the idea that as soon as anything is discovered from the house the defence will be that they are living separately.

श्री रामचन्द्र चौधरी The presumption is there If the father is there, he will be considered head of the family.

श्री श्रीमानसिंह : (बयाना) Though innocent, he will be considered a criminal according to your enactment.

श्री रामचन्द्र चौधरी : He will be presumed to be guilty as long as he does not prove that he is not guilty. इसमें यह प्रोवाइड किया है कि जब तक he proves that he is innocent, he will be considered guilty.

यदि यह साबित करता है कि मेरा इसमें कसूर नहीं है, इल्जाम सच्चा नहीं है then he will be not guilty.

श्री श्रीमानसिंह: On the contrary you should presume him to be innocent, until you prove that he is guilty.

श्री रामचन्द्र : जब उसके पास ऐसी कोई चीज मिलती है जिससे शराब बना सकते हैं तो उसका अर्थ होगा····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तब तक तो वह बड़े घर में रहेगा ।

श्री भैरोंसिंह : हैड ऑफ दि फेमिली जयपुर में बैठा है और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी बात हो जाती है तो आप किस तरह से प्रिज्यूम करेंगे ? He will be presumed to be guilty because he is head of the family.

श्री रामचन्द्र चौधरी : सब जगह है सर्कम्सटान्शियल एविडेन्स के लिये प्रोविजन ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें गुंजाइश नहीं है, इसमें यह लिखा है कि head of the family will be presumed to be guilty.

श्री उपाध्यक्ष : then he can have the defence of alibi that he was out fo 15 days and his son was guilty.

श्री रामचन्द्र चौधरी : It all depends upon the court. यह तो हर चीज में मिलता है । सर्कम्सटान्शियल एविडेन्स क्रिमिनल में भी मिलेगी । चोरी का माल यदि किसी के पास मिलता है तो उसको चोर माना जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिसके पास माल मिलता है उसको जिम्मेदार ठहराते हैं न कि हैड ऑफ दि फेमिली को । को-एक्यूज्ड बाद में होता है ।

श्री किशनाराम : इस कानून में तो मुर्दे के बदले खान्दियों को जलाया जाता है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : नाजायज शराब किसी के घर में मिलती है तो यह प्रिज्यूम किया जायगा कि हैड ऑफ दि फेमिली की नोलेज में है । इसलिये जब तक वह प्रूव नहीं कर दे कि मेरी नोलेज के बाहर की बात है, मैं गिल्टी नहीं हूँ, तब तक नहीं माना जाय····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: प्रेमिसेज के क्या माने हैं ? यहां जो शब्द प्रेमिसेज यूज किया गया है उसका मतलब मकान हो सकता है, नोहरा हो सकता है, खुला बाड़ा हो सकता है । इसमें 'ऑक्युपाई' शब्द लिखा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हुआ है । मान लीजिये हैड ऑफ दि फेमिली को मालूम नहीं होता है कि फलां जगह नाजायज शराब है, जयपुर में किसी के पास १० मकान हैं और हैड ऑफ दि फेमिली के नोलेज के बाहर उसका लड़का कहीं पर नाजायज शराब बनाता है, बाड़े में जाकर, तो उसके लिये हैड ऑफ दि फेमिली कैसे गिल्टी होगा । The word 'house' has not been used. The words 'actual occupation 'have not been used' You have used the words, "and in case of the premises occupied by a family, head of the family shall be presumed to be in exclusive possession of the articles seized until the contrary is proved."

श्री उपाध्यक्ष : Yes. that will do. He has got the idea.

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं अभी आपसे यह निवेदन कर रहा था कि करीब २ सदन के इस ओर और उस ओर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों ने एक मत से इस बात को कहा है कि संपूर्ण देश में और राजस्थान में मद्य-निषेध की नीति लागू होनी चाहिये । इसमें कांग्रेस का यह बहुत पहले से ध्येय रहा है कि संपूर्ण देश में नशाबंदी लागू हो और इसी विषय में अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में भी कुछ कान्फ्रेंस हुई थी और उसमें भी यह विचार जाहिर किया गया था कि जहां तक हो सके तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सारे देश में नशाबंदी लागू की जावे ।

इस तरफ अपनी सरकार का भी पूरा विचार है इस ओर अग्रसर होने का और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है और जब तक दुबारा मिलेंगे तब तक इस पर स्पष्ट निर्णय ले लिया जायगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

इन शब्दों के साथ मैं आप सब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस अमेंडमेंट बिल को पारित किया जाय ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उसी वक्त में इसे रख लीजिये ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : फिर क्या रहेगा इसके लिए ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मेरे संकल्प पर जो बहस हुई है, उसका मैं उत्तर दूं, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जो स्टेटमेंट आर्डिनेन्स इश्यू करने के बारे में सदन की मेज पर रखा है और जिसमें उन्होंने कारण बताये हैं, उनके बारे में अपने भाषण में विशेष रूप से नहीं कहा । अगर वे उस स्टेटमेंट को पढ़ दें तो मुझे उत्तर देने में आसानी रहेगी । कल भी इस प्रकार की व्यवस्था दी गई थी जब राजस्थान म्युनिसिपल निर्वाचन (वैधकरण) विधेयक चल रहा था ।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : उत्तर देने का सवाल नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो स्टेटमेंट दिया था, उसके ऊपर व्यवस्था हुई थी ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो प्रस्ताव रखा है, उसके जवाब में जो कारण थे, वे साफ तौर पर बतला दिये हैं और इसलिए उनको दोहराया नहीं गया है और सदन की मेज पर रख दिया गया है। जैसा मैंने बतलाया एक तो डिनेच्योर्ड स्प्रिट है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने भाषण दिया, वह तो सुन लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : Let him give a glimpse of the thing.

श्री भैरोंसिंह : on a point of order, Sir. There is no right of reply. Yesterday when the hon'ble member, Shri P. K. Chaudhary was replying to the amendment, the hon'ble members tgion Jana Sangha objected that there was no question of a right of reply.

श्री उपाध्यक्ष This is a resolution, not an amendment.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) Conduct of Jana Sangha members is not a precedent.

श्री उपाध्यक्ष : In a resolution the right of reply does arise, though it is subject to the discretion of the Chair.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Rule 277 is very clear Sir.

श्री भैरोंसिंह : The right of reply is there.

श्री उपाध्यक्ष : Yes. will proceed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी (संशोधन) अध्यादेश के सम्बन्ध में जो मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है और उसके सम्बन्ध में जो विधान सभा में विचार प्रस्तुत किये गये, उसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह कतई सन्तोष जनक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूक्ष्म में इतना ही कहना चाहूँगा कि अध्यादेश जारी करने के कारणों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने किंचित मात्र भी संतोष जनक उत्तर नहीं दिया है, कोई इस प्रकार की परिस्थितियां इस प्रकार की इमर्जेन्सी नहीं बताई, जो इस अध्यादेश को जारी करने के लिए होनी चाहिए थी जो कि संविधान की धारा २१३ में है। उनकी ओर माननीय मन्त्री ने बिल्कुल भी संकेत नहीं किया है। केवल ऊपरी बातें की हैं-हमारे प्रॉसिक्यूशन फैल हो जाते-हमें इसमें यह कठिनाई हो जाती, कुछ ऐसा हो रहा था। उसके आधार पर मैं समझ रहा हूँ कि इतने दिनों पहले, १९५० में यह अधिनियम बनाया, क्या मैं यह मानूं कि पिछले दस वर्ष में कोई दिक्कत नहीं आई? क्या मैं यह मानूं कि पिछले दस वर्ष में जब अधिनियम लागू रहा, राजस्थान में आपने ईमानदारी के साथ, आपके विभाग ने पूर्ण ईमानदारी के साथ इस प्रकार के केसेज पकड़ने की कोशिश नहीं की? क्या मैं यह मानूं कि डिनेच्योर स्प्रिट की दृष्टि से कठिनाइयां उपस्थित हुई? उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी यही परिस्थिति थी, यही दिक्कतें थीं, येही बाधायें थीं, फिर जब विधान सभा का सत्र हर वर्ष में दो बार होना है, तो उनके बारे में गम्भीरता के साथ विचार नहीं किया गया? मैंने निवेदन किया जहां तक अध्यादेश जारी करने का सवाल है, वह इस हल्के तरीके से जारी नहीं करना चाहिए था और मैं सरकार की इस मनोवृत्ति की बहुत जोरदार शब्दों में भर्त्सना करता हूँ।

इसके अतिरिक्त कुछ बातें यहां पर कही गई हैं पंच और सरपंच के

Page No.97

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बारे में। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। माननीय मंत्री, पंचायत विभाग यहां पर उपस्थित थे, उनकी मौजूदगी में इस प्रकार का संशोधन किया गया। मैं समझता हूँ कि शायद उनको इस बात के लिये गवाह बना लिया गया हैं ताकि वे शिकायत न करें कि उनको बिना पूछे हुए पंच और सरपंच को इसमें इस प्रकार इन्क्लूड किया गया है और इसलिए ही वे मौजूद थे। मैं चाहता था उनकी राय जानना कि जो संशोधन इस बात का किया गया है, उससे क्या वे सहमत हैं? इसके अन्तर्गत पंचायत महकमे का क्या मत है? आपने पंच और सरपंच को सम्पूर्ण विकास की दृष्टि से जिम्मेदारी है, उनको इसकी जवाबदारी दी है। क्या उन व्यक्तियों को, पंच और सरपंच को, इस सारे काम में डालना चाहिए जब कि इसके लिए पुलिस का महकमा है, एक्साइज का महकमा है, सॉल्ट का महकमा है रेवेन्यू का महकमा है? इतने महकमों का जाल बिछा हुआ है, उनके आधीन जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको सूचना रहती है। क्या उनको इस सारी व्यवस्था की दृष्टि से रखना पर्याप्त नहीं होता? इसमें आपने लम्बरदार, विलेज हैड मैन, विलेज पुलिसमैन को सूचना देने के लिए रखा है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और एक्साइज अधिकारी हैं, उनको सूचना देने के लिए रखा है। इनकी व्यवस्था करने के बाद भी मंत्री महोदय समझते हैं कि यह मशीनरी इल्लिसिट डिस्टीलेशन के बारे में सूचना देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिये पंच और सरपंच को रखा जाय, यह उनकी इच्छा है। यह बात नहीं है कि एक सुझाव आया था कि एम. पी. और एम. एल. एज. को भी सूचना देने के लिए रखना चाहिए, उनके जिम्मे सूचना देने का काम होना चाहिए। आज मैं कह सकता हूँ कि जहां तक जयपुर का सवाल है, यहां पर इल्लिसिट डिस्टीलेशन की सूचना देने के लिए पुलिस को रखा है। यहां पर एम. एल. ए. और एम. पी. को भी रखना चाहिए क्योंकि जयपुर में पंच और सरपंच नहीं हैं, म्युनिसिपेलिटी को इन्क्लूड नहीं किया गया है। आज इल्लिसिट डिस्टीलेशन जयपुर में बहुत होता है, उसकी सूचना देने की दृष्टि से सिटीज और टाउन म्युनिसिपल बोर्ड हैं, उनको इन्क्लूड नहीं किया है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि सिटी और टाउन्स में, जहां दूसरी जगह पंच और सरपंच को सूचना देने की जिम्मेदारी है, किसकी व्यवस्था की है? इस प्रकार की व्यवस्था का जो सुझाव दिया गया है वह इसलिए दिया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जयपुर में सूचना देने को जवाबदारी एम. पी. और एम. एल. एज. के ऊपर आ जाती है, तो मालूम पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जयपुर में जहां इल्लिसिट डिस्टीलेशन की शिकायत है, वह उस क्षेत्र में है जहां से श्री रामकिशोरजी व्यास चुन कर आये हैं जो गृह मंत्री हैं। वहां से इल्लिसिट डिस्टीलेशन की सबसे ज्यादा सूचना मिलती है। जयपुर में सबसे ज्यादा इल्लिसिट डिस्टीलेशन होता है तो वह हवा महल क्षेत्र में होता है। मैं कहूँगा कि इल्लिसिट डिस्टीलेशन को रोकना है, तो केबिनेट मेम्बर को अपने साथ करने की कोशिश करें, भले ही उनमें आपस में कितनी ही कंट्रोवर्सी हो, झगड़े हों, मतभेद हों और केबिनेट क्राइसिस हो। उन सबको छोड़ कर, मतभेद को छोड़ कर, पार्टीबाजी को छोड़ कर, राजनैतिक

Page No.98

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रतिद्वन्दिता को छोड़ कर, उन सब बातों को छोड़ कर, जहां तक इल्लिसिट डिस्टीलेशन रोकने का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें उनका सहयोग लें। वे सहयोग न देते हों, जैसी कि मुझे आशंका है, तो सदन के सामने इस बात को कहें कि यह मंत्रीजी मुझे सहयोग नहीं देते हैं, केबिनेट के मंत्री सहयोग नहीं देते। सदन उसके ऊपर विचार करके आगे कार्यवाही करता।

उपाध्यक्ष महोदय एक बात हैड ऑफ दि फेमिली के बारे में कही। उसके बारे में जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। उनसे पूछा गया कि हैड ऑफ दि फेमिली की बात करते हैं तो फेमिली की परिभाषा क्या है? कौनसी फेमिली होगी? उनके सामने प्रश्न रखा, जहां आपने हैड ऑफ दी फेमिली को इन्क्लूड किया है, उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया है। मान लीजिए कि आप यहां विराजे हुए हैं और आपके परिवार के लोग गंगानगर में हैं, बीकानेर में रहते होंगे। वहां आपके परिवार का कोई सदस्य गलत कार्यवाही करता है, इल्लिसिट डिस्टीलेशन करता है, मैं नहीं समझ पाता, कौनसा जस्टिफिकेशन है कि उसके लिए आपको रेस्पोन्सिबल करार दे दिया जाता है? आप जयपुर में बैठे हैं, वहां से २०० मील दूर पर आप बैठे हैं, आपको जानकारी नहीं। आपने इसमें इतना ही नहीं रखा है, इसकी जो इन्टेन्शन है, वह है कि एक मकान में जो रहता है, उसकी सबकी जिम्मेदारी हैड ऑफ दी फेमिली की है। आज मैं निवेदन करूं कि एक मकान में रहने के उपरांत भी बाप को यह पता नहीं रहता कि बेटा क्या करता है? उपाध्यक्ष महोदय, आज जमाने में और हवा चल रही हो या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है कि बाप की बात बेटा नहीं मानता, बेटे की बात बाप नहीं मानता। जयपुर में ऐसी कोई घटनायें होती हैं; बाप मजबूर रहता है और बेटा उसका कहना नहीं मानता, वह शराब पीता है, घर में क्लेश करता है, क्लेश के कारण घर की औरतें भाग जाती हैं और बाप मजबूर रहता है। लड़की-लड़के के साथ भाग जाती है, घर में क्लेश होने के बाद। लेकिन बाप मजबूर रहता है। अगर बेटे के कारण बाप के हाथ में हथकड़ी पड़े तो यह गलत होगा। यह हो सकता है कि बाप की कमजोरी हो, दब्बूपन न हो बेटे को काबू में न रख सकता हो। उसकी मजबूरियों का मतलब यह नहीं कि वह कानून के शिकंजे में कस दे, बेटे के कारनामों की बाप के ऊपर जवाबदारी हो, उसको उसके लिए जिम्मेदार ठहरायें अगर ऐसा हमने कर दिया तो उपाध्यक्ष महोदय, इसकी लपेट में बड़े बड़े लोग आने लग जायेंगे और बड़ी विचित्र स्थिति हो जायगी। मैं समझता हूँ, सदन के माननीय सदस्य समझ गये होंगे; ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : It is generalisation of the issues.

श्री श्रीभानसिंह : And also everything beside the point.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That you are always in the habit of remarking because you have no other business to do.

श्री श्रीभानसिंह : It is a habit of you to talk irrelevantly.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I say something, while you don't say anything; always taking tea.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, will proceed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था : "and in case of the premises occupied by a family, head of the family shall be presumed to be in exclusive possession of the articles seized until contrary is proved" कि इसके अलावा इसमें प्रेमिसेज की, ओक्युपेशन की डेफिनिशन रखी है वह भी बड़ी डिफेक्टिव है। इससे बड़े कॉम्प्लीकेशन्स होंगे। इस क्लॉज के द्वारा अच्छे से अच्छे आदमियों को इस एम्बेरेसिंग स्थिति में डालने के लिये एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को खुली छूट दे दी है। कोई अच्छा बाप है, घर में दादा है, उसके बेटा है, आज के जमाने में आपकी आज की जेनरेशन बुजुर्गों के काबू में हो, ऐसी बात नहीं है। इसके लिये उनको जवाबदार ठहराना, इन क्लॉज में यह व्यवस्था रख कर चेक करने की कोशिश की है, यह करप्शन के लिये, हैरेसमेंट के लिये एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को खुली छूट देता है। इस तरह, उपाध्यक्ष महोदय, यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया, माइनर मेटर के लिये जारी किया गया। अच्छा होता कि टोटल प्रोहिबिशन के लिये अध्यादेश जारी किया जाता। अगर टोटल प्रोहिबिशन के लिये अध्यादेश जारी किया जाता तो उसका स्वागत होता। अभी बड़े बड़े होटल्स हैं उनके डाइनिंग रूम में शराब पीते हैं तो मना है पर डाइनिंग रूम के पास कमरा है उसमें शराब पी सकता है, उस कमरे में शराब पीने की कोई मनाही नहीं है। जहां शराब के कितने नुकसान हैं, इस चीज को लोग जानते हैं, वहां पर इस प्रकार का पार्शियल प्रोहिबिशन जारी कर रहे हैं, पर गांवों में जाइये, जहां मजदूर बस्तियां हैं वहां कन्ट्री लिकर की दुकानें खोल रखी हैं, ठेके दे रखे हैं और वहां पर इस प्रकार शराब के ठेके खोल कर राज्य सरकार ने रेगुलर आमदनी का जरिया बना कर अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने का एक स्त्रोत बना रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ सदन से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया गया है उसे सदन अस्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने राजस्थान आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या ३, सन् १९६१) को निरनुमोदित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्लॉजेज ८ और १३ ..

Page No.100

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को....

श्री भैरोंसिंह : क्लॉजेज ८ और ३ पर बोलना है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पारित किया जाये।

श्री भैरोंसिंह : पारित कहां किया जाय साहब, अभी तो विचारार्थ लिया गया है, क्लॉजेज ८ और १३ पर हमें बोलना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : We have to speak on clauses.

श्री उपाध्यक्ष : You mean I should take clause by clause.

There are no amndments.

श्री भैरोंसिंह : डिलीट करने के लिये है।

श्री उपाध्यक्ष : You can oppose the clause.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We can pass upto clause 6. We have nothing to say

श्री भैरोंसिंह : Upto seven.

श्री उपाध्यक्ष : But Mr. Bhairon Singh, you can oppose any of the clauses in the third rerding.

श्री भैरोंसिंह : बहुत मुश्किल हो जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We cannot go beyond the geueral scope of the Bill in the third reading.

श्री उपाध्यक्ष : I will be a little flexible.

श्री भैरोंसिंह : पर्टिक्यूलर क्लॉज का विरोध किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : I can put upto clause 7

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २ से ७ तक स्वीकार किये जांय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There is a difference between the Bill which I have got and the Bill which he has got. According to me, I want to speak on clause 7, and according to him, it is clause 8. I don't know what is the mistake.

श्री उपाध्यक्ष : I will put clause 7. Amendment of Section 48 of the Act.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No, Sir., we want to speak on Section 48.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २ से ६ तक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज २ से ६ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज ७।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय, क्लॉज ७ में जो संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है, इस बिल के द्वारा, उसमें दो मुख्य बातें हैं। पहली बात का संबंध है एक्साइज कमिश्नर को जो अधिकार दिये हुए थे वे एक्साइज कमिश्नर के अधिकार अब एक्साइज कमिश्नर के साथ एक्साइज ऑफिसर को भी मिलेंगे। इस स्थिति के बारे में मैं कुछ बातें बाद में निवेदन करना चाहूँगा। पर इसका जो दूसरा भाग है जिसमें लिखा है : "No search shall be deemed to be illegal by reason only of the fact that witnesses for the search were not inhabitants of the locality in which the place of search is situated." उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का तो खेद है कि मन्त्री महोदय को चेअर की ओर से भी सलाह दी गई थी, पर उन्होंने उसे नहीं माना....

श्री उपाध्यक्ष : That was not at all an advice. Don't treat it as an advice.

श्री भैरोंसिंह : बड़े आदमी होते हैं वे कहते ही हैं, हर मानने वाले के ऊपर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मानने वाले तो आदेश समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : It was nothing.

श्री भैरोंसिंह : इससे ऐसा लगता है कि मन्त्री महोदय को कुछ ऐसा इम्प्रेशन हो रहा है कि यदि यह क्लॉज नहीं रखा गया तो एक्साइज डिपार्टमेंट के सामने जो मजबूरियां आती हैं, उनका कानूनी रूप से कोई निराकरण नहीं हो सकता। आपके जवाब के दौरान में सदन के कई माननीय सदस्यों ने उन्हें जानकारी दी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार यह कोई जरूरी नहीं है कि लोकल लोकेलिटी के इन्हेबिटेन्ट हैं उन्हीं की गवाही को माना जाय। वह सब कुछ सर्कम्स्टान्सेज पर निर्भर करता है। जिसकी सर्च ली गई है वे किस प्रकार के आदमी हैं, सर्च लेने वालों ने किस प्रकार की कार्यवाही की है, विलेज किस प्रकार का है. किन सर्कम्स्टान्सेज में किस प्रकार से सर्च ली गई है, गवाह किस तरह के व्यक्ति हैं, इन सारी सर्कम्स्टान्सेज पर यह निर्भर करता है कि जिन व्यक्तियों के सामने सर्च ली गई, उनके द्वारा ली गई सर्च को सही माना जाय या गलत। कई बार ऐसे सर्कम्स्टान्सेज आ जाते हैं कि कोर्ट उसी लोकेलिटी के गवाहों के सामने ली गई सर्च पर भी विश्वास नहीं करते हैं। और इसी कारण से कई मुकदमे खारिज होते हैं। लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने जो दलील दी वह तो मुझे अजीब सी मालूम होती है। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल केसेज में दो पार्टीज होती हैं। लोकल इन्ट्रेस्टेड व्यक्तियों की गवाहियां प्रोक्योर कर ली जाती हैं। मगर मैं कहूंगा कि जितने भी हमारे यहां क्रिमिनल केसेज होते हैं उनमें किसी में इस प्रकार की डिफिकल्टी नहीं आई। आज राजस्थान में ऐसे उदाहरण भी हैं कि पूरे के पूरे गांव का काम चोरी करना है और हमारी राजस्थान सरकार जानती है कि अमुक गांव वालों का काम चोरी करना है। जब पुलिस यहां पर यह महसूस करती है कि इस प्रकार के गांव वालों में से कोई सूचना देने वाला नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह बाहर के आदमियों की गवाही लेती है और कोर्ट बाहर के गवाहानों पर इत्मिनान करती है। अब यह कहा जाता है कि क्रिमिनल केसेज में पार्टीज होती हैं। आज यह मना

Page No.102

(श्री भैरोंसिंह)

लिया जावे कि एक व्यक्ति जयपुर का रहने वाला है और उसके यहां चोरी हो गई और उसका माल बरामद होता है जाकर सांगानेर में। जिसने चोरी की वह जयपुर का रहने वाला है और जिसके यहां चोरी हुई वह भी जयपुर का रहने वाला है, मगर माल बरामद हुआ सांगानेर में तो ऐसी हालत में सांगानेर के रहने वालों को किस प्रकार का इन्ट्रेस्ट हो सकता है। मैं कहूँगा कि उनको किसी प्रकार का इन्ट्रेस्ट क्रिएट नहीं होगा। मगर फिर भी वहां से सांगानेर या जयपुर से गवाह देने के लिये आते हैं तो यह सब सर्कम्स्टान्सेज पर देखा जाता है वहां तो सिर्फ आपने उनको शराब पकड़ने का काम दिया है मगर पुलिस वाले तो चोरी और कत्ल के मामलों और डकैतियों के मामलों में ऐसा ही करते आ रहे हैं। आज तक पुलिस विभाग इस प्रकार की सारी डिफिकल्टीज को इग्नोर करता चला आ रहा है उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। जहां पुलिस गांव गांव के लॉ एन्ड ऑर्डर को देखती है और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां डिपार्टमेन्ट के लोग कहीं न कहीं मर्न्स नहीं करते हों। यह तो उनके रोजमर्रा का काम है जो उनको करना है। मगर जो कभी कभी कार्यवाही करने वाले हैं, वे कहते हैं कि हमको कठिनाइयां पैदा होती हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि कभी कभी किसी प्रकार की कठिनाई हो सकती है, मगर क्रिमिनल कोर्ट एक्साइज एक्ट के केसेज़ को डील करती है और उसके फैसले क्रिमिनल कोर्ट से होते हैं और आज तक कोर्ट ने डिसिजन दिये होंगे वे सर्कम्स्टान्सेज को देखकर ही दिये होंगे। यह नहीं कि बाहर के आदमी ने ही गवाही दी हो या वहां के रहने वाले ने गवाही दी हो। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार का एक्सेप्शनल लॉ इस विधान सभा से पास करायें। यदि उनकी इस प्रकार की जिद ही है, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके लोग किसी प्रकार स्वेच्छाचारिता से गलत कार्यवाही करते रहें और इस प्रकार डिपार्टमेन्ट की गलत कार्यवाही पर विधान सभा की मोहर लगवा कर उसको पास करा दिया जावे यह उचित नहीं कहा जा सकता; इसके बड़े जबर्दस्त परिणाम होंगे। जैसा धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि दूसरे गांव वाले शराब निकालते हैं और उनको पकड़ा जाता है और उनको कोर्ट में चालान किया जाता है, यह कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। इस प्रकार का कानून बनाना तो कोर्ट के पॉवर और जुरिस्डिक्शन पर अन-डयू इन्फ्लुएन्स डालना है। इसको रोकने के लिये मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे कानून के ज्ञाता हैं और उनको इस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है। वे इस प्रकार का कानून लेजिस्लेचर से उनके सदस्यों की मजबूरी से मंजूर न करावें, इसको रिजेक्ट कर दें। जो कानून पहले है, यानी एक्साइज एक्ट बना हुआ है और वह लागू है वही लागू रहने दें। अगर आप इसमें परिवर्तन लाते हैं तो मैं कहूँगा कि इसका परिणाम यह होगा कि किसी व्यक्ति को कोई फंसाना चाहता है तो वह उसको पकड़ सकता है, उनके लिये उसको दो बोतल शराब उसके यहां से निकलवाना है। जो व्यक्ति किसी को पकड़ना चाहता है, उसने घर बैठे दो बोतल एक एक रुपये में खरीद कर जमा करा कर कह दिया कि यह बोतल हमने फलां व्यक्ति के यहां से

(श्री भैरोंसिंह)

पकड़ी है और दो व्यक्ति उसकी गवाह दे देंगे। यह दूसरी बात है कि वह अदालत से बरी हो जावे।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि कोई भी गांवों में ऐसा स्थान नहीं है जहां पब्लिक के नोमिनेटेड पंच और सरपंच न हों, जैसा कि आपने बताया, क्या सरपंच और पंच आदि आपको इस कार्य में सहयोग नहीं देंगे? एक तरफ आप उन पंचों और सरपंचों पर गांव की जिम्मेदारी और रेस्पोन्सिबिलिटी डालते हैं और दूसरी तरफ आप उनका विश्वास नहीं करते हैं। जहां विश्वास का प्रश्न आता है आप उन पर विश्वास नहीं करते और दूसरी ओर उन पर जिम्मेदारी डालते हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, आप डेमोक्रेटिक सेन्ट्रेलाइजेशन द्वारा गांव गांव में शासन संचालन की व्यवस्था उन पंचों और सरपंचों के द्वारा करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन पर विश्वास नहीं करते, यह नहीं हो सकता। आप यह नहीं कह सकते कि सारे पब्लिक वाले अविश्वसनीय हैं। एक या दो हो सकते हैं। धौलपुर में हो सकते हैं। एक गांव हो सकता है। मेरी निगाह में भी ऐसे गांव हैं जहां पर कोई गवाह नहीं मिल सकते और जो गांव पहले से ही बदनाम हैं और गनशी उन गांवों को पहले से ही लो जाने हैं और पुलिस भी उनको जानती है। ऐसी स्थिति में, मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस विधेयक को लाकर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो प्रोविजन्स हैं उन पर एन्क्रोचमेंट न करें।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने राजमहल दी थी और बताया था कि ऐसे केसेज में बहुत कम मामले साबित होंगे। ऑफिसरों के कन्डक्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कहता लेकिन मैं यह कहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति को अधिकारी पकड़वाना चाहता है और फंसाना चाहता है तो एक्साइज का इन्सपेक्टर आसान से फंसा सकता है और उसके साथ अगर पुलिस डिपार्टमेन्ट वाले भी मिल जाते हैं तो फिर उसको फंसाने में कुछ देर नहीं लगती। एक आदमी की जेब में अफीम रख दी या किसी की दुकान या मकान में एक दो बोतलें शराब की रख दीं और उसको फंसा दिया। उसको पकड़ लेंगे और उसका नतीजा यह होगा कि उसकी हवा तो गांव में खराब हो जावेगी कि फलां व्यक्ति को शराब के मामले में पकड़ लिया गया, कोर्ट से भले ही वह बरी क्यों न हो जावे। मगर फिर भी उसकी हवा तो गांव में खराब हो जाती है और यह सब जानते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि कत्ल करने वाले और डे लाइट रोबरी करने वाले बच जाते हैं। लोगों के सामने ऐसा होता आ रहा है। इससे गांव में लोगों की प्रेस्टिज समाप्त हो जाती है जिसको शराब या अफीम के मामले में पकड़ लिया जाता है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस विभाग में फैली हुई रिश्वतखोरी को बन्द करें और ठेके पर खुले आम गड़बड़ी होती है और सरकारी अधिकारी को संरक्षण देते हैं उनको रोकें। मैं तो यह कहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय की स्वीकृति ठेकों में ज्यादा रकम ली जाकर ठेकेदारों को शराब में पानी मिलाने दिया जाता है और पानी मिली हुई शराब बिकती है जिससे उस ठेकेदार को जो आर्थिक हानि हो सकती है ठेके की अधिक रकम देने के कारण उसको रोकने

(श्री भैरोंसिंह)

को कोशिश करते हैं मगर वह तो पैसा देता है।

मैं यह कहूँगा कि अगर आप इल्लिसिट डिस्टीलरी को रोकना चाहते हैं और जो लोग ऐसा कार्य करते हैं उनको पकड़ना चाहते हैं तो जो आपके कानून बने हुए हैं उनके अधीन कार्यवाही होनी चाहिये और यदि कोई उसके अनुसार कार्यवाही नहीं करता है तो मैं स्पष्ट रूप से माननीय मन्त्री महोदय पर चार्ज लगाना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को आप चाहेंगे कि इसको कटहरे में खड़ा करा दिया जावे तो इस कानून के जरिये आप करा सकेंगे, कुछ व्यक्तियों के मकानों में शराब रखवा कर उनको फंसा देंगे। जहां पर गवाह नहीं मिल सकेंगे वहां पर मसनूई और फर्जी गवाह लाकर रिपोर्ट की फर्द पर दस्तखत करा कर फंसा देंगे। मैं मानता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में शराब बहुत निकलती है। मैं यह भी मानता हूँ कि सरकार उसको चेक करने में असमर्थ रही है। वहां पर पार्टीबाजी खूब है और उसको खत्म करने के दृष्टिकोण से इसमें परिवर्तन किया जा रहा है, तो वह भी समझ में आ सकता है....।

श्री उपाध्यक्ष : I think such sort of reflections or surmises must have some foundation. I will request the Hon'ble member please not to...

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : will request the Hon'ble member not to make such surmises.

श्री भैरोंसिंह : मैं मजबूरी से यह इम्प्रेशन ले रहा हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : But it is against the parliamenetary practice.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस नहीं है लेकिन हैल्दी कन्वेशन्स हैं, उनका पालन इस कानून के अनुसार हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : The motive that you are attributing to the Hon'ble Minister dt must have some basis. How does the motive arise from this ?

श्री भैरोंसिंह : और तो कोई चान्स ही नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : दुरुपयोग संभव है।

श्री भैरोंसिंह : दुरुपयोग संभव है। मैं नहीं समझता कि माननीय मन्त्रीजी इतने अनइन्टेलीजेन्ट हैं कि दुरुपयोग नहीं समझते हों। अगर यह सही है तो मोटिव का सवाल आता है मैं मोटिव इम्पोज नहीं करता हूँ, सदन चाहे जैसा विचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करता हुआ कि इस धारा को हटा लें १४ वर्ष आपके राज्य को हो गये, इस प्रकार के केसेज पकड़े गये हैं, आंकड़े हैं, बढ़ते हुए आंकड़े बता रहे हैं कि इतनी इल्लिसिट शराब पकड़ी गई, ये सब आंकड़े बताते हैं, हमेशा तारीफ हुई, इस धारा के दुरुपयोग से चार चांद लगने वाली ऐसी बात भी नहीं है, जो परेशानियां जनता को होने वाली हैं, उनको दृष्टि में रखकर यदि इसको डिलीट

Page No.105

(श्री भैरोंसिंह)

कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा और फिर निवेदन करते हुए कि माननीय मन्त्रीजी एक जुडिशियल माइन्डेड व्यक्ति हैं, बहुत सारे क्लॉजेज जिस प्रकार के रखे गये हैं किसी प्रकार से जुडिशियरी में इन्टरफियरेन्स न हो और यदि किसी प्रकार से इन क्लॉजेज के द्वारा इन्टरफियरेन्स करते हैं तो ज्यादा परेशानियां बढ़ती हैं, अतः इसको डिलीट कर दें।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज में यह बताया गया है कि बाहर के गवाह को भी शुमार किया जा सकता है। पार्लियामेन्ट ने एविडेन्स एक्ट और क्रिमिनल प्रसीजिर कोड पास कर रखे हैं और यदि उनके खिलाफ आप यहां प्रोविजन रखते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ। जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेन्स एक्ट में प्रोविजन सब तरह का मौजूद है तो वहां पर इस प्रकार का स्पेशल प्रोविजन रखना कानून की दृष्टि से उचित नहीं होगा। कोई शहादत पर विचार करेगा तो इसको देखेगा या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को देखेगा? या एविडेन्स एक्ट को देखेगा? जब वहां उन दोनों कानूनों में इस प्रकार का प्रोविजन नहीं है तो यहां करना कानून के खिलाफ पड़ता है। यदि वे दोनों कानून इफिशियेन्ट नहीं हैं तो उनमें परिवर्तन लाइये।

श्री उपाध्यक्ष : This is only restricting the law of presumption.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि इन बातों को समझें। यदि यह सोचते हैं कि सारे गांव में बेईमान ही बसते हैं तो यह भी उचित नहीं कहा जा सकता है। ईमानदार भी रहते हैं और बेईमान भी रहते हैं। यदि यह प्रिजम्पशन करके चलें कि गांव में बेईमान ही रहते हैं और किसी को ईमानदार नहीं समझते हैं तो यह उचित नहीं होगा और इसलिए इस पर पुनः विचार करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष, यह क्लाज ८....

एक माननीय सदस्य : क्लॉज ७

श्री श्री भानसिंह : बयाना यह डिफरेन्स कैसे है। मेरी कापी में क्लॉज ८ सब-क्लॉज ३ है। इसको देखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ कि इस कानून को जितना टाइट बनाया जाय और इल्लिसिट डिस्टिलेशन को राज्य में रोका जाय उनको रोकना चाहिये, मगर हम उसको कड़ा बनाने में इस तरह की धारा न रख दें कि जो एक अजीब तरह की हो और उससे संभावना यह है कि उसका उपयोग न हो और उसका दुरुपयोग अधिक हो। मेरे ध्यान में बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनमें एक्साइज डिपार्टमेन्ट ने किस प्रकार से फिक्टीशियस गवाह खड़े करके इस प्रकार के केसेज बनाये। अगर ऐसी धारा रख देते हैं तो एक्साइज डिपार्टमेन्ट एक ओर्गनाइज्ड मिस्चीवियस डिपार्टमेन्ट हो जावेगा जहां इन्नोसेन्ट आदमियों को पकड़वाने के लिए एक गवाह क्रियेट किया और उनको पकड़वा लिया। इस क्लाज को रखने से लोगों के साथ अन्याय होने की

Page No.106

(श्री श्रीमानसिंह)

सम्भावना अधिक है बनिस्बत उसके कि जो इल्लिसिट डिस्टिलेशन करने वाले हैं वे पकड़े जा सकें। इन्नोसेन्ट को पकड़ लिया जायगा। यदि यह धारा रही तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से जस्टिस मुल्ला ने हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स के लिए रिमार्क पास किया तो शायद ऐसा समय आ जाय कि इसी प्रकार के रिमार्क्स एक्साइज डिपार्टमेन्ट के लिए भी पास करने पड़े चाहे किसी जगह से गवाह पकड़ कर केस चला लें। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब माननीय मंत्री महोदय बोल रहे थे कि गवाह नहीं मिलते। आज राजस्थान के ९५ प्रतिशत लोग प्रोहिबिशन के फेवर में है। इसको एक हाई केवल की कमेटी ने बैठ कर देखा है और वह इसको रिकमन्ड करती है, दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी कहते हैं कि गवाह नहीं मिलते। जहां ९५ परसेन्ट लोग प्रोहिबिशन के फेवर में हों और फिर गवाह न मिले, यह तो बड़े भारी ताज्जुब की चीज है। माननीय सदस्य ने भी कहा कि बाहर से गवाह लाने की कोई बात नहीं। जब इन्डियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड करता है कि बाह से गवाह ला सकते हैं तो फिर इस प्रकार का एक एक्सेप्शनल कानून बनाने की क्या आवश्यकता है? कहां इसकी आवश्यकता रह जाती है? या तो यह बतायें कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा इनसफिशियेन्ट है? क्रिमिनल प्रोसिजर कोड में परिवर्तन करें। लेकिन उसको ठीक पाया गया है और जितने विटनेसेज की आवश्यकता थी उसके अनुसार वह उपयुक्त मालूम हुआ। तो मैं नहीं समझता कि एक्साइज कानून के लिए एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी क्लॉज क्यों रखा जाय और रखी गई है? मंत्री महोदय इस धारा पर फिर से विचार करें जिससे क्रिमिनल प्रोसिजर का जो प्रोसीजर है उसको आज तक फोलो करते आये हैं और आगे के लिए भी करें। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल्स को उस परिधि से निकाल दिया हो। इस क्लॉज को रखने से इन्नोसेन्ट आदमी ज्यादा पकड़े जावेंगे और उनका हेरेसमेन्ट ज्यादा होगा, विक्टिमाइजेशन ज्यादा होगा, लोगों की परेशानियां अधिक बढ़ जावेंगी और एक्साइज डिपार्टमेन्ट के जितने आदमी है उनके लिए एक करप्शन का जरिया और खुल जायगा। इसलिए इस क्लॉज को डिलीट कर देना चाहिये और ओरिजनल क्रिमिनल प्रोसिजर कोड को फोलो करने की उसी धारा को रखना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet on Monday at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजे; दिनांक १८-४-६१ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, १५ सितम्बर, १९६१)

	स्तम्भ		स्तम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	९३६	समितियां।	
जयपुर पूर्व में अध्यापकों की नियुक्ति (१९५९-६० में)।		कपासन में होली के जुलूस पर लाठी प्रहार।	
पंचायत रूपपुरा, तहसील उनियारा के चुनाव।		पंच, सरपंच तथा प्रधानों का निलंबन।	
टोंक डिस्ट्रिक्ट में हाउस लोन।		श्री प्रगतिशील श्रमिक संयुक्त सहकारी समिति लि०, सरकावास को अनुदान अथवा ऋण।	
जनसम्पर्क विभाग के लेखाओं की जांच।		ग्राम पंचायत, कोदू कोटा के सरपंच।	
टोंक जिले की पंचायत समितियों को मेड़बन्दी के लिये धनराशि।		पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़ के अध्यापक।	
मिडल स्कूल के भवन-निर्माण हेतु धनराशि।		सुश्री शांतिदेवी एक छात्रा।	
जुडिशियल सर्विसेज के अधिकारियों द्वारा जन्म-तिथि में परिवर्तन।		सांचोर सब-जेल।	
		कोषाध्यक्ष कार्यालय द्वारा टोकन।	
मालपुरा में अखिल भारतीय भेड़ अनुसंधान केन्द्र खोलने के आधार।		पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच के मामले।	
पुलिस हिरासत में मरे व्यक्तियों के मामलों की जांच।		कोषाध्यक्ष द्वारा पेन्शन का भुगतान।	
कोयले का वितरण।		जालोर में सेन्ट्रल मोर्टगेज कोऑपरेटिव बैंक।	
पाली जिले में कृषि सहकारी		राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग	

स्तम्भ

बोर्ड के कार्यालय पर छापा मलपुरा और रामपुरा को केन्द्र बनाने की सिफारिश।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र १००३

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री ने पंचायत एवं विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखीं :—

(क) अधिसूचना संख्या एफ. ११६ (४) /पी. एस. /रूल्स/ को ऑर्ड / डी. डी. /६१/७२२८३-६८५, दिनांक २१ अप्रेल, १९६१, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (कण्डक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेण्डिंग कमिटीज) नियम, १९५९ में संशोधन किये गये हैं।

(ख) अधिसूचना संख्या एफ. २ (४) प्लान /बी/५९, दिनांक २० फरवरी, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (कोऑप्शन ऑफ मेम्बर्स) नियम, १९५९ में संशोधन किये गये हैं।

(ग) अधिसूचना संख्या एफ. ४ (एल. जे.) २५/१४/१६७० दिनांक २६ जुलाई, १९६१, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत एण्ड न्याय पंचायत इलेक्शन रूल्स, १९६० में संशोधन किये गये हैं।

(घ) अधिसूचना संख्या एफ. २ (१६)- प्लान/बी/५९/ १०६८९ दिनांक २४ मार्च, १९६१, जिसके द्वारा राजस्थान जिला परिषद् (कोऑप्शन ऑफ मेम्बर्स) नियम, १९५९ में संशोधन किये गये हैं।

(ङ) अधिसूचना संख्या एफ. पी. एस. /रूल्स/६०/ए. ए. ७२६४३-४५, दिनांक २८ नवम्बर, १९६० जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (कंडक्ट ऑफ बिजनेस) नियम, १९६० प्रकाशित किये गये हैं।

च) अधिसूचना संख्या एफ. ११६ (१५) पी. एस./रूल्स/ को ऑर्ड/डी. डी./६१/ ७१०८२-६८२, दिनांक १४ अप्रेल, १९६१, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (कंडक्ट ऑफ बिजनेस) नियम, १९६० में संशोधन किया गया है।

विधायी कार्य-विचारार्थ लिये गये विधेयक

१. राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९६१ १००४

श्री सम्पतराम, वन मंत्री ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय जिसे सदन द्वारा स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

——

स्तम्भ

खण्ड-२-संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-१ आदि स्वीकार किये गये।

तदुपरान्त विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

२. राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९६१ १०१७

संकल्प:--श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"यह सदन राजस्थान आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या ३ सन् १९६१) को निरनुमोदित (disapprove) करता है।"

इसके पश्चात् श्री रामचन्द्र चौधरी, आबकारी तथा कर मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय।

संकल्प तथा विधेयक पर बहस एक साथ की गई। जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री भैरोंसिंह (१४)

२. श्री किशनाराम

३. डॉ. बहादुरसिंह

४. श्री लक्ष्मीचन्द

स्तम्भ

५. श्री पी. के. चौधरी

६. श्री दयाकृष्ण विजय

७. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

८. श्री जनार्दनराय नागर

९. श्री हरिप्रसाद यादव

१०. रावल श्री नरेन्द्रसिंह

११. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

आबकारी मन्त्री के उत्तर के पश्चात् श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का संकल्प अस्वीकार किया गया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २ से ६—स्वीकार किये गये।

खण्ड ७ पर बहस चल रही थी कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे सोमवार दिनांक १८ सितम्बर, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

सोमवार, दिनांक १८ सितम्बर, १९६१ की कार्य-सूची

(१) अनुपूरक मांग संख्या ५४, मुख्य शिर्षक ५४ दुर्भिक्ष

(२) मांग संख्या ५२, मुख्य अनुपूरक शीर्षक ४७ का समुदा-

स्कम्भ

यिकासायिक परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य ।

(३) अवशेषी कार्य 'मांगों' पर

स्कम्भ

मुखबन्ध का प्रयोग ।

(४) राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापित)

परिशिष्ट ९

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२६ का उत्तर देखिए)

कार्यालय जिलाधीश टौंक द्वारा अल्प-आय-गृह निर्माण योजना (Low Income Group Housing Scheme) के अन्तर्गत दिये गये ऋण की सूची

नाम ऋणी	तादाद रकम	किश्त जो ड्यू हुई	किश्त की रकम जो वसूल हुई	किश्त की रकम जो बकाया रही
१. श्री मुकटसिंह वकील	६५००)	४३३.३४	४३३.३४	—
२. श्री प्रेमी खेमराज वकील	६५००)	४३३.३४	४३३.३४	—
३. श्रीं नन्दकिशोर	५००)	३३३.३४	३३३.३४	—
४. श्री राम नारायण	५०००)	३३३.३४	३३३.३४	—
५. श्री अहमद अली	३५००)	२३३.३४	२३३.३४	—
६. श्री पीरूलाल	४०००)	२६६.६८	२६६.६८	—
७. श्री मोहनलाल बैरवा	५०००)	१६६.६७	१६६.६७	—
८. श्री फड़गाज अली खाँ	४०००)	१३३.३३	२१५.४४	—
९. श्री शरफ उद्दीन खाँ	३०००)	१००.००	१००.००	—
१०. श्री मांगीलाल हरीजन	१५००)	५०.००	५०.००	—
११. श्री सई दुल्ला खाँ	५०००)	१६६.६७	१६६.६७	—
१२. श्रीं मुशी मोहम्मद अली	३०००)	१००.००	१००.००	—
१३. श्री हाफिजुल्ला खाँ	३०००)	१००.००	१००.००	—
१४. श्री चौथमल शर्मा	३०००)	१००.००	१००.००	—
१५. श्री गुलाम मुस्तफा	३०००)	—	—	—

१६. श्री जमींलु रहमान खाँ	३०००)	—	—	—
१७. श्री कल्याण राम गूजर	३०००)	—	—	—
१८. श्री रामनाथ गूजर	३०००)	—	—	—
१९. श्री मांगीलाल गूजर	३०००)	—	—	—
२०. श्री सरवणलाल खाती	२५००)	—	—	—
२१. श्री नसीर मोहम्मद	२५००)	—	—	—
२२. श्री नाथूलाल	२५००)	—	—	—
२३. श्री हरजी बाबू खटीक	२५००)	—	—	—
२४. श्री राधेश्याम शर्मा	२०००)	—	—	—
२५. श्री जिया उल्ला खाँ	२५००)	—	—	—

कार्यालय पंचायत समिति टोडारायसिंह द्वारा दिये गये ऋण की सूची

नाम ऋणी	रकम जो दी गई
१ श्री रामदेव पुत्र माधो रेगर	१०००)
२ श्री रामानन्द पुत्र दुर्गालाल	१२००)
३ श्री छोगा पुत्र सक्खा जाट	१०००)
४ श्री भूरा पुत्र बैदा बलाई	१२००)
५ श्री रूपसिंह पुत्र भूरसिंह	१०००)
६ श्री रामकरण पुत्र नारायण नाई	१३००)
७ श्री कल्याण पुत्र लालू मीणा	१०००)
८ श्री माधो पुत्र गोविन्दा	७००)
९ श्री माधो पुत्र ओंकार जाट	२०००)
१० श्री काना पुत्र ओंकार जाट	२०००)
११ श्री मांग्या पुत्र गोविन्दा चमार	१३००)
१२ श्री सुन्दरलाल पुत्र बिसनलाल महाजन	२०००)
१३ श्री बशीर खां पुत्र दीन खां	१०००)
१४ श्री रामदेवा पुत्र जालमा रेगर	२०००)
१५ श्री भागीरथ पुत्र दीना रेगर	२०००)
१६ श्री मांगीलाल पुत्र जालमा रेगर	२०००)
१७ श्री सुक्खा पुत्र मन्ना रेगर	२०००)
१८ श्री बिशना पुत्र लाल	२०००)
१९ श्री सुवा पुत्र लच्छा रेगर	१४००)
२० श्री छोगा पुत्र पुष्पा रेगर	२०००)
२१ श्री भूरा पुत्र लाला रेगर	२०००)

२२	श्री मांगू पुत्र छीतर रेगर	१४००)
२३	श्री किशना पुत्र भूर्या रेगर	१४००)
२४	श्री छींतर पुत्र हुक्मा	४००)
२५	श्री नानगा पुत्र रूपा	१०००)
२६	श्री हरला पुत्र मांगू	१०००)
२७	श्री चौथू पुत्र रामा	२०००)
२८	श्री रामकरण पुत्र भूरा	१०००)
२९	श्री रामकरण पुत्र मोल्या	१०००)
३०	श्री नाथू पुत्र कालू	१०००)
३१	श्री मुक्ला पुत्र ईशरा	१०००)
३२	श्री लादू पुत्र चन्द्रा	५००)
३३	श्री हरदेवा पुत्र बालू कुम्हार	१०००)
३४	श्री घीस्या पुत्र लादू नाई	१०००)

कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा द्वारा ऋण दिए गए व्यक्तियों की सूची

क्रम संख्या	नाम व्यक्ति जिसे ऋण दिया गया	पिता का नाम	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त
१	२	३	४	५	६
१.	श्री नारायण सहाय व्यास	श्री नाथूलाल व्यास	६००.०० २८-११-६०	१०००.०० २२-१२-६०	४००.०० २९-६-६१
२.	श्री भंवरलाल शर्मा	श्री मूलचन्द शर्मा	६००.०० २८-११-६०	१०००.०० २२-१२-६०	४००.०० १३-६-६१
३.	श्री बजरंगलाल शर्मा	श्री बद्रीनारायन शर्मा	६००.०० २८-११-६०	१०००.०० २३-१२-६०	४००.०० २०-६-६१
४.	श्री द्वारका प्रसाद व्यास	श्री छीतरमल व्यास	६००.०० २८-११-६०	१०००.०० २२-११-६०	४००.०० १७-६-६१
५.	श्री देवकी नन्दन	श्री खेती सहाय	६००.०० ६-१२-६०	३००.०० ३०-१-६१	११००.०० १३-६-६१
६.	श्री मुन्नालाल	श्री जगदीश नारायन	६००.०० ६-१२-६०	१४००.०० १३-६-६१	

१	२	३	४	५	६
७.	श्री नारायन दास	श्री द्वारका दास	६००.०० ७-१२-६०	१०००.०० २२-१२-६०	४००.०० १३-६-६१
८.	श्री ग्यारसी लाल	श्री पन्नालाल	६००.०० ७-१२-६०	१०००.०० २२-१२-६०	४००.०० १४-६-६१
९.	श्री रामनारायन	श्री रामचन्द्र	६००.०० ७-१२-६०	१४००.०० १३-६-६१	
१०.	श्री राधागोविन्द	श्री रूपजी	६००.०० ७-१२-६०	१४००.०० ३०-६-६१	
११.	श्री गोपाल लाल	श्री गणेशलाल	६००.०० ७-१२-६०	१०००.०० २२-१२-६०	४००.०० १७-६-६१
१२.	श्री नानूसिंह	श्री नारायणसिंह	६००.०० १७-१२-६०	१४००.०० १७-६-६१	
१३.	श्री हेमनदास	श्री कल्याणदास	५००.०० ७-१२-६०	१००.०० १३-६-६१	
	श्री हरिराम शर्मा	श्री टूंकीराम	२०००.०० १३-६-६१		

१	२	३	४	५	६
१५.	श्री रामस्वरूप	श्री गंगाराम	२०००.०० १३-[illegible]-६१		
१६.	श्री राम स्वरूप	श्री बृजमोहन	२०००.०० १४-६-६१		
१७.	श्री भंवरलाल शर्मा	श्री दुर्गालाल	२०००.०० १९-६-६१		

नोटः— जिन व्यक्तियों को एक साथ रकम दी गई है उनके मकान सम्पूर्ण बन चुके थे, इस लिए रकम एक मुश्त दे दी गई।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२७ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OE RAJASTHAN

Appointments (A) Department.

ORDER

No. D. 7284/F. 1 (5) Apptts (A)/59. Dated Jaipur the 25th May, 1960

Shri V. I. Rajagopal, IAS, is appointed with immediate effect, Officer on Special Duty in the Directorate of Public Relations, Rajasthan Jaipur, in addition to his own duties as Officer on Special Duty, Appointments (A) Department.

By order
Sd/- (R. D. Thapar)
Special Secretary to Government

Copy forwarded for Information and necessary action to :—

1. The Chief Secretary to Government.
2. The Development Commissioner cum Additional Chief Secretary to Government.
3. The Secretary to Government, Home Department for issue of necessary orders regarding distribution of work between the Director of Public Relations and Officer on Special Duty and for placing the existing staff of the Directorate dealing with the accounts, stocks and cash books etc., at the disposal of the Officer on Special Duty who is to exercise powers of Head of Department other than Class I in the matters of accounts pertaining to the period ending 31st March, 1960.
4. The Secretary to Government, Finance Department for issue of Orders declaring the Officer on Special Duty in the Directorate of Public Relations as Head of Department other than Class I in respect of the work to be performed by him there.
5. The Secretary to Governor.

The Secretory to Chief Minister.

7. The Private Secretary to the Minister for Home.

8. The Dy. Secretary to Government G. A. D.

9. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur. Orders regarding creation of a temporary post of Officer on Special Duty in the Directorate of Public Relations, Rajasthan, Jaipur for a period of 6 months in the junior scale of IAS, with special pay of Rs. 75/-/- p. m. will issue shortly.

10. The Collector, Jaipur.

11. The Director of Public Relations, Rajasthan, Jaipur, with 10 spare copies.

12. The Registrar, Government Secretariat.

13. The Accounts Officer, Government Secretariat.

14. Shri V. I. Rajagopal, IAS., OSD, Apptts (A) Department.

Sd/—
Special Secretary to Government

Copy also forward to :—

1. Special Secretary's File.
2. Guard File.
3. Civil List Section.
4. P. File of the Officer.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(Home 'B'-II Department)

ORDER,

No.F.12 (3) (20) HB/60. Dated, Jaipur, the 1 July, 1960.

Government are pleased to order that a special unit consisting of the Accounts Officer and the Accounts Staff at present working in the Directorate of Public Relations, may be set up to deal with the following work in the Directorate, namely :—

1. Examination of Audit Inspection Report, Inspection Reports on all Exhibitions, and of the various Inspection Reports of the Finance (Inspections) Department for the period 1951-52 to 1959-60.

2. Scrutiny of replies submitted by the Director of Public Relations in respect of various objections and observations made in the aforesaid reports with reference to records, and

3. Submission of detailed reports to Government from time to time on completion of scrutiny of replies to each Inspection Report. (the Accounts Officer and the entries Accounts staff at present working in the Directorate of Public Relations).

This special unit will directly work under Shri Daulat Singh. IAS; Jagir Commissioner, who will enjoy the powers of a Class I Head of Department for this purpose.

BY OYDER,
Sd/—(Z. S. Jhala)
Secretary to Government.

No.F. 12 (3)(20) HB/60. Dated, Jaipur, the 1 July, 1961.

Copy forwarded for information to the :—

1. Chief Secretary to Government, Rajasthan, Jaipur.

2. Development Commissioner-cum-Additional Chief Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur.
3. Special Secretary to Government, Appointments (A) Department.
4. Revenue Secretary to Govenment.
5. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
6. Shri Daulat Singh, IAS, Jagir Commissiner.
7. Director of Public Relations, Rajasthan, Jaipur. He may immediately send his proposals for the staff to deal with current accounts.
8. Finance Department (A&A)
9. Registrar, Government Secretariat, Jaipur.
10. Accounts Officer, Government Secretariat, Jaipur.

Sd/—
Secretary to Government.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३६ का उत्तर देखिये)

क्रम सं०	नाम तहसील जिला पाली	नाम कृषि सहकारी समिति	प्रकार समिति	तारीख रजिस्ट्रेशन	रजिस्ट्रेशन कर्त्ता अधिकारी का नाम
१	२	३	४	५	६
१	पाली	इन्द्रानगर सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि०	सामूहिक कृषि	१४-४-५६	श्री शिवदत्त बोहरा
२	,,	पंवार कृषि सहकारी समिति लि० भागेश्वर	टीनेन्ट कृषि	७-६-६०	श्री रणवीरसिंह
३	,,	भागेश्वर ,, ,, ,,	,,	१०-६-६०	,,
४	,,	भारत ,, ,, ,, आखेलाव	,,	३-५-६०	श्री शिवदत्त बोहरा
५	,,	नेहरू ,, ,, ,,	,,	३-५-६०	,,
६	,,	चारभुजा ,, ,, ,,	,,	३-५-६०	,,

१	२	३	४	५	६
७	पाली	जगदम्बा कृषि सहकारी समिति लि० भागेश्वर	टीनेन्ट कृषि	४-५-६०	श्री शिवदत्त वोहरा
८	,,	नौजवान ,, ,, ,,	,,	३-५-६०	,,
९	,,	भाटान ,, ,, ,,	,,	९-७-५९	,,
१०	,,	पालीनगर ,, ,, ,,	,,	९-७-५९	,,
११	,,	उतवन ,, ,, ,, उतवन	,,	२४-१०-५९	,,
१२	,,	मारवाड ,, ,, ,, आखेलाव	,,	३-५-६०	,,
१३	,,	बागू ,, ,, ,,	,,	३-५-६०	,,
१४	,,	बागरिया यौत ,, ,, ,,	,,	९-७-५९	,,
१५	,,	जैतपुर ,, ,, ,,	,,	१३-१-६०	,,
१६	,,	बिठू रैयत टीनेन्ट कृषि सहकारी समिति लि०	,,	२७-१-६०	,,
१७	,,	तगरा ,, ,, ,,	,,	२७-१-६०	,,

१	२	३	४	५	६
१८	पाली	महावीर रैयत टीनेन्ट कृषि सहकारी समिति लि०	टीनेन्ट कृषि	२९-२-६०	श्री शिवदत्त बोहरा
१९	,,	श्रीमहावीर ,, ,, कलाली भावरी गाल	,,	१५-६-६०	श्री रणवीरसिंह चौधरी
२०	,,	खारडा की ढाणी ,, ,,	,,	१५-६-६०	,,
२१	,,	मुगनपुरा ,, ,,	,,	२३-६-६०	,,
२२	,,	अरटीया ,, ,,	,,	१६-६-६०	,,
२३	,,	राजेन्द्र ,, ,, दोहर	,,	२३-६-६०	,,
२४	बाली	श्री आदर्श सामूहिक कृषि स०स० लि० केरापुरा	सामूहिक कृषि	२२-७-५८	श्री शिवदत्त बोहरा
२५	,,	श्रीं एकलिंग ,, ,,	,,	१५-८-५५	श्री रूपचन्द लुहाड़िया
२६	,,	सेवाडी रैयत ,, ,, ,,	टीनेन्ट कृषि	१६-२-६०	श्री शिवदत्त बोहरा
२७	,,	मौदून्ड ,, ,,	,,	२६-३-६०	,,
२८	,,	श्री अम्बा ,, ,, ,,	,,	२६-३-६०	,,

१	२	३	४	६	६
२९	बाली	पत्री (टी) कृषि सहकारी समिति लि०	टीनेन्ट कृषि	२९-२-६०	शिवदत्त बोहरा
३०	,,	आदर्श ,, ,, ,, चामन्डरी	,,	१६-२-६०	,,
३१	,,	बीजापुर ,, ,, ,,	,,	१६-२-६०	,,
३२	,,	लाटारा ,, ,, ,,	,,	१६-२-६०	,,
३३	,,	श्री शिव ,, ,, ,, लाना	,,	१४-७-६०	श्री रणवीरसिंह
३४	,,	नवीटार ,, ,, ,, सिवलतान	,,	६-६-६०	,,
३५	,,	जसवन्तनगर संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि० गोठिया	संयुक्त कृषि	१९-१०-५५	श्री रूपचंद लुहाड़िया
३६	,,	खिवान्दी सामूहिक कृषि स. स. लिमिटेड	सामूहिक कृषि	२६-३-५३	श्री हरनारायण गुप्ता
३७	,,	घना रैयत (टी) कृषि स. स. लि० घना	टीनेन्ट कृषि	२७-१-६०	श्री शिवदत्त बोहरा
३८	,,	पुराडा ,, ,,	,,	१८-४-६०	,,
३९	,,	कैलाश रैयत (टी) कृषि स. स. लि० भारुदा	,,	१८-४-६०	,,

१	२	३	४	५	६
४०	बाली	चानोद रैयत (टी) कृषि स० स० लि० चानोद	टीनेन्ट कृषि	५-८-६०	श्री रणवीरसिंह
४१	खारची	सिवला संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	संयुक्त कृषि	३१-३-६०	श्री शिवदत्त बोहरा
४२	,,	सारण संयुक्त ,, ,, ,,	,,	२३-११-६०	श्री रणवीरसिंह चौधरी
४३	,,	सारडी रैयत (टी) ,, ,, ,,	टीनेन्ट कृषि	१३-२-६०	श्री शिवदत्त बोहरा
४४	,,	झिनला ,, ,, ,,	,,	१३-२-६०	,,
४५	,,	इसाली ,, ,, ,,	,,	१३-२-६०	,,
४६	सोजत	श्री चामुन्डा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि.	,,	१०-८-५९	,,
४७	,,	श्री करणी ,, ,, ,, रेन्दडी	,,	१७-६-६०	श्री रणवीरसिंह
४८	,,	श्री प्रगतिशील खारिया (स्वामी) ,, खारिया	,,	१२-१-६१	,,
४९	,,	खारिया नींव सामूहिक कृषि स० स० लि०	सामूहिक कृषि	२-७-५९	श्री शिवदत्त बोहरा
५०	,,	गाड़िया लुहार ,, ,, ,, सोजत	,,	२८-३-५९	,,

१	२	३	४	५	६
५१	सोजत	हाक्त रैयत (टी) कृषि स० स० लि० हाक्त	टीनेन्ट कृषि	१३-२-६०	श्री शिवदत्त वोहरा
५२	,,	गागुडा ,, ,, ,, गागुडा	,,	१-६-६०	श्री रणवीरसिंह चौधरी
५३	जेतारण	आनन्दपुर कालु संयुक्त कृषि स० स० लि०	संयुक्त कृषि	१८-२-६१	,,
५४	,,	छत्रसागर सामूहिक कृषि स० स० लि० निम्बाज	सामूहिक कृषि	१४-६-५८	श्री शिवदत्त वोहरा
५५	,,	बलून्दा रैयत (टी) कृषि स० स० लि० बलून्दा	टीनेन्ट कृषि	१२-८-५९	,,
५६	,,	हरिजन ,, ,, कालूआनन्दपुर	,,	१२-८-५९	,,
५७	,,	कानावास ,, ,, कानावास	,,	१२-८-५९	,,
५८	देसूरी	ओडवाडिया सामूहिक कृषि स० स०	,,	४-३-५८	,,
५९	,,	श्री गणेश रैयत (टी) कृषि स०स० लि० देसूरी	,,	१३-१-६०	,,
६०	,,	श्री हनुमान ,, ,, नारलाई	,,	१४-१०-६०	,,
६१	,,	लोकप्रिय ,, ,, ,,	,,	१४-१०-६०	,,

१	२	३	४	५	६
६२	देसूरी	वैद्यवंशी (टी)कृषि स०स० लि० देसूरी	टीनेन्ट कृषि	१४-१०-५६	श्री शिवदत्त बोहरा
६३	,,	श्री गणेश ,, ,, मण्डल	,,	२६-२-६०	,,
६४	,,	प० [illegible]	,,	१८-४-६०	,,
६५	रायपुर	कृषिरैयत (टी) ,, ,, सबलपुरा	,,	२२-६-५६	,,
६६	,,	,, ,, ,, आडेसी	,,	२२-६-५६	,,
६७	,,	भूठा ,, ,, भूठा	,,	२२-६-५६	,,
६८	,,	दीपावास यत (टी)कृषि स०स० लि०	,,	२६-६-६०	श्री रणवीरसिंह चौधरी
६९	बाली	तखतगढ़ एम्प्लजर कृषि स०स० लि०	,,	२७-३-५३	श्री हरनारायण गुप्ता

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४७ का उत्तर देखिये)

ENQUIRIES AGAINST THE OFFICERS AND SUBORDINATES OF THE ANIMAL. HUSBANDRY DEPARTMENT

1. Dr. Y. V. Thattey, Distt. Animal Husbandry Officer, Bhilwara	14.5.59
2. Shri B. W. Mathur, Superintendent, Cattle Breeding Farm, Bassi (at present at Alwar).	The date is being ascertained from the Anti-Corruptio Department.
3. Shri Milap Chand Jain, Clerk Sheep & Wool Section.	28.4.54
4. Shri Hira Lal Hawaldar (Retired)	29.10.51
5 Shri Jugal Kishore, Cashier, Ex-Dairy Farm, Jodhpur.	24..0.60
6. Shri Mohd. Sharif, Stockman, Sikrai	24 12.54
7. Shri A. C. Dube, Supdt. Sheep & Wool Extension Centre, Jaipur.	22.8.61
8. Shri Narayan Singh, Fieldman, Fisheries Section, Jaipur.	24.2.61
9. Shri Megh Raj Pareek, A. H. B. O. Todabhim	6.5.61
10. Shri P. D. Mathur. Dy. Director, Key Village.	19.6.6.
11. Shri A. M. Khan, Rehabilitation Officer Nomadic breeders, Bikaner.	Charge sheet served on 27. 6. 61
12. Shri Avinash Swaroop Mathur, Dairy Development Officer.	Charge sheet served on 13. 7. 61.
13. Shri R. S. Bharadwaj, Fisheries Development Officer.	Charge sheet served on 11. 6.61.

14. Shri N. L. Mathur, Asstt. Fisheries Development Officer, Kota.	Charge sheet served on 11. 6. 61
15. Shri I. D. Talwar, I/C. Vety. Hospital Bikaner.	Date is being ascertained from Anti Corruption Deptt.
16. Shri Taju Mal, C. D. C. Office of the Director of Animal Husbandry, Raj., Jaipur.	Charge sheet served on 23. 8. 61
17. Shri Satyanarayan, U. D. C. -do-	31. 12.60,

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४८ का उत्तर देखिये)

उन ट्रेजरियों की सूची जहां ३०) रुपये से कम की पैंशन का भुगतान नकद, कोषाध्यक्षों या सब-ट्रेजरियों द्वारा किया जाता है

क्रम संख्या	ट्रेजरी का नाम
१.	जयपुर
२.	भीलवाड़ा
३.	झुन्झुनू
४.	चुरू
५.	उदयपुर
६.	सीकर
७.	जैसलमेर
८.	सिरोही
९.	सवाई माधोपुर
१०.	नागौर
११.	झालावाड़
१२.	अलवर
१३.	गंगानगर
१४.	टोंक
१५.	बांस्वाडा
१६.	बूंदी
१७.	चित्तौड़गढ़

१	२
१८.	भरतपुर
१६.	जोधपुर
२०	बीकानेर

सूची ट्रेजरियों की जहां ३०) रुपये से कम की पेंशन का बैंक या सब-ट्रेजरी द्वारा भुगतान किया जाता है।

क्रमसंख्या	ट्रेजरी का नाम
१.	अजमेर
२.	जालौर
३.	पाली
४.	बाड़मेर

शुद्धि पत्र

(शुक्रवार १५ सितम्बर, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६३६	१६	मैं	में
६३८	अंतिम से ४	गेजुएट्स	ग्रेजुएट्स
६३६	६	बिश्नीई	बिश्नोई
६४१	२१ व २८	रिटर्निग	रिटर्निंग
६४२	१५-१६	३१२-३२ मत मिले ये।	३१२-३१२ मत मिले थे।
६४४	२२	पेपर्स की की	पेपर्स की
,,	२५	सख्या	संख्या
६४६	१०	गवा	गया
६४७	अंतिमसे १-२	पी० आर० आ०	पी० आर० ओ०
६४६	शीर्षक	तारां	तारांकित प्रश्नोत्तर [६४६
,	८	पूछा।	पूछा है
६५०	१६	श्री भरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
६५२	२३	असेन्बली	असेम्बली
६५३	२८	जौ आपने	जो आपने
६५४	१०	करें	करेंगे
६५५	अंतिम से ३	मामलां	मामलों
,,	अंतिम पंक्ति	हां।	हों।
६५८	अंतिम पंक्ति	अधिकारिय का	अधिकारियों की
६६०	१	रामकिशार	रामकिशोर
,,	३	वेरीफिक्शेन	वेरीफिकेशन
,,	अंतिम पंक्ति	सहा है	सही है
६६१,६६४	शीर्षक	तारंकित	तारांकित
६६१	२७	रामकिशार	रामकिशोर
६६२	७	एम्प्लीकेशन	एप्लीकेशन
,,	अंतिम से १	षेन्डिग	पेन्डिंग
६६३	८	मालपरा	मालपुरा
,,	१३	ता ६	ता:
,,	अंतिम पंक्ति	मत्री	मंत्री
६६४	६	पुरस्कार	पुरस्कार

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६६४	१८	आ ार	आधार
,,	२४	मेड़ां	मेड़ां
,,	अंतिम से ४	स.ारसिंह	सरदारसिंह
,,	अंतिम पंक्ति	आर	और
६६५	अंतिम से २	मं	में
,	अंतिम पंक्ति	है ता	है तो
६६६	६ व ६	एक्सपर्ट्स	एक्सपर्ट्स से
६६७	१६	की पर	की मेज पर
६६८	३	वर्प	वर्ष
,,	२०	हनुमनगड़	हनुमानगढ़
,,	२३	रतनगड़	रतनगढ़
६७२	१२	भैरोंसह	भैरोंसिंह
६७३	१०	नहीं	नहीं
,	१५	मान ल	मान लें
६७५	१४	चालन	चालान
६७७	२५	आद	आदि
,,	२७	है क	है कि
६७८	२	ावतरणार्थ	वितरणार्थ
,,	१३	विकेता	विक्रेता
,,	१५	यैगन	वैगन
६८०	१२	उन्होंन	उन्होंने
,,	१४	पुनने	सुनने
,	१६	श्र माधोपुर	श्री माधोपुर
६८२	२०	कन्तु	किन्तु
६८३	१७	निलबन	निलंबन
,,	२०	जत्तर	उत्तर
६८४	१८	चाहये	चाहिये
६८५	शीर्षक	१ ६१— प्रश्नोत्तर	१९६१ — प्रश्नोत्तर
६८६	शीर्षक	सितबर	सितम्बर
,,	५	नम्न	निम्न
६८७	२७	करने लिये	करने के लिये
,,	अन्तिम से २	कितनो	कितनी
६८८	२	फार्मिंमग	फार्मिंग

(३)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
९८८	७	अध्वक्ष	अध्यक्ष
९८९	६	यद	यदि
९९०	६	( )	(१)
९९२	अंतिम से ४	प्रतिाह	प्रतिमाह
९९४	अन्तिम पंक्ति	वश्नोई	बिश्नोई
९९७	६	चाचेर्जे	चार्जेज
९९८	१२	१८८	१४८
१००१	१६	पण्तिपुरा	पण्डितपुरा
,,	२०	ाकस	किस
१००२	१६	दृिट	दृष्टि
१००४	१	Officr	Officer
,	६	आजेक्ट्स	ऑब्जेक्ट्स
,,	१५	Oonducted	Conducted
,,	२७	auy	any
,,	अन्तिम से ४	decisipon	decision
१००६व१००७	शीर्षक	१४ सितम्बर	१५ सितम्बर
१००६	८	था हो सकता । है कि	था । हो सकता है कि
,	१५	Oficer	Officer
,,	अंतिम से ५-४	आददियं	आदमियों
१००७	१५	क्लजी	क्वाजी
,	१६	स्वमं	स्वयं
१००८	२०	सर री	सरकारी
१००९	३१	शब्दा	शब्दों
१०१०	२	ाननीय	माननीय
१०११	७	आपत्त	आपत्ति
,,	८	चाहये	चाहिये
,	७	Gasette	Gazette
१०१२	१६	आफसर	ऑफिसर
,	१३	ांसपोर्ट	ट्रांसपोर्ट
१०१४	८	मंत्रिमण्डल	मंत्रिमण्डल
,,	१०	मृड	मूड
,,	१४	अयक्ष	अध्यक्ष
१०१५	७	में थोडा	मैं थोड़ा
,,	२४	ऑफसर	ऑफिसर

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१०१६	शीर्षक	जन	वन
१०१७	८	(अमेन्टमेंट)	(अमेन्डमेंट)
१०१८–१०६५	शीर्षक	वन संशोधन विधेयक १६६१	राजस्थान आबकारी संशोधन) विधेयक, १६६१
१०१८	२१	वे उनकी	वे न उनकी
१०१६	१	दृप्टि	दृष्टि
,,	१४	सलते	सकते
,,	१५	काहण	कारण
,,	२३	काई	कोई
,,	२५	करापे हैं	कराते हैं
१०२१	१४	सनभता	समभता
,	२०	अव्यादेश	अध्यादेश
१०२३	६	लगादं	लगादें
१०२४	२२	सदन क	सदन की
१०२५	२१	रुकगें	सकेंगे
,	२४	एक्साक्स	एक्साइज
१०२७	२	एम्लोयन्सेज	एम्प्लायेन्सेज
,,	३	श्री चन्दनाल वैद (रदार शहर)	श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर)
१०२६	५	देगे ये	देगे कि ये
,	१६	कन्सीउरेशन	कन्सीडरेशन
१०३०	११	डिनेच्योड	डिनेच्योर्ड
,	१४	व्यवस्या	व्यवस्था
१०३१	अन्तिम से २	स्त्रभाविक	स्वाभाविक
१०३२	३	डॉफ्ट	ड्राफ्ट
,,	२२	कजिये	कीजिये
१०३३	१६	आघश्यकता	आवश्यकता
१०३६	६	स्यिति	स्थिति
,,	५६-२३	सिद्धन्त	सिद्धान्त
१०३७	अन्तिम पंक्ति	इलिसिट	इल्लिसिट
१०३८	,,	शराब को	शराब के
१०४०	११-१२	है, है,	है,
	१२	सम्बन्धो	सम्बन्धी
,,	२०	ज्यादा हो।	ज्यादा हो

स्तंभ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१०४१	११	वे क्या	वह क्या
,	२३	fs	Is
,'	२६	प्रोसजर	प्रोसीजर
१०४४	शीर्ष	(श्री भैरोंसि)	(श्री भैरोंसिह)
,	१५	किय जाना	किया जाना
१०४५	१	गलतिय	गलतियां
,	८	करनो	करने
१०४७	१५	अध्यत्त	अध्यक्ष
,,	१६	ताक	तो कह
,,	२३	भ्रष्टाचरा	भ्रष्टाचार
१०४८	अन्तिम से ४	लि	बिल
१०५३	१६	लाया	लायी
,	२०	वचित	वंचित
,,	अन्तिम पंक्ति	लाग अदालतां	लोग अदालतों
१०५४	६	जागीदार	जागीरदार
,,	१०	ऊंठ	ऊंट
,,	२२ व ३०	जिम्मेदारी	जिम्मेदार
१०५५	१०	लेवें	लेवें
,	२०	नहों	नहीं
,,	अंतिम पंक्ति	पढ़ने	पड़ने
१०५६	२४	ह जो	हो जो
,,	अन्तिम पंक्ति	एलकोलक	एलकोलिक
१०५७	२	परभाषा	परिभाषा
,'	४	जवेगा	जावेगा
,,	११	व्यवम्था	व्यवस्था
,,	२०	औषधयां	औषधियां
१०५८	२	आचर्य	आचार्य
,,	१४	क्योंक	क्योंकि
,,	१६	ड्युटी	ड्यूटी
,,	अंतिम से ३	हूं की	हूँ कि
१०५९	११	धन्बा	धन्धा
,,	२३	ससपेन्डक करिये	सस्पेन्ड करिये

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१०५६	अन्तिम पंक्ति	सफ	साफ
१०६०	१	ाथ	हाथ
"	१४	प्रतिनिधयो	प्रतिनिधियों
"	२१	औधानिक	अवैधानिक
"	२७	फैमिली	फैमिली
"	अन्तिम से ४	जो घर	जो घर से
"	शीर्ष	श्री लक्ष्मीचन्क	(श्री लक्ष्मीचन्द)
"	२२	चोधरी	चौधरी
"	२४	नाननीय	माननीय
१०६४	६	पनामे	पंचनामें
१०६५	१२	रेस्पन्स	रेस्पान्सि
१०६६	स्कम्भ	७१६६	१०६६
१०७०	१७	चहा	चाहता
१०७१	२१	हैडौन	हैडमैन
१०७२	शीर्षक	१०६२	१०७२
"	२	ओरिजनिल	ओरिजिनल
"	७	लबरदार	लम्बरदार
१०७३	७	आखर	आखिर
"	२६–३०	Ameding	Amending
१०७४	अन्तिम से २	एग्जापल	एग्जाम्पल
१०७५	२६–२७	Consumptioh	Consumption
	[illegible]	Daevierage	beverage
"	३	Whatsover	Whatsoever
१०७६	१२	समात	समाप्त
"	१६–१७	प्रका से आटकल्स जो गिनये	प्रकार से आर्टिकल्स जो गिनाये
१०७७	१२	हके	हरेक
१०७८	१	कड्इयां	कड़ाइयां
"	४	गुंजामश	गुंजायश
"	८	लेकन प्रोंहबिशन	लेकिन प्रोहिबिशन
"	१५	कान	कानून
"	१७	कया	किया
"	२०	चाहये	चाहिये
	[illegible]	उत्साहत	उत्साहित
१०८१	२८	अधकारी	अधिकारी
१०८३	२७	का नक	का नेक

(८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१०८५	२४	कमई	कमाई
१०८७	८	शरब	शराब
,,	६	ह सकता	हो सकता
,,	११	प्रतुत	प्रस्तुत
,,	१५	देन की	देने की
,,	२१	गतिविधयों	गतिविधियों
,,	३२	सामाजक	सामाजिक
१०८८	२२	स्थित	स्थिति
१०८६	अन्तिम से २	Antiprohbiin	Antiprohibition
१०६१	२६	में	मैं
१०६२	५	यदव	यादव
,,	अन्तिम से २	मैं सी	मैं इसी
१०६३	२	संशोधन	संशोधन
,	२६	खच!	खर्च!
१०६६	२७	कमाती है।	कमाती है।
१०६७	७	का में	का मैं
,,	१३	हसलिये	इसलिये
,,	१५	(दूदू) में	(दूदू) :
११००	अन्तिम से २	जगहां	जगहों
११०२	१०	जड़ है	जड़ है।
११०५	१६	ले कन	लेकिन
११०७	२०	ओर .	और
११०६	अन्तिम से ३	स्पिट	स्प्रिट
१११०	२	Cnsuptin	Consumption
,,	१५	तीन चर	तीन चार
,,	१८	काबल	काबिल
११११	२८	स्प्रट	स्प्रिट
१११२	२२	उके	उसके
१११५	अन्तिम से २	में भ	में भी
१११७	८	करा	करना
,,	२२	लोकेलटी	लोकेलिटी
१११८	शीर्षक	आबकारी	आबकार

(ट)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१११८	६	अंदूमन	अमूमन
,	१३	है क	है कि
११२०	१०	looality	loeality
,,	१६	invesigation	invrstigation
,,	अन्तिम पंक्ति	hing	thing
११२३	७	ut fo	out for
११२५	१७	स्टमेंट	स्टेटमेंट
११२६	१५	members tgron	members from
११२७	४	मामनीय	माननीय
,,	८	इमर्जेन्सी	इमर्जेन्सी
११२६	५	इल्लिसिटी	इल्लिसिट
११३०	२२	कई	कोई
११३२	२५	डिपार्मेंट	डिपार्टमेंट
११३३	अन्तिम से २	श्रा भैरोसिंह	श्री भैरोसिंह
११३५	२	geuer..l	general
११३७	अन्तिम से ४	आदमियां	आदमियों
,,	अन्तिम से ३	गवाहा।नी	गवाहानों
११३८	१०	क्रिएट	क्रिएट
,,	१८	पुलस	पुलिस
११३६	१६	जता	जाता
११४०	१६-१७	सेन्ट्रे लाइजेशन	डीसेन्ट्रे लाइजेशन
,	२६ २७	और गनशी उन गांवों को पहले से ही लो जाते हैं और	और लोग उन गांवों को पहले से ही जानते हैं और
,,	अन्तिम पंक्ति	एग्जंपल	एग्जाम्पल
११४१	६	आसान	आसानी
११४२	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री भैरोसिंह)
११४३	१० ११	Honble Minister must	Hon'ble Minister must
,,	१३	चाह	चाहे
,,	२८	अकड़े	आंकड़े
११४४	५	जुइन्टरफियरेन्स	इन्टरफियरेन्स
११४५	३०	ओगनाइज्ड	ओर्गनाइज्ड

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
११४६	२	डिरिटलेशा	डिस्टिलेशन
११४७	७	एक्स्टा	एक्स्ट्रा
११५१	१३	अधिसूना	अधिसूचना
,,	२१	विधाया·काय	विधायी कार्य
११५२-५३	शीर्षक	सितन्वर	सितम्बर
११५३	,,	विवर	विवरण
११५४	१	यिका सयिक	यिक विकास
११५६	३	groun	Group
,,	स्कम्भ १	आली खां	अली खां
,,	पंक्ति ८		
११५८	शीर्षक	८]	११५८]
११६४	१५	Governmnt	Government
११७३	स्कम्भ २	,,	,, पिलावनी
,,	पंक्ति ३		
११७४	स्कम्भ १,	Shri B. W. Mathur	Shri B. K. Mathur
,,	पंक्ति ३		
,,	स्कम्भ २,	Ant-Corruptio	Anti—Corruption
,,	पंक्ति ३		
,,	स्कम्भ १,	Fisherios	Fisheries
,,	पंक्ति १४		

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

(१५ सितम्बर, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६४२	६	उप मंत्री, चायत	उप मंत्री, पंचायत
६८०	६	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
१०६४	शीर्षक	वन संशोधन	आबकारी संशोधन
११०४,११०६	शीर्ष	(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)	(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

शुद्धि-पत्र का अनुपूरक शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४	कॉलम १ पंक्ति १८	३	१३
,,	कॉलम २ पंक्ति २८	५६ २३	२३
५	कॉलम ३ पंक्ति २१	ह जो	हा जो
६	कॉलम १ पंक्ति ७	,,	१०६२
७	कॉलम ३ पंक्ति २४	Cnsuptin	Consuptin
,,	कॉलम ४ अंतिम पंक्ति	आबकार	आबकारी
८	कॉलम ४ पंक्ति ३	localty	locality
,,	कॉलम ४ पंक्ति ४	invrstigation	investigation
,,	कॉलम ३ पंक्ति १४	डिपार्मेंट	डिपार्टमेंट